पंजी सं. दिल्ली इन/2001/6138

CELEBRATING 25 YEARS

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत एक शीर्षस्थ आवास विकास वित्त संस्थान के रूप में हुई थी। अपनी 25 वर्षों की यात्रा में, राष्ट्रीय आवास बैंक ने निम्न एवं मध्य आय वर्ग के परिवारों पर अपना ध्यान केन्द्रित रखने के साथ, जनसंख्या के सभी वर्गों की आवास आवश्यकताओं को संबोधित करने हेतु इस सेक्टर में क्षमता निर्माण पर कार्य किया है।

बैंक आवास वित्त बाजार में समग्र विस्तार एवं स्थिरता को प्रोत्साहित कर रहा है। रा.आ.बैंक की सहक्रियात्मक नीति समर्थन ने आवास वित्त उद्योग की गहनता एवं पहुंच को विस्तारित किया है।

अपनी विनियामक भूमिका को संपूरित करने हेतु रा.आ.बैंक पूरे देश भर के सभी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित जनसंख्या के सभी वर्गों को सेवा देने हेतु अपने उपभोक्ता आधार को भी व्यापक बना रहा है। रा.आ.बैंक के ताजातरीन प्रयासों में सरसाई (भारत सरकार द्वारा समर्थित केन्द्रीय रजिस्ट्री) और एनएचबी रेजीडेक्स एक टिकाऊ बाजार अवसंरचना वृद्धि की दिशा में चरण हैं जो कि बाजार में पारदर्शिता एवं संतुलनीयता को बढ़ाएंगे।

निम्न आय परिवारों की ऋण पात्रता को सुकर बनाने के क्रम में, बैंक ने आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के तत्वावधान में निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास की स्थापना की है।

अपने प्रोत्साहन अधिकार पत्र के एक हिस्से के रूप में रा.आ.बैंक रिवर्स मार्टगेज लोन (आरएमएल) उत्पाद के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के हितों को भी समर्थित कर रहा है।

रा.आ.बैंक आवास वित्त हेतु एशिया–प्रशांत यूनियन की मेजबानी कर रहा है जोकि एशिया–प्रशांत क्षेत्र में वित्तीय संस्थानों, सरकारी निकायों, केन्द्रीय बैंकों तथा सदस्य संस्थानों के बीच ज्ञान की साझेदारी एवं नेटवर्किंग हेतु एक वैश्विक मंच है।

रा.आ.बैंक पूरे देश भर में 11 कार्यालयों के माध्यम से राज्यों में अपनी स्थानीय उपस्थिति को विस्तारित कर रहा है।

रा.आ.बैंक के प्रयासों की विस्तृत जानकारी हेतु, कृपया वेबसाइट www.nhb.org.in को देखें।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

नई दिल्ली (मुख्यालय), अहमदाबाद, बैंगलूरू, चैन्नै, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, भोपाल, भुवनेश्वर, नागपुर,

कवर एवं सज्जा : हाइब्रिड प्रिन्ट प्रा.लि. : 9818651234
मुद्रण तिथि – 31 अक्टूबर, 2013

आवास भारती

वर्ष 12, अंक 48, जुलाई–सितंबर, 2013

संपादकीय

खुद बदलो तो दुनिया बदलेगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का स्वयं वास्तुशिल्पी होता है। वह जैसा चाहता है वैसा ही उसका निर्माण करता है। हालांकि निर्मित करने के बाद कई बार उसे एहसास होता है कि जो उसने निर्मित किया है वह उसे पसंद नहीं आया है और उसमें बदलाव करने के बजाय दूसरों को इसके लिए दोषी ठहराने लगता है। वास्तव में तब तक कुछ नहीं बदलता जब तक की हम खुद को नहीं बदलते। जिंदगी को देखने का चश्मा ही अगर गलत पहना हो तो खूबसूरत रंग बदरंग लगना स्वाभाविक है, फूलों को भी कांटे समझने में देर नहीं लगती। अधिकतर लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के व्यवहार व विचारों की वजह से परेशान व क्रोधित होते रहते हैं और इस तरह वे न केवल अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं, बल्कि बहुमूल्य ऊर्जा भी खर्च करते हैं। अंत में खीझ और झूंझलाहट ही उनके हाथ लगती है।

किसी दूसरे के व्यवहार और सोच को बदलने के लिए किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि जब चाहे जिसे बदला जा सके। लोग चाहते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां कोई और पूरी कर दे। ठीक उसी तरह की सोच कि शहीदे आजम भगतसिंह तो पैदा हों, मगर पड़ोसी के घर। अगर हम वर्तमान व्यवस्था से समरस नहीं हैं तो समझो हम कुछ गलत कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में आपकी व्यवस्था व प्रशासन के साथ तालमेल बैठाकर ही जीना होता है। वहां मनमर्जी नहीं चलती। सही तरीका है कि परिस्थिति से सामंजस्य बिठाया जाए।

राजभाषा से सामंजस्य बैठाने की बात मैं इसी क्रम में कह रहा हूं। अपनी नकारात्मक सोच को आप ही सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं। अपना अनुभव कभी न कभी काम आता है। राजभाषा के प्रगामी प्रयोग हेतु नकारात्मक सोच रखना एक अक्षम्य पाप है। बेहतर है हम ऐसा पाप न करें। खुद विश्लेषण करें कि आने वाली हमारी पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे। यह सच है कि वर्तमान में पालक अपने बच्चों के पैदा होते ही अंग्रेजी में गिटपीटाना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चा जबरदस्ती का डोज पी–पी कर अंग्रेजी परस्त बन जाता है, लेकिन जब वह बड़ा होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज से प्रतिष्ठित होकर व्यवहार प्रारंभ करता है तो उसे भाषाई कठिनाई का सामना करना पड़ता है और तब मातृभाषा और कालांतर में राजभाषा हिंदी का महत्व समझ में आता है। जाहिर है बच्चा आखिर में अपने ही माता–पिता को दोष देगा। मातृभाषा और सार्वजनिक राजभाषा से अलहदा रहने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आप वाणी रहकर भी गूंगे हो जाते हैं।

हमारे देश में 98 प्रतिशत लोग अंग्रेजी नहीं जानते या न के बराबर जानते हैं। दो प्रतिशत लोगों द्वारा बोली जाने वाली आंग्लभाषा ने कहर ढा दिया और हमारे देश में असमानता का जहर भर दिया। भाषाई तौर पर उसे जानने, समझने, पढ़ने, पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं, किन्तु अपनी भाषा की कीमत पर किसी विदेशी भाषा को नंबर 1 का दर्जा देना मातृभूमि के साथ धोखा है। मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि यह अक्षम्य पाप है। आप यह पाप जानबुझकर अपने सिर न ओढ़ें। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है पर इससे फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा पश्चात व्यावहारिक तौर पर विदेशी अंग्रेजी के साथ–साथ अपनी भाषा में काम करना अनिवार्य है। हिंदी को अपना कर अंग्रेजी को पूरी तरह भूल जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेजी भी हिंदी की तरह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दोनों का प्रयोग साथ–साथ करना होगा। सबसे पहले यह व्यवस्था उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों में लागू होनी चाहिए। हमें अपनी भाषा में न्याय मिले। यह बात छोटी सी है मगर हमें समझ में नहीं आ रही है। इस बात को लेकर जन आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। यह बात बनेगी सरकार के निर्देशों पर और वह दिन ज्यादा दूर नहीं जब प्रशासन को आदेश देने होंगे। हमारा आपका सतत प्रयास बेकार नहीं जाएगा। हम जीतेंगे और अवश्य जीतेंगे। राजभाषा हिंदी के सम्मान और गौरव को लौटाने में हम सब एक दूसरे के परस्पर सहायक बने रहें यही मैं सबसे विनती करता हूं। हमें मां काली को प्रणाम कर यही अनुरोध करना है कि वह हर उस रक्तबीज को समाप्त कर दें, जो हिन्दी के उत्थान प्रचार–प्रसार में आड़े आता हो। जय हिन्द। जय हिन्दी।

जी.एन. सोमदेवे
संपादक एवं सहा0 महाप्रबंधक
मो.: 9560900451
email-gnsomdeve@nhb.org.in

आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)
पंजी. संख्याः दिल्ली इन/2001/6138
वर्ष 13, अंक 48, जुलाई–सितम्बर, 2013

विषय सूची

विषय	पृष्ठ सं.
संपादकीय	1
राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार	3
हिन्दी चेतना मास 2013 की झलकियां	6
एक व्यावहारिक आवास नीति की आवश्यकता	9
भारत में हरित भवन (ग्रीन हाउस) हरित आवास/निर्माण क्या है?	12
इन जगहों पर न करें क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल	14
भूमि का कानून और ग्रामीण आवास वित्त	16
धम्मपद	17
भाषायी विविधता को बचाना होगा	18
लोकतन्त्र एवं समाज निर्माण में प्रेस की भूमिका	22
अंधविश्वास की जड़ें	24
धूप–छांव के दो रूप	26
पर उपदेश कुशल बहुतेरे	28
मनुष्य और अध्यात्म	30
मनोविक्षिप्ति	32
फैसले का इंतजार	35
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की दिशा में बड़ी छलांग–मंगलयान	36
प्रौद्योगिकीकरण और दुष्प्रभाव	38
काव्य सुधा	40

प्रधान संरक्षक
राज विकास वर्मा,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
संयुक्त संरक्षक
अर्णव रॉय, कार्यपालक निदेशक
संरक्षक
एन. उदय कुमार, उप महाप्रबंधक
संपादक
जी. एन. सोमदेवे, सहायक महाप्रबंधक
सहायक संपादक
अमर सिंह सचान, राजभाषा अधिकारी

संपादक मंडल
रंजन कुमार बरुन, क्षेत्रीय प्रबंधक
किशोर कुंभारे, क्षेत्रीय प्रबंधक
मोहित कौल, क्षेत्रीय प्रबंधक
राधिका मूना, उप प्रबंधक
रुचि वशिष्ठ, सहायक प्रबंधक
प्रभात रंजन, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए जिम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

कोर–5 ए, 3–5वां तल,
इंडिया हैबिटेट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार

बैंगलूरू में 11–12 जुलाई, 2013 को आवास वित्त पर प्रशिक्षण

यह एक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था। 11 जुलाई, 2013 को प्रतिभागियों के पंजीकरण एवं स्वागत के पश्चात पहला सत्र "भारत में आवास वित्त तथा विनियमन, पर्यवेक्षण तथा आवास वित्त कंपनियों के उन्नयन में राष्ट्रीय आवास बैंक की भूमिका" के बारे में था, जिसे रा.आ.बैंक, प्रतिनिधि कार्यालय बैंगलूरू के प्रभारी अधिकारी एवं प्रबंधक श्री हेम कुमार जी. ने संबोधित किया। आज का दूसरा सत्र आवास ऋण एवं ऋण मूल्यांकन पर था, जिसके अंतर्गत आवास ऋण की प्रक्रिया, ऋण की मात्रा एवं भुगतान क्षमता का मूल्यांकन, ऋणकर्ता की जांच–पड़ताल एवं साक्षात्कार, ऋण संवितरण से पहले सम्पत्ति का सत्यापन आदि के बारे में जानकारी दी गई और इस सत्र को स्टेट बैंक एकेडमी, गुड़गांव के संकाय सदस्य एवं सहायक महाप्रबंधक श्री एन.डी. डुडेजा ने संबोधित किया। भोजनावकाश के पश्चात आज का तीसरा सत्र भी "आवास ऋण–एवं कानूनी मूल्यांकन विषय पर था जिसके अंतर्गत दस्तावेजों का औचित्य, स्वत्व विलेख एवं अन्य दस्तावेजों की पड़ताल, आवास

ऋण हेतु विधि सम्मत दस्तावेज तथा कानूनी मूल्यांकन रिपोर्ट को तैयार करने आदि पर चर्चा की गई और इसे भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक विधि (अवकाश प्राप्त) के मोहनदास न संबोधित किया। आज का चौथा व अंतिम सत्र सरसाई (अर्थात भारतीय प्रतिभूति परिसंपत्ति पुर्न निर्माण एवं प्रतिभूति स्वत्व की केन्द्रीय रजिस्ट्री) पर था जिसे सरसाई के उपमहाप्रबंधक श्री अनिल के. जैन ने संबोधित किया।

इस प्रशिक्षण के अगले दिन 12 जुलाई, 2013 को पहला एवं इस प्रशिक्षण का पांचवा सत्र "आवास ऋण– तकनीकी मूल्यांकन" पर था, जिसमें निर्माण के विभिन्न प्रकारों, निर्माण की प्रगति के अनुसार संपत्ति का मूल्यांकन, प्रत्येक किश्त हेतु ऋण संवितरण का परिकलन (गणना) आदि के बारे में बताया गया। यह सत्र स्टेट बैंक एकैडमी, गुड़गांव के संकाय सदस्य एवं सहायक महाप्रबंधक श्री एन.डी. डुडेजा ने लिया।

प्रशिक्षण का छठवां सत्र हैदराबाद स्टेट बैंक स्टाफ कालेज के (अवकाश प्राप्त) वरिष्ठ संकाय एवं उपमहाप्रबंधक श्री गणश रामामूर्ति ने "परियोजना वित्त–आधारभूत तकनीकें" विषय पर लिया।

आज का तीसरा एवं प्रशिक्षण का सातवां सत्र "वसूली हेतु कानूनी समर्थन" पर था जिसके अंतर्गत मार्टगेज सूट, मनी सूट, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत नीलामी तथा सरफेसी अधिनियम के तहत वसूली आदि की जानकारी दी गई। इसे भारतीय स्टेट बैंक के (अवकाश प्राप्त) महा प्रबंधक विधि श्री के.मोहनदास ने संबोधित किया। प्रशिक्षण का आठवां एवं अंतिम सत्र गैर निष्पादक आस्ति प्रबंध (एनपीए) पर था जिसमें लाभप्रदत्ता पर एनपीए का प्रभाव, विभिन्न प्रकार के चूककर्ता, वसूली में उठाए जाने वाले चरण तथा परस्पर समझौते आदि के बारे में जानकारी दी गई। इस सत्र को हैदराबाद, स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज के अवकाश प्राप्त पूर्व वरिष्ठ संकाय एवं उपमहाप्रबंधक श्री गणेश रामामूर्ति ने लिया।

गुवाहाटी में 25–26 जुलाई, 2013 को ग्रामीण आवास वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

गुवाहाटी में दिनांक 25 एवं 26 जुलाई, 2013 को ग्रामीण आवास वित्त पर एक दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का पहला सत्र स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज के अवकाश प्राप्त वरिष्ठ संकाय एवं उप महाप्रबंधक श्री गणेश रामामूर्ति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा आवास वित्त एवं आवास ऋण के विपणन की व्यापारिक औचित्यता पर लिया। इस प्रशिक्षण का दूसरा सत्र भी आपने ही "आवास ऋण के आवेदन की प्रक्रिया एवं ऋण मूल्यांकन के भाग–1" पर था और आज का तीसरा सत्र भी आपने ही "आवास ऋण आवेदन की प्रक्रिया एवं ऋण मूल्यांकन भाग–2" पर लिया और मूल्यांकन की महत्ता पर प्रकाश डाला। आज का चौथा सत्र भारतीय स्टेट बैंक के अवकाश प्राप्त सहायक महाप्रबंधक श्री एल. राजन ने लिया जिसमें आपने आवास ऋण के दस्तावेजों के लेखीकरण सहित विभिन्न कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डाला।

दिनांक 26 जुलाई, 2013 को प्रशिक्षण का पांचवां सत्र ग्रामीण आवास ऋणों के संवितरण एवं ऋण वसूली पर आधारित था जिसे श्री एल. राजन ने ही संबोधित किया। प्रशिक्षण का छठवां सत्र रा.आ.बैंक के कोलकाता प्रतिनिधि कार्यालय के प्रबंधक श्री नीलाद्रि बोस ने लिया जिसके अंतर्गत आपने ग्रामीण आवास परिदृश्य तथा ग्रामीण आवास बैंकों में प्रयोजनीय रा.आ.बैंक की योजनाओं एवं प्रयासों (पहलों) के बारे में जानकारी प्रदान की।

प्रशिक्षण का सातवां सत्र श्री नीलाद्रि बोस के द्वारा लिया गया जिसमें आपने सरसाई (भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपति पुनर्निमार्ण एवं

प्रतिभूति स्वत्व का पंजीकरण) पर जानकारी एवं उपयोगिता के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण का आठवां एवं अंतिम सत्र प्रश्नोत्तर सत्र के रूप में आयोजित किया गया जिसके दौरान प्रशिक्षण हेतु आए विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न प्रश्न उठाए और अपनी शंका का समाधान प्राप्त किया गया।

वारांगल (आंध्र प्रदेश) में 5 व 6 अगस्त, 2013 को ग्रामीण आवास वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

वारांगल मे 5 एवं 6 अगस्त, 2013 को ग्रामीण आवास वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का पहला सत्र भारतीय स्टेट बैंक कॉलेज के अवकाश प्राप्त वरिष्ठ संकाय एवं उप महाप्रबंधक श्री गणेश रामामूर्ति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा आवास ऋणों का विपणन तथा आवास वित्त की कारोबारी औचित्यता पर लिया गया। प्रशिक्षण का दूसरा सत्र रा.आ.बैंक के बैंगलूरू प्रतिनिधि कार्यालय के प्रभारी श्री हेमकुमार ने लिया जिसके अंतर्गत आपने ग्रामीण आवास परिदृश्य एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों हेतु रा.आ. बैंक की योजनाओं एवं प्रयासों की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण का तीसरा सत्र भारतीय स्टेट बैंक स्टाफ कालेज के अवकाश प्राप्त वरिष्ठ संकाय एवं उप महाप्रबंधक श्री गणेश रामामूर्ति ने लिया, जिसमें आपने ऋण मूल्यांकन तथा आवास ऋण आवेदन की प्रक्रिया के भाग–। पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण का चौथा सत्र भारतीय स्टेट बैंक स्टाफ कालेज के अवकाश प्राप्त संकाय एवं सहायक महाप्रबंधक श्री एल.राजन ने लिया जिसमें आपने कानूनी पहलुओं सहित आवास ऋणों में दस्तावेज अभिलेखन के बारे में परिचर्चा प्रस्तुत की।

अगले दिन 6 अगस्त, 2013 को पहला एवं प्रशिक्षण का पांचवा सत्र भी श्री एस. राजन जी ने लिया और इस सत्र में आपने ग्रामीण आवास ऋण के संवितरण, अनुपालन एवं वसूली पर लिया। प्रशिक्षण का छठवां सत्र–ऋण मूल्यांकन तथा आवास ऋण आवेदन की प्रक्रिया भाग–2 पर लिया गया जिसे स्टेट बैंक स्टाफ कालेज के अवकाश प्राप्त वरिष्ठ संकाय एवं उप महाप्रबंधक श्री गणेश रामामूर्ति ने संबोधित किया। प्रशिक्षण का सातवां सत्र रा.आ.बैंक के बैंगलूरू प्रतिनिधि के प्रभारी एवं प्रबंधक श्री हेम कुमार जी. ने लिया जिसमें आपने "भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति स्वत्व का पंजीकरण (सरसाई) पर जानकारी और महत्ता पर प्रकाश डाला गया। प्रशिक्षण का आठवां एवं अंतिम सत्र प्रश्नोत्तर के रूप में किया गया जहां विभिन्न बैंकों, आवास वित्त कंपनियों एवं ग्रामीण बैंकों के प्रतिनिधियों को विभिन्न आशंकाओं के बारे में समाधान प्रदान किए गए।

हैदराबाद में 7 एवं 8 अगस्त, 2013 को ग्रामीण आवास वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

हैदराबाद में इस प्रशिक्षण का पहला सत्र रा.आ.बैंक के बैंगलूरू प्रतिनिधि कार्यालय के प्रभारी एवं प्रबंधक श्री हेम कुमार जी. ने लिया जिसमें आपने "भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति स्वत्व का पंजीकरण (सरसाई) पर जानकारी और महत्ता पर प्रकाश डाला गया।

प्रशिक्षण का दूसरा सत्र स्टेट बैंक स्टाफ कालेज के अवकाश प्राप्त वरिष्ठ संकाय एवं उप महाप्रबंधक श्री गणेश रामामूर्ति ने लिया, जिसके अंतर्गत आपने क्षेत्रीय ग्रामीण आवास बैंकों के द्वारा आवास ऋणों के विपणन एवं आवास वित्त की कारोबारी उपयुक्तता के बारे में प्रकाश डाला। प्रशिक्षण का तीसरा सत्र रा.आ.बैंक के प्रबंधक श्री हेम कुमार जी. ने लिया जिसमें आपने ग्रामीण आवास परिदृश्य तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए उपयोज्य रा.आ.बैंक की योजनाओं, पहलुओं एवं भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का चौथा सत्र श्री एल. राजन, स्टेट बैंक स्टाफ कालेज के पूर्व संकाय एवं सहायक महाप्रबंधक ने लिया, जिसमें आपने ऋण मूल्यांकन एवं आवास ऋण आवेदनों की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की।

प्रशिक्षण के अगले दिन 8 अगस्त, 2013 को पांचवा सत्र भी एल.राजन ने लिया जिसमें आपने कानूनी मूल्यांकन सहित आवास ऋणों के प्रलेखन पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण का छठवां सत्र संवितरण, अनुपालन एवं ग्रामीण आवास ऋणों की वसूली के बारे में स्टेट बैंक स्टाफ कालेज के अवकाश प्राप्त वरिष्ठ संकाय एवं उप महाप्रबंधक श्री गणेश रामामूर्ति ने लिया।

इस प्रशिक्षण का सातवां सत्र ग्रामीण आवास वित्त के सुअवसर एवं चुनौतियां विषय पर था और प्रशिक्षण का आठवां एवं अंतिम सत्र प्रश्नोत्तर सत्र के रूप में आयोजित किया गया जिसमें ग्रामीण आवास वित्त एवं आवास ऋण से जुड़े विभिन्न प्रश्नों एवं योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।

हैदराबाद में 19–20 अगस्त, 2013 को फुटकर आस्तियां एवं एनपीए (गैर निष्पादक आस्ति) प्रबंधन एवं वसूली पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

19 एवं 20 अगस्त को हैदराबाद में फुटकर आस्तियां तथा गैर निष्पादक आस्तियां तथा गैर निष्पादक अस्तियों के प्रबंधन एवं वसूली पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का पहला सत्र हैदराबाद के स्टेट बैंक स्टाफ कालेज के अवकाश प्राप्त वरिष्ठ संकाय एवं उप महाप्रबंधक श्री गणेश रामामूर्ति ने लिया, जिसमें आपने गहन निगरानी पर विशेष जोर देते हुए संस्तुति के पश्चात की प्रक्रिया की जानकारी प्रस्तुत की। प्रशिक्षण का दूसरा सत्र भी आपने ही लिया जिसमें आपने क्षतिग्रस्त आस्तियां कारण, लक्षण एवं बचावात्मक उपाय: केस स्टडीज पर प्रकाश डाला।

इस प्रशिक्षण का तीसरा सत्र भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ कालेज चैन्ने के संकाय सदस्य एवं महाप्रबंधक श्री बी. शिवकुमार ने लिया, जिसमें आपने आय की मान्यता एवं आस्ति वर्गीकरण नियम

(आईआरएसी) से संबंधित आरबीआई दिशानिर्देशों तथा एनपीए की लाभप्रदत्ता और उसके विषय पर विस्तृत प्रकाश डाला। इस प्रशिक्षण का चौथा सत्र सरसाई (अर्थात – भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्तत्व का पंजीकरण) पर था जिसमें सरसाई की महत्ता एवं कार्यों पर प्रकाश डाला गया। इसे सरसाई के उप महाप्रबंधक श्री अनिल के. जैन ने लिया।

प्रशिक्षण के अगले दिन दिनांक 20 अगस्त, 2013 को पांचवे सत्र में वसूली के साधन – निकट अनुपालन एवं नरम वसूली उपाय – आरबीआई/एनएचबी के दिशानिर्देशों को समझना तथा वसूली एजेंटो की नियुक्ति एवं तदन्तर भूमि का एवं उपायों के बारे में प्रकाश डाला गया/प्रशिक्षण का छठवां सत्र स्टेट बैंक स्टाफ कालेज हैदराबाद के पूर्व संकाय एवं सहा. महाप्रबंधक श्री एस.आर. नागराज ने लिया, जिसमें आपने वसूली के उपायों साधन वसूली प्रविधियां, पीडीसी प्रबंधन/ईसीएस प्रबंधन तथा पुनः चरणबद्ध करना/पुनर्गठन करना आदि पर जानकारी प्रदान की।

प्रशिक्षण का सातवां सत्र ऋण वसूली ट्रयूबनल, सरफेसी एक्ट–कानूनी मामले/एनपीए की वसूली के निर्णयों पर लिया गया जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के विधि विभाग के सहायक कानूनी सलाहकार श्री बी.एस. भोला ने लिया। प्रशिक्षण का आठवां सत्र कैनेरा बैंक के संकाय एवं सहा. महाप्रबंधक श्री जनदिन पी सावकर ने लिए जिसमें आपने धोखाधड़ी के खातो पर आवास ऋणों के एनपीएच एवं रोकथाम उपायों को बारे में जानकारी प्रदान की गई। अंत में सभी अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर विदा किया गया।

इंदौर में 26 एवं 27 अगस्त, 2013 को ग्रामीण आवास वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

इंदौर, म.प्र. में 26 एवं 27 अगस्त, 2013 को ग्रामीण आवास वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का पहला सत्र बैंक आफ इंडिया के संकाय श्री राकेश के. टंडन के द्वारा आवास ऋण मूल्यांकन एवं आवास ऋण आवेदन की प्रक्रिया

भाग–1 विषय पर या इस प्रशिक्षण का दूसरा सत्र भी श्री राकेश के. टडन ने लिया जिसमें आपने उपरोक्त सत्र के भाग–2 पर परिचर्चा की।

प्रशिक्षण का तीसरा सत्र स्टेट बैंक लर्निंग सैंटर के संकाय सदस्य एवं मुख्य प्रबंधक श्री बी.एन डोनेरिया ने लिया जिसमें आपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आवास वित्त की कारोबारी उपादेयता एवं आवास ऋणों के विपणन के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस प्रशिक्षण का चौथा सत्र कानूनी पहलुओं समेत आवास ऋणों में दस्तावेज प्रलेखन पर लिया गया जिसे स्टेट बैंक लर्निंग सेंटर के संकाय एवं मुख्य प्रबंधक श्री जे.साहू ने लिया।

प्रशिक्षण के अगले दिन 27 अगस्त, 2013 को पाचवां सत्र संवितरण, अनुपालन एवं ग्रामीण आवास ऋणों की वसूली पर था, जिसे बैंक ऑफ इडिया के संकाय श्री राकेश के टंडन ने संबोधित किया। प्रशिक्षण का छठवां सत्र रा.आ.बैंक के प्रबंधक एवं भोपाल प्रतिनिधि कार्यालय के प्रभारी श्री सुभाष ने संबोधित किया जहां पर आपने ग्रामीण आवास परिदृश्य एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए उपयोज्य राष्ट्रीय आवास बैंकों की योजनाएं एवं प्रयासों तथा भूमिका पर प्रकाश डाला गया। प्रशिक्षण का सातवां सत्र श्री सुभाष जी ने ही लिया जो सरसाई अर्थात भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निमाण और प्रतिभूति स्वत्व की केन्द्रीय रजिस्ट्री विषय पर था। प्रशिक्षण का आठवां एवं अंतिम सत्र प्रश्नोत्तर सत्र के रूप में था। जिसके तहत विभिन्न प्रतिभागियों की विभिन्न जिज्ञासाओं एवं जानकारी के बारे में जानकारी दी गई।

मुंबई में 26 एवं 27 सितंबर, 2013 को महिला कार्य–पालकों के लिए आवास हेतु बंधक वित्त पर प्रशिक्षण

इस प्रशिक्षण का पहला सत्र 27 सितंबर, 2013 को स्टेट बैंक स्टाफ कालेज हैदराबाद के अवकाश प्राप्त वरिष्ठ संकाय एवं उप महाप्रबंधक श्री गणेश रामामूर्ति ने ऋण मूल्यांकन तथा प्रकार्यात्मक मामले खुदरा आवास वित्त (सहायता) भाग–। पर लिया गया। प्रशिक्षण का दूसरा सत्र भी उपरोक्त विषय के भाग–2 पर श्री गणेश रामामूर्ति के द्वारा ही लिया गया। इस प्रशिक्षण का तीसरा सत्र अपने ग्राहक को जानिए एवं (धोखाधड़ी) धनशोधन निवारण विषय पर था जिसे भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक विधि परामर्शदात्री सुश्री मिनी के. ने संबोधित किया। प्रशिक्षण का चौथा सत्र आवास वित्त में धोखाधड़ी विषय पर था जिसे स्टेट बैंक आफ इंडिया के अवकाश प्राप्त महाप्रबंधक श्री पी.के. खोसला ने संबोधित किया। प्रशिक्षण का पाचंवा सत्र आवास वित्त में धोखाधड़ी करने वालों की चाल–ढाल (बाडी लैंग्वेज) विषय पर था जिसे क्लीनिकल साइकोलोजिस्ट, एसीई प्रा0लि0 की सुश्री सलमा प्रभु ने लिया।

प्रशिक्षण के अगले दिन का पहला एवं प्रशिक्षण का छठवां सत्र आवास परियोजनाओं का मूल्यांकन विषय पर था जिसे हैदराबाद के स्टेट बैंक स्टाफ कालेज से अवकाश प्राप्त वरिष्ठ संकाय एवं सहायक महाप्रबंधक श्री एल. राजन ने संबोधित किया। प्रशिक्षण का सातवां सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक श्री आर.एन. कार्तिकेयन ने लिया। जिसमें आपने निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी योजना के बारे में जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण का आठवां सत्र गैर निश्पादन आस्तियां (एनपी) और किसी संगठन की लाभ प्रदता पर उसके प्रभाव पर था जिसे स्टेट बैंक स्टाफ कालेज, हैदराबाद के वरिष्ठ संकाय एवं सहा. महाप्रबंधक (अवकाश प्राप्त) श्री एल. राजन ने संबोधित किया। प्रशिक्षण का नोवां सत्र सुश्री सलमा प्रभु, क्लीनिकल साइकोलोजिस्ट, एसी प्रा0लि0 ने लिया जिसके अंतर्गत आपने "ग्राहक सेवा की महत्ता तथा विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को संभालना भाग–1 और इसी शीर्षक के भाग–2 पर दसवां सत्र लिया।

हिन्दी चेतना मास 2013 की झलकियां

हिन्दी चेतना मास 2013 की झलकियां

राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा 22 मई, 2013 को दिल्ली बैंक नराकास के तत्वावधान में आयोजित व्यंग्य कविता पाठ प्रतियोगिता की झलकियां

1

एक व्यावहारिक आवास नीति की आवश्यकता

डॉ० जी.एन. सोमदेवे
सहायक महाप्रबंधक

विभिन्न सरकारी योजनाओं के तमाम प्रयासों के बावजूद देश में आवास की समस्या काफी गंभीर है। जहां शहरों की करीब 40 प्रतिशत आबादी मलिन बस्तियों में रहने को विवश है, वहीं ग्रामीण इलाकों में 20 से 25 प्रतिशत पक्के मकान हैं शेष मकान कच्चे या झोपड़–पट्टी वाले हैं। इन घरों में रहने वालों को बरसात एवं मौसम की दूसरी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अध्ययनों से यह भी निकल कर आया है कि आवास की 90% कमी गरीबी रेखा से नीचे वाली आबादी के हिस्से में है। ग्रामीण इलाकों में मध्यवर्ग एवं उच्चवर्ग की अपेक्षा आवास का अभाव गरीब एवं भूमिहीन लोगों के हिस्से में अधिक है।

यहां पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि हमारे देश का अधिकतर इलाका अति वर्षा या बाढ़ आदि से प्रभावित होता है। इसलिए ग्रामीण इलाकों के कच्चे मकान भारी बरसात न झेल पाने के कारण धराशायी हो जाते हैं। कई बार इन कच्चे घरों में बाढ़ का पानी घुस जाता है, नतीजन कच्ची दीवारें कीचड़ बनकर बैठ जाती हैं। अपने देश में हर साल जहां लाखों लोग इन हालातों का शिकार होते हैं, वहीं सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। अनाज, धन–संपति एवं पशु–धन की क्षति का तो कोई आकलन ही नहीं किया जाता है। देश भर के ग्रामीण इलाकों में, खासकर बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश तथा पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में हर साल हजारों–लाखों मकान केवल बरसात में गिरते हैं और वहां के निवासी हर साल उन्हें कच्ची मिट्टी से बनाकर फिर तैयार करते हैं, क्योंकि इनमें अधिकतर गरीब वर्ग से होते हैं अतः ये पक्के मकान बनाने में असमर्थ होते हैं। कच्चा मकान अपनी मेहनत से स्वयं बनाना जहां आसान है, वहीं मजबूरी भी। यद्यपि इंदिरा आवास योजना या राजीव आवास योजना जैसी सरकार की कोशिशें हैं और कई राज्य सरकारों की भी योजनाएं हैं, पर इनसे मिलने वाली आर्थिक सहायता 'ऊंट के मुंह में जीरा' साबित होती हैं। इसके साथ ही भ्रष्ट व्यवस्था इन लाभों का अधिकांश हिस्सा सही लाभार्थी तक पहुंचने ही नहीं देती। उन्हें जो अनुदान सहायता या अन्य सहायताएं प्राप्त होती हैं। वे इस मंहगाई के दौर में एक पक्का कमरा बनाने के लिए भी अपर्याप्त होते हैं। यही सब कारण है कि जहां सरकार के आंकड़ों में तो पक्के आवास है पर यथार्थ में वे भी नहीं हैं।

शहरों की हालात कुछ बेहतर नहीं है। झोपड़ पट्टियों, स्लमों एवं मलिन बस्तियों की हालात सोचनीय है। पतली संकरी, पानी एवं कीचड़ युक्त गलियों में रहने लायक परिस्थितियां न होने के बावजूद लोग रह रहे हैं। प्रायः हर साल शहरों में तेजी से इन स्लम बस्तियों में वृद्धि हो रही है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार न होने या बहुत ही कम होने के कारण लोग शहरों की तरफ आते हैं। जहां पुरुष वर्ग दैनिक मजदूरी कर दो जून की रोटी कमाता है, वहीं उनकी औरतें झाड़ू–पोछा, बर्तन धोने जैसे काम कर दो पैसे जुटाती हैं। शहरी स्लम/झोपड़ पट्टी बस्तियों में इन तमाम विरोधाभासों के बावजूद हर साल इनकी संख्या बढ़ रही है। इसका एक कारण ठोस समग्र आवास नीति की कमी है।

देश में आवास की कमी का एक नतीजा यह भी है कि कई मैट्रो शहरों में लोग सदियों पुराने एवं जर्जर मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली हो या मुम्बई या फिर चेन्नई हो या कोलकाता, इन सभी शहरों में प्राधिकरण के द्वारा जोखिम पूर्ण मकान/इमारत घोषित करने के बावजूद लोग रह रहे हैं। पिछले साल से अब तक इन शहरों में ऐसे कई जर्जर मकान बरसात के दिनों में धराशायी हो गए, जिसमें भारी जानमाल का नुकसान हुआ। हाल ही में मुंबई की इमारत का गिरना या फिर दिल्ली के बाड़ा हिंदू राव इलाके में एक जर्जर इमारत गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। यह कोई पहला मौका नहीं है, जब दिल्ली या मुंबई में ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। जर्जर इमारतों के गिरने से अब तक अनेक लोगों की जानें जा चुकी हैं। यहां जब भी ऐसा कोई

हादसा होता है, थोड़े दिनों तक जबर्दस्त कोहराम मचता है। इसके बाद नगर निगम और पुलिस–प्रशासन से लेकर पूरा सरकारी अमला अचानक सक्रिय हो जाता है। थोड़े दिनों तक खूब कागजी कार्रवाइयां भी चलती हैं। बड़े–बड़े दावे किए जाते हैं। इसके बाद फिर सब ठप हो जाता है। उस वक्त यह बताया जाता है कि अवैध तरीके से किए जा रहे या नियमों की अनदेखी कर किये जाने वाले निर्माण इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। ऐसा कहते समय यह सोचने की जरूरत भी नहीं समझी जाती कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अवैध निर्माण और जर्जर मकान किसी एक शहर या प्रदेश की समस्या हों, ऐसा भी नहीं है। वास्तव में तो यह पूरे देश की समस्या है। देश का शायद ही कोई

ऐसा शहर या कस्बा होगा, जहां बहुत बड़ी संख्या में अवैध रूप से बने घर या पुरानी इमारतें न हों और उनमें भारी संख्या में लोग रह न रहे हों। अधिकतर जगहों पर तो पूरा मुहल्ला ही अवैध रूप से खड़ा होता है।

इस मुद्दे पर कभी सरकारी आंकड़ों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी गई, लेकिन अगर आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो शायद यही पता चलेगा कि भारत में हर साल बहुत बड़ी संख्या में लोग घरों के गिरने से ही अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। कभी बाढ़ के नाते घर गिरते हैं तो कभी तूफान के नाते और कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी इसलिए गिर जाते हैं कि वे जर्जर हो चुके होते हैं। घरों के जर्जर हो जाने के बावजूद लोग उनमें रहते चले जाते हैं। कभी इसकी वजह उनकी मजबूरी होती है और कभी लोभ। एक मकान गिरने से कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई परिवार बेघर हो जाते हैं। इनके पुनर्वास की व्यवस्था कभी बन पाती है और कभी नहीं भी बन पाती है। जिनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था बनाई जाती है, वह भी आधी–अधूरी ही साबित होती है। एक तो पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं की जा पाती है और ऊपर से उसमें से एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है।

राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है और दुखद यह है कि इसके प्रति अधिकांश सरकारों का रवैया बहुत ही लापरवाही भरा होता है। जितना पैसा सरकारें पुनर्वास पर खर्च करती हैं, अगर पहले से योजना बना कर चलें और चरणबद्ध ढंग से नियोजित विकास करते चलें तो शायद यह नौबत ही न आए। लेकिन मुश्किल यह है कि हमारे पूरे देश में कोई व्यवस्थित आवास नीति ही नहीं है। अलग–अलग नगर निगमों, नगरपालिकाओं की अपनी–अपनी नीति है और वह भी न जाने किन के बनाए मानकों के अनुरूप इन्हें मान कर चल रही है। अभी तक हाल यह है कि एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों

में जो भी नगर पालिकाएं विद्यमान हैं, कानूनी रूप से उनके पास कोई शक्ति नहीं होती। यही कारण है कि यहां न तो कोई मकान का नक्शा बनवाता है और न ही कोई यह मानता है कि घर का पानी, जल–मल निकास की व्यवस्था कैसी करनी है। स्थानीय प्रशासन को कोई मतलब नहीं होता, नतीजन बेतरतीब ढंग से कस्बे बसते चले जाते हैं। कई जगहों पर तो घरों के लिए नक्शा पास करने के आधार और तौर–तरीके देख कर ऐसा लगता है, जैसे इसमें अपने शहर या कस्बे की भौगोलिक–आर्थिक स्थितियों का भी कोई खयाल रखने की जरूरत नहीं समझी गई है। चाहे जहां से कुछ भी मिला उस पर कोई विचार किए बगैर मान लिया गया। इसे लागू करने में ऐसा ही अनमनापन बरता जाता है। कहां क्या पालन किया जा रहा है और कहां क्या नहीं, इस पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, इसका अंदाजा देश भर में हो रहे अवैध निर्माण और ढहते मकानों से लगाया जा सकता है।

यह बात बार–बार कही जाती है कि हमारे देश में अवैध निर्माण का एक दस्तूर सा है। छोटे ही नहीं, बड़े शहरों में भी जितने आवास वैध तरीके से बने हुए हैं, उससे कहीं अधिक अवैध तरीके से निर्मित हुए हैं। क्या कभी यह सोचने की जरूरत समझी गई कि ऐसा क्यों है? सच तो यह है कि अगर वैध तरीके से काम किए जा सकें तो अवैध तरीके से कुछ भी करना कोई पसंद नहीं करेगा। इसके बावजूद बहुत बड़ी संख्या में अवैध तरीके से घर बन रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? यह हो रहा है तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कहीं न कहीं नक्शे पास करने के हमारे आधार ही दुरुस्त नहीं हैं। लोग नक्शा पास कराने के झंझट से बचना चाहते हैं न तो उनके पास अधिकृत भूमि होती है और न ही नक्शे पास कराने के पैसे। उस पर हमारे देश में वोट की राजनीति भी इसका एक कारण है जहां प्रशासन जानबूझकर आंखें बंद कर लेता है। यही कारण है कि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में अवैध बस्तियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं।

यदि सरकार और प्रशासन तंत्र चाहता है कि हर चीज विनियोजित ढंग से हो तो इन्हें दो अलग तरीकों से देखा जाना चाहिए। नक्शा पास कराना बिल्कुल आसान प्रक्रिया होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक नाममात्र शुल्क के साथ अपने वैध या अवैध कालोनी या क्षेत्र में बनाए जाने वाले घर का नक्शा बनवा लें। ताकि जब कोई अवैध कालोनी वैध घोषित की जाए तो वहां पर बने मकानों में जल, मल, सीवर, जलापूर्ति एक उपयुक्त तरीके से समायोजित हो सके। लेकिन आज किसी व्यक्ति द्वारा मकान का नक्शा पास कराना बहुत बड़ा काम है। महानगरों में जितने पैसे में लोग अपना एक कमरा व शौचालय बना लेते हैं उतने पैसे केवल नक्शा पास कराने में लग जाते हैं। नक्शों के लिए मानक बनाए जाने के पहले इस बात पर भी गौर नहीं किया गया कि क्या ये मानक स्थान विशेष की प्रकृति और वहां की अधिसंख्य आबादी की आर्थिक–सामाजिक स्थितियों के अनुकूल हैं? या ऐसे ही कुछ भी मान लिया गया? नक्शे पास करने पर जिस तरह शुल्क और कर लगाए जाते हैं, ये व्यावहारिक नहीं हैं। यह बात सोची जानी चाहिए कि भारत जैसे गरीब देश में जहां पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर भी घर बनाना ही बहुत से लोगों के लिए संभव नहीं है, वहां भला लाखों रुपये का टैक्स कोई कैसे चुकाएगा? इन सबके ऊपर नौकरशाही की मार अलग से। एक विंडो प्रणाली एवं

पारदर्शिता के साथ कार्य आगे बढ़ाए जाने चाहिए, न कि चक्कर पर चक्कर लगवाकर परेशानी बढ़ाई जाए।

ये बातें लोगों को कानून तोड़ने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए मजबूर करती हैं। ये जानते हैं कि अगर वे नियमानुसार नक्शा पास कराने गए तो उम्र बीत जाएगी और

नक्शा पास नहीं होगा। नक्शा पास कराने के लिए हर जगह जो दस्तूरी लगती है, उसके बारे में कौन नहीं जानता? इसके अलावा दस्तूरी देकर बिना नक्शे के भी हर शहर में जो लाखों मकान खड़े हैं, उनके बारे में कौन नहीं जानता? क्या यह विश्वास किए जाने लायक है कि ये निर्माण संबंधित क्षेत्र के लिए जिम्मेदार कर्मचारी–अधिकारी यहां तक स्थानीय आवास प्राधिकरण या स्थानीय प्रशासन/सरकार या उनके नेता/मंत्री आदि की जानकारी के बगैर हुए हैं? अगर हां, तो फिर इस तंत्र की आवश्यकता क्या है? कुछ ऐसे अनेक प्रश्न हैं, जिन पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, नीतिकारों, नीतिनिर्धारकों, पैरवीकारों को गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा और देश की वास्तविक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यावहारिक आवास नीति तैयार करनी ही होगी।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत जैसे बड़े आकार, अधिक आबादी और प्राकृतिक–सांस्कृतिक विविधताओं वाले देश के लिए एक जैसी आवास नीति नहीं चल सकती। क्योंकि हर शहर की भौगोलिक परिस्थितियां ही एक–दूसरे से भिन्न हैं। रीति–रिवाजों में भी उत्तर–दक्षिण के बीच बहुत सारे फर्क हैं। इन अंतरों और लोगों की आर्थिक स्थिति पर गौर करते हुए कुछ न्यूनतम निर्देश तय किए जाने चाहिए। घर बनाने के लिए अनुमति लेने और नक्शा पास कराने की प्रक्रिया अभी जितनी जटिल है, वह इतनी जटिल नहीं होनी चाहिए। वह इतनी आसान होनी चाहिए जिससे किसी को भी नक्शा पास करवाने में कोई परेशानी न आए। साथ ही, इसके लिए शुल्क भी ऐसा रखा जाना चाहिए जिसे चुकाना सबके लिए आसान हो। जो मकान रहने लायक न हो, उन्हें जितनी जल्दी संभव हो खाली करवा लिया जाना चाहिए। इससे कम से कम लोग असमय और त्रासद मृत्यु के शिकार तो नहीं होंगे।

पुराने एवं जीर्ण–शीर्ण मकानों/इमारतों के लिए सरकार के पास एक स्पष्ट नीति एवं स्थानीय प्रशासन के लिए दिशा–निर्देश होने चाहिए। सरकार को चाहिए कि ऐसे मकानों को सरकार खाली कराएं और वहां रहने वालों को एक आवास की व्यवस्था करें तथा उस मकान को आर्थिक सहायता देकर बनाने में मदद करें। बाद में सरकार उनके निवास को वापस करें तथा किश्तों में अपनी धनराशि वसूल करें। इन सबके साथ ही सरकार को अपनी आवास नीति में आपदा रोधी एवं भूकंप रोधी तकनीकों एवं प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर जोर देना चाहिए, जिसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं और भवन निर्माण में शामिल इंजीनियरों, वास्तुविदों, नक्शा–नवीशों, राजमिस्त्रियों, शिल्पकारों को प्रशिक्षण आदि अनिवार्य रूप से दिलवाया जाए। ऐसे राजमिस्त्रियों एवं शिल्पकारों को प्रमाण–पत्र देकर, प्रमाणित किया जाए ताकि लोग उनकी सेवाएं प्राप्त कर लाभ उठा सकें। ऐसे प्रशिक्षण ग्रामीण स्तरों पर प्रचुरता के साथ आयोजित किए जाने चाहिए ताकि कुशल कारीगरों/मजदूरों की कमी ना पड़े।

एक व्यावहारिक एवं सरल आवास नीति की दिशा में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर तुरंत कार्यान्वित करने की पहल करनी चाहिए। राज्य सरकारों को सभी महानगरों, नगरों, कस्बों एवं गांवों के लिए न्यूनतम मानदंड तय करने चाहिए जो व्यावहारिक हों और बिना किसी अतिरिक्त लागत या व्यय के अपनाने योग्य होने चाहिए। छोटे कस्बों एवं गांवों के लिए कुछ न्यूनतम बातें जैसे कि शौचालय, स्नानघर एवं जल निकास तथा नालियों आदि के अनुपालन में सरकार की ओर से सब्सिडी आदि का लाभ देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही छोटे कस्बों, नगरों व शहरों में सड़कों की चौड़ाई, पार्क, वृक्षारोपण जैसे पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आज छोटे नगरों व कस्बों में घनी बस्तियां बस गई हैं और वहां की सड़कें संकरी हैं, वृक्षों का अभाव है और पार्क की संकल्पना ही नहीं है, क्योंकि प्राईवेट कालोनाइजर एक–एक इंच भूमि बेच देते हैं। अतः इन लोगों के लिए भी कुछ अनिवार्य अनुपालन तय किए जाने चाहिए। एक व्यावहारिक एवं सरल आवास नीति ही भारत को सही अर्थों में इक्कीसवी सदी में आगे बढ़ाएगी। देश के ज्यादातर लोगों को एक ऐसा सुविधापूर्ण आवास मिल सकता है। जिसमें वह सुकून के साथ रह कर 'अपना घर' होने का गर्व महसूस कर सकें।

नवीन चौधरी
प्रबंधक

भारत में हरित भवन (ग्रीन हाउस)
हरित आवास/निर्माण क्या है?

हरित भवन (इसे हरित निर्माण या टिकाऊ भवन के नाम से भी जानते हैं) को ऐसे निर्माण या संरचना एवं प्रयुक्त प्रक्रिया के रूप में संदर्भित करते हैं जो पर्यावरण अनुकूल एवं संसाधन कुशल होने के साथ इमारत के पूरे जीवन चक्र में कारगर रहते हैं जैसे कि नींव से विन्यास तक, निर्माण, प्रचालन, अनुरक्षण, पुनर्नवीकरण तथा विनष्ट करना आदि। इसमें डिजायन दल, आर्कीटेक्ट्स (वास्तु शिल्पी), इंजीनियरों तथा लाभार्थी आदि के बीच परियोजना के सभी चरणों में गहन समन्वय की आवश्यकता होती है। हरित भवन के निर्माण में अर्थ–व्यवस्था, उपयोगिता, टिकाऊपन तथा सुविधा के साथ वर्गीकृत भवन डिजायन का विस्तार एवं सम्पूरकता निहित होती है।

यद्यपि एक हरित संरचना के निर्माण हेतु वर्तमान व्यवहारों को संपूरित करने के लिए निरंतर नई प्रौद्योगिकियों को विकसित किया जाता है तथापि इसका सामान्य लक्ष्य यह है कि हरित भवन इस प्रकार से विन्यासित हो जो निर्माण पर्यावरण के दुष्प्रभाव को मानव स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक पर्यावरण पर निम्न उपायों के द्वारा कम से कम डालें:

- ऊर्जा, जल तथा अन्य संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग
- उसके निवासियों के स्वास्थ्य का संरक्षण तथा कर्मियों के उत्पादकता को बेहतर बनाएं
- कचरा एवं प्रदूषण घटाएं तथा पर्यावरण के क्षरण को कम करें

इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा निम्नवत परिभाषित किया गया है **"हरित भवन वह है जो एक परंपरागत इमारत की तुलना में कम जल का उपयोग करे, ऊर्जा कुशलता को अधिकतम करे, प्राकृतिक संसाधनों का सरंक्षण करे कम से कम कचरा (अपशिष्ट) पैदा करे तथा उसके निवासियों को स्वस्थ माहौल एवं जगह प्रदान करें"**

"हरित भवन" या स्थाइत्व डिजायन एवं निर्माण, एक अधिक स्वास्थ्यपूर्ण एवं अधिक ऊर्जा कुशल घर तैयार करने के दौरान अपने संसाधनों का अधिक कुशलतापूर्ण प्रयोग का अवसर प्रदान करता है। हालांकि यहां पर ऐसा कोई जादुई फार्मूला नहीं है लेकिन संसाधनों के संरक्षण के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण में सफलता के ये निशान एक आशा की किरण अवश्य पैदा करते हैं। ठीक इसी समय पर हमें अपने निर्माण के लिए संतुलित ऊर्जा कुशलता, लागत प्रभावी, निम्न अनुरक्षण उत्पादों की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, हरित भवन निर्माण में गृह निर्माण एवं टिकाऊ पर्यावरण के बीच एक कुशल संतुलन का निष्कर्ष समाहित रहता है।

बहुत सारे लोगों को पता नही होता है कि प्लास्टिक का सख्त एवं फुलाकर बनाया गया इंसुलेशन (आवेष्टन) या निर्माण तथा भवनों में प्रयुक्त प्लास्टिक प्रायः कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं और परंपरागत सामग्री के अनुप्रयोग की तुलना में कम ग्रीन हाउस गैस पैदा करते हैं।

रबि रश्मी आबासन

कोलकाता में बनाया गया, रबि रश्मी आबासन भारत में पहला पूर्णरूपेण सोलर–विद्युत से समर्थित आवास परिसर है। यह परिसर एक्शन एरिया –ए न्यू टाऊन में 1.70 एकड़ के क्षेत्रफल के प्लाट में बनाया गया है। इसके 58 किलोवाट परियोजना में कोनेर्जी सी 125 डब्ल्यू सोलर माड्यूल की 464 यूनिटों से संघटित 26 फाटोवोल्टैक सिस्टम समाहित हैं। यह सोलर माड्यूल इस प्रकार विनिर्मित किया गया है कि भवन की छत पर फिर बैठे। इसमें प्रत्येक घर 2 किलोवाट बिजली जनित करेगा। इसमें जनित सोलर शक्ति (विद्युत) घरों के लिए अपेक्षित विद्युत की जरूरत को पूरा करेगी और इसमें पैदा हुई अतिरिक्त विद्युत स्थानीय सार्वजनिक ग्रिड को भेजी जाएगी। इसके साथ ही यह भारत का पहला भवन–संयोजित फोटोवोलैटिक (बीईपीवी) परियोजना है। इस भवन संयोजित फोटोवोलैटिक (वीआईपीवी) सिस्टम में प्रत्येक किलोवाट उत्पादित सौर ऊर्जा में 0.5 किग्रा. कार्बन उत्सर्जन बचेगा।

आवासों में पैसिव सोलर आर्कीटेक्चर तथा एक्टिव सोलर सोलर ऊर्जा, दोनों विशिष्टताएं होंगी। इसकी पैसिव सोलर विशिष्टता घर को गर्मियों में ठंडा और प्राकृतिक प्रकाश तथा घर

के भीतर वायु आवागमन बेहतर बनाना सुनिश्चित करेगी। एक्टिव सोलर इनर्जी (सौर ऊर्जा) में सोलर वाटर हीटर प्रणाली भी शामिल है। इसके साथ ही आवास परिसर में अन्य टिकाऊ विशिष्टताएं होगी जैसे कि – कचरा प्रबंधन प्रणाली, निवासियों के लिए बैटरी चालित पिक–अप वैन, (वाहन), सौर पथ प्रकाश तथा सोलर वाटर हीटर प्रणाली के साथ स्वीमिंग पूल।

इस परिसर को संकलपना, डिजायन, इंजीनियर्ड तथा निर्माण कार्य वेस्ट बंगाल रिन्युअल इनर्जी डेवलपमेंट (डब्ल्यूबीआरईडीए) एजेंसी तथा वेस्ट बंगाल डीसीएल के द्वारा किया गया। इसके सोलर फोटो वोलैटिक की स्थापना को इनर्जी ग्रुप के एक ब्रांड सन टेकनिक्स इंडिया के द्वारा किया गया।

मूल्य घटाने हेतु भू–संपदाकारों (रियल्टर्स) की प्रौद्योगिकी में रूचि

पूरे देश भर के भवननिर्माता ऐसी प्रौद्योगिकियों की ओर तेजी से उन्मुख हैं जो तेजी से बढ़ती निर्माण लागत एवं बिक्री में आई गिरावट से राहत दिलाएं। कुल भू–संपदा विकासक प्री–फैबिकेटेड (पूर्व निर्मित) दीवार एवं छतों के निर्माण में निवेश कर रहे हैं तो कुछ ऐसे उपायों को ला रहे हैं जो न केवल निर्माण

की गति को दोगुना कर रहे हैं, बल्कि बहुमूल्य स्टील की आवश्यकता को घटाते हैं।

नोएडा आधारित सुपरटेक नामक बिल्डर ने अपने पड़ोसी उपनगर ग्रेटर नोएडा में लगभग 200 करोड़ रु. एक संयत्र स्थापित करने में निवेशित किए हैं जो मानकीकृत प्री फैब्रिकेटेड दीवारे एवं स्लैबें बनाता है। पूर्व निर्मित (प्री फैब्रिकेटेड) संरचनाओं के उपयोग से महत्वपूर्ण रूप से श्रम की आवश्यकता घटती है। पूर्व निर्मित उत्पादों के उपयोग से जहां विकासकों की लागत में 15–20% की निर्माण लागत घटती है वहीं 40% से अधिक समय की बचत होती है।

मुंबई स्थित लोधा ग्रुप एक अत्यधिक भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है जो कि देरी में कमी लाएगा। मुंबई के उपनगर डोंबीवली की परियोजना में, कंपनी ने हल्के भार के ब्लॉक्स (खंडों) का उपयोग करना प्रारंभ किया है जो कि 15–20% हल्के भार के हैं। जिसके नतीजे में स्टील एवं सीमेंट के उपयोग में 10–20% तक की कमी आई है। यह सीधे–सीधे कंपनी के लाभ में 2–4% की अतिरिक्त बढ़ोत्तरी है।

नियमित ईंटों की तुलना में कम भार के ब्लाक्स इस्तेमाल करने से 6 किग्रा. प्रति वर्ग फुट की अपेक्षा 5 किग्रा. स्टील की आवश्यकता होती है इसमें श्रम की लागत घटने के साथ लगभग 50 रु0 प्रति वर्गफुट की बचत के रूप में प्रतिफल मिलता है। इसके अतिरिक्त नियमित ईंटों की आपूर्ति भी नियमित नहीं होती, विशेषरूप से महाराष्ट्र राज्य में।

पिछले दो वर्षों के दौरान जहां सीमेंट एवं स्टील के मूल्य में 35–40% की बढ़ोत्तरी हुई हैं वहीं श्रम का मूल्य दो गुना हो गया है। इसके साथ ही बिक्री में आई मंदी के कारण लाभ में भी 50% की कमी आई है।

आज के दौर में एक निर्माण परियोजना में श्रम की लागत लगभग 35–40% है चूंकि आज दैनिक अकुशल मजदूरों की दैनिक मजदूरी 200/– रू0 तथा कुशल मजदूरों की दैनिक मजदूरी 500/– रू0 हो गई है जोकि दो साल पहले क्रमशः 100/– रू0 एवं 250/–रू0 थी।

लोधा ग्रुप मुंबई में और सुपरटेक नोएडा में अति उच्च ऊंचाई वाली इमारतें बना रहे हैं जहां पर परंपरागत निर्माण तकनीक में समय एवं लागत में वृद्धि होगी। निर्माण को गति देने हेतु, दोनों भवन निर्माताओं ने शटरिंग प्रौद्योगिकी में निवेश किया है जो एक भवन में स्लैब को 7–8 दिन में पूरा करेगी जबकि परंपरागत प्रविधि में लगभग एक माह के समय की आवश्यकता पड़ती है। नए किस्म की शटरिंग काफी हल्की होती है और एक तल/स्थान से दूसरे तल तक आसानी से ले जाई जा सकती है, जिसके लिए 70% कम श्रम की आवश्यकता पड़ती है।

बैंगलोर स्थित पूर्वांकरा परियोजनाएं अपनी अंदरूनी दीवारों को बनाने में फोम आधारित कंक्रीट का उपयोग करती है, जिनमें सक्षमता आती है और पूरा करने में कम श्रम की जरूरत होती है।

उपरोक्त उदाहरणों के संदर्भ लेते हुए हम कह सकते हैं कि नई प्रौद्योगिकियों यथा प्री फैब्रिकेट (पूर्व निर्मित) अवसंरचनाएं शटरिंग हल्के भार के ब्लाक तथा फोम आधारित कंक्रीट के उपयोग के परिणाम स्वरूप सामग्री एवं श्रम में कमी के साथ–साथ, समय में कमी एवं लाभ में वृद्धि होती है।

प्रारंभ में प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने की लागत महंगी हो सकती है लेकिन बाद में इसके परिणामस्वरूप भारी बचत होती है। प्रारंभ में परियोजना की महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उसके निर्माण की गति को बढ़ा देती है।

इन जगहों पर न करें क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल

रंजन कुमार बरून,
क्षेत्रीय प्रबंधक

आज कल पूरी दुनिया में विपणन, बाजार एवं उपभोक्ता एवं खरीददार की परिभाषाओं में तेजी से बदलाव आ रहा है। पिछले दो दशकों में इंटरनेट एवं क्रेडिट कार्ड के बढ़ते प्रचलन ने तेजी से तस्वीर बदली है। बहुत सारे लोग घर बैठे–बैठे इंटरनेट खरीदारी करते हैं। जबकि बहुत सारे लोग अभी भी परंपरागत रूप से बाजारों मे जाकर माल देखकर, मोलतोल के साथ खरीदारी करते हैं। हां इसमें बदलाव ये आया है कि अब लोग नकदी लेकर साथ नहीं चलते, बल्कि उसके स्थान पर क्रेडिट कार्ड यानि कि प्लास्टिक मनी का उपयोग करते है। हालांकि नकदी की तुलना में जहां ये अधिक सुविधाजनक है वहीं इनके दुरूपयोग के खतरे भी दिनोंदिन बढ़ रहे हैं।

टेक्नोलॉजी एक ओर असंख्य तरीकों से दुनिया की मदद कर रही है, लेकिन दूसरी ओर वह साइबर अपराधों और हैकिंग से दुनिया को असुरक्षित भी बना रही है। शरारती तत्व कुछ ही सेंकड्स में वह जानकारी भी हासिल कर लेते हैं, जिसे लोग पूरी दुनिया से छिपाकर रखना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हें। यह टेक्नोलॉजी के लोगों की जिंदगी पर प्रतिकूल असर के सटीक उदाहरण हैं। क्रेडिट कार्ड ने खरीदारी को आसान तो बनाया है, लेकिन कुछ जगहों पर इससे खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनियां और बैंक ग्राहकों को धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराती है। यह बेहद जरूरी है कि हम क्रेडिट कार्ड से खरीदारी के खतरों को जानें। यहां पर यह भी जानना आवश्यक है कि क्रेडिट कार्ड कहां, कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम इनके प्रति थोड़ी सतर्कता बरतें तो हम इनके माध्यम से होने वाली आर्थिक क्षति से बच सकते हैं।

इन जगहों पर न करें क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल

- **अस्थायी बाजार :** अस्थायी बाजारों में दुकानें भी अस्थायी ही होती हैं। यदि भुगतान से जुड़ा कोई मुद्दा उभरता है तो दुकानदारों को ढूंढना टेढ़ी खीर होती है। इतना ही नहीं, दुकानदारों के पास ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पेमेंट टर्मिनल नहीं होते। ये भुगतान को बाद में प्रोसेस करने के लिए कार्बन कॉपी बना लेते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि सभी के सभी दुकानदार धोखेबाज होते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में लेन–देन असुरक्षित होता है। इस वजह से अस्थायी बाजारों में नगद लेन–देन की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही यदि हाथ में पैसा होगा तो मोल–भाव भी आसान होगा।

- **छोटी दुकानें :** सड़क किनारे चलने वाली छोटी दुकानों पर क्रेडिट कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तुलनात्मक रूप से ज्यादा होते है। इन स्टोर्स पर किए गए लेन–देन का अक्सर क्रेडिट कंपनियां और बैंक खारिज कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड धारकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

- **असुरक्षित ऑनलाइन शॉपिंग :** ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने से पहले विश्वसनीयता जांचने को कॉमन सेंस ही कहा जाएगा। हर प्रतिष्ठित और सुरक्षित ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक एनक्रिप्टेड पेमेंट पेज खुलता है। यह किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी या किसी अन्य वित्तीय संस्थान का हो सकता है। यदि वेबसाइट सिक्योर नजर नहीं आ रही है तो उस पर क्रेडिट कार्ड से लेन–देन कराई न करें। सुरक्षित वेबसाइट एचटीटीपीएस: (*https:*) से प्रारम्भ होती है। इन्हें सिक्योर वेबसाइट माना जाता है।

- **विदेशों में रजिस्टर्ड डोमेन :** यदि किसी व्यक्ति को ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी लगती है तो बेहतर होगा कि वह प्रतिष्ठित, सिक्योर और नेशनल ऑनलाइन का ही इस्तेमाल करें। जैसे कि डॉट कॉम या डॉट इन डोमेन वाली वेबसाइट्स से। यूएस, यूके या आरयू एक्स्टेंशन वाली कुछ साइट्स विश्वसनीय हो सकती है, लेकिन सिर्फ घेरलू ई–कॉमर्स प्लेटफार्म पर क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में ही समझदारी है।

- **वाई फाई या सार्वजनिक कंप्यूटर :** सार्वजनिक कंप्यूटर या वाई–फाई हॉटस्पॉट्स का इस्तेमाल करते हुए क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना भी सुरक्षित नहीं है। साइबर कैफे, लाइब्रेरी, रेस्त्रां, ट्रेन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर क्रेडिट कार्ड से लेन–देन नहीं करना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत जानकारी भी सबमिट नहीं करनी चाहिए।

• **स्मार्टफोन शॉपिंग** : स्मार्टफोन कई मामलों में मददगार है। लेकिन ऑनलाइन लेन–देन में नहीं। यह उतने सुरक्षित नहीं होते हैं। मोबाइल अक्सर असुरक्षित वाई–फाई या डाटा कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में शरारती तत्व स्मार्टफोन में मालवेयर दाखिल कराने में गुल हो जाते हैं और दूर बैठकर स्मार्टफोन की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। इससे, क्रेडिट कार्ड धारकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

टेक्नोलॉजी से जुड़े कई मुद्दों की जानकारी लोगों को नहीं है। ऐसे में उन्हें अक्सर अनजान जगह पर होने का अहसास होता है। टेक्निकल उपकरणों या डोमेन से सुरक्षा की उम्मीद बुद्धिमानी नहीं है। सतर्कता जरूरी है।

इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग अपनी आंखों के सामने करने दें। कई बार, विशेष रूप से पेट्रोल पंप या होटलों/रेस्तरां आदि में वहां के कर्मचारी कार्ड लेकर अंदर जाते है और बिल के अनुसार स्वीप कर पर्ची लाकर साइन कराते हैं। इसी अवधि के दौरान कुछ शरारती तत्व आपके क्रेडिट कार्ड की मेगनेटिक कोड/स्ट्रिप की कापी कर सकते है। कई बार तो इस काम में कुछेक बड़े गिरोह भी शामिल होते हैं।

अखबारों में अक्सर ऐसी खबरें छपती रहती हैं जिनसे पता चलता है कि शरारती तत्वों ने कार्ड का डुप्लीकेट बना लिया और लोगों को लाखों का चूना लगा दिया।

आज के दौर में हम सभी नई तकनीक के साथ चल रहे हैं या चलना चाहते है। इसलिए इंटरनेट, आनलाइन शापिंग तथा क्रेडिट कार्ड आदि का इस्तेमाल करना भी एक अनिवार्य हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन सूचना संचार के युग में जिस तेजी से ऐसे लेन–देन के माध्यमों में अपराध बढ़ रहे है। ये भी हमें सतर्क करने के लिए काफी हैं। आज स्थिति यह बनती जा रही है कि ऐसे अपराध दूसरे देश में बैठकर भी किए जा सकते हैं। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि यहां पर भी कार/मोटर ड्राइविंग जैसी सतर्कता लागू होती है यानि कि "सावधानी हटी और दुर्घटना घटी"। इसलिए हमें अपने क्रेडिट कार्ड आदि के उपयोग में पर्याप्त सावधानी एवं सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि किसी भी आर्थिक क्षति से बच सकें।

राम – राम

विवेक को जगाना हो तो पीपल के पत्ते भी जगा सकते हैं, जगत की कोई घटना भी जगा सकती है, किताब भी जगा सकती है, किसी आदमी को बोलना भी जगा सकता है, किसी आदमी का चुप होना भी जगा सकता है। समझना हो तो चुप भी समझ में आती है, न समझना हो तो बोला हुआ सत्य भी समझ में नहीं आता समाज तो हिंसक है और हिंसा पर ही खड़ा है। अहिंसा का संबंध व्यक्तियों से है। अभी वह दिन दूर है जब कि सभी व्यक्ति अहिंसक हो जाएंगे और समाज होगा वह अहिंसक होगा। समाज का संबंध अभी हिंसा से नहीं है, न अब तक कभी था। आगे संभावना है। कभी होगा, यह पक्का नहीं कहा जा सकता। राम से तो अर्थ है, जिसमें रम गया मन। तो इसाई के लिए जीसस राम है और जैन के लिए महावीर राम है, और बौद्ध के लिए बुद्ध राम है। जब मीरा राम की बात कर रहीं है, तब भी वह कृश्ण की ही बात कर रही है – जिसमें मन रम गया। वह राम की बात नहीं कर रही है, दशरथ के बेटे से उसको कुछ लेना–देना नहीं है।

'ओशो'

भूमि का कानून और ग्रामीण आवास वित्त

आदित्य सौरभ
उप प्रबंधक

एक वाकया है, एकदम व्यक्तिगत अनुभव, झारखंड के दुमका जिले का। बैंक के कोलकाता क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय में, मैं तैनात था। ग्रामीण आवास निधि के संवितरण के संबंध मे वनांचल ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रायोजन मे है के अध्यक्ष महोदय से मिलना हुआ। दुमका जिले के मुख्य निवासी आदिवासी है। शुद्ध ग्रामीण क्षेत्र है। फिर भी अध्यक्ष महोदय ने ग्रामीण आवास निधि में लिये गए ऋण के अग्रेषण मे समस्यायें अनुभव की। ये समस्यायें ऋणधारक की आय से या जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है ग्रामीण क्षेत्र की पात्रता इत्यादि से संबद्ध न थीं। समस्या थी भूमि के कानून की। आदिवासियों के स्वामित्व वाली भूमि का पक्का पंजीकरण नहीं होता। ये जमीनें पट्टे पर होती हैं। पट्टा पर विक्रय विलेख उत्पन्न नहीं हो पाता। अतः पट्टे मार्टगेज (बंधक) इन्स्ट्रूमेंट (उपाय) नहीं साबित हो पाते। इन सब वजहों से ग्रामीण विकास निधि संबंधित चर्चा वनांचल ग्रामीण बैंक से चलायी ना जा सकी। यह तो रही बात आदिवासी स्वामित्व के भूमि या आवासीय अस्तियों की। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास वित्त से संबद्ध अन्य समस्यायें भी है जो भू-कानून संबंधी हैं न की ऋणधारक की आय संबंधित। हर राज्य के भूमि संबंधित कानून अलग है। इसके अलावा ग्रामीण निर्धन-अर्ध-निर्धन के भूमि स्वामित्व संबंधी की समस्यायें है।

उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेश राज्य में जो व्यक्ति 1960 से पहले से रह रहे हैं उनके पास उपयुक्त भू-पंजीकरण नहीं है। इस समस्या से निबटने के लिये मध्य-प्रदेश सरकार ने ऐसे भू स्वामियों को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त 'भू अधिकार प्रमाण पत्र' प्रदान किये है जो कि भू-विक्रय तथा इससे संबद्ध किसी भी वैधानिक प्रक्रिया के लिए मान्य है।

ग्रामीण जनता को आवास वित्त मुहया करवाने के लिए किसी भी तरह की योजना लाने से पहले भूमि कानून संबंधी सुधार अत्यंत आवश्यक हैं अन्यथा योजना का लाभ परिभाषाओं की कमियां खोज कर वह तबका ले जाता हैं जो उस योजना का अन्यतम हकदार नहीं होता है। आवास वित्त योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उचित भूमि कानून सुधार पूर्वापेक्षित है।

हालांकि इस बात से इनकार नही किया जा सकता है कि आज भारतीय बैंक दिन दोगुनी-रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। तथापि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान आई आर्थिक मंदी ने बैंकिंग क्षेत्र को भी पर्याप्त प्रभावित किया है। यद्यपि हम पिछले कुछ वर्षों पर गौर करे तो पाएंगे कि जहां विश्व के विकसित देशों के बैंक अर्थव्यवस्था की मंदी के दबाव में बिखर गए, वहीं हमारे भारतीय बैंक चट्टान की तरह खड़े रहे। साथ ही हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को भी संभाले रखा। आज जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था जब थम सी गयी है, बैंक आज भी लाभदायक अवस्था में हैं। लेकिन अगर हम भारतीय ग्रामीण लोगों कि स्थिति पर नजर डालें तो एक अलग ही तस्वीर नजर आती है।

सन् 1947 मे हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुआ था। तब हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। चूंकि हमारे देश की 70 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर थी, यह निर्णय निस्संदेह रूप से काफी उत्साहपूर्ण था। इस दिशा में गांव-गांव में बैंक भी खोले गए। ताकि ग्रामीण लोगों को वित्तीय सहायता मिल सके। सरकार ने आज़ादी के बाद के सालों में कई योजनाएं बनाईं और ग्रामीण बैंक भी खोले। ये सभी योजनाएं और पहलें कागज़ों पर तो बहुत अच्छी दिखती हैं। लेकिन असलियत यह है कि कागज़ों पर योजनाएं और उन्हें लागू करने में बहुत फर्क है और ये फर्क बढ़ता ही जा रहा है।

आज भी गांव के लोगों को बैंक में खाता खुलवाना बहुत मुश्किल है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा प्रदान कराना इतना आसान काम नहीं है और इसी वजह से अशिक्षित लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्हें बैंक में खाता खुलवाने का अधिकार नहीं है। आखिर सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) खोलने का निर्णय ही गांवों की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही लिया था। उसका उपयोग करना बहुत मुश्किल कार्य है। इन्ही वजह से वो लोग बैंक की सुविधाओं का उपयोग करने से कतराते हैं।

सरकार को चाहिए कि वो ग्रामीण लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए ताकि वो लोग बैंकिंग कार्य के क्षेत्र में शिक्षित हो सकें। उनके लिए बैंक में कुछ ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जाए जो धैर्यपूर्ण हो उनकी बैंकिंग कार्यशैली को समझने में मदद करें।

अंत में ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है सरकार काम नहीं कर रही लेकिन थोड़ा और कार्य करने की जरुरत है। थोड़ा और। सरकार को चाहिए कि वह देखें कि ग्रामीण को ऋण प्राप्त करने में किस तरह से दस्तावेज उपलब्ध कराने में दिक्कतें आती हैं। उन नियमों मे ढील दी जाए या फिर पट्टा विलेख, पंजीकरण या स्वामित्व विलेखों की प्रक्रिया सरल एवं पारदर्शी बनाई जाए ताकि सैकड़ों वर्षों से काबिज किसानों को अपनी जमीन/संपत्ति के दस्तावेज आसानी से प्राप्त हो सकें। उन्हें इन्हें प्राप्त करने के लिए दर-दर भटकना न पड़े और न ही सरकारी बाबुओं के कुचक्रों का शिकार होना पड़े।

यदि ऐसा नहीं किया जाता तो हमारा ग्रामीण समाज विकसित होती अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने से वंचित रह जाएगा और ग्रामीण स्तर पर खोले जानेवाले बैंकों की भूमिका भी समावेशी विकास की संकल्पना एवं धारणा को असली जामा देना अधूरा ही रह जाएगा।

धम्मपद

श्रीमती उमा सोमदेव

धम्मपद बौद्ध साहित्य का सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध के नैतिक उपदेशों का संग्रह यमक, अप्पमाद, चित्त आदि 26 वग्गों (वर्गों) में वर्गीकृत 423 पालि गाथाओं में किया गया है। त्रिपिटक में इसका स्थान सुत्तपिटक के पाँचवें विभाग खुद्दकनिकाय के खुद्दकपाठादि 15 उपविभागों में दूसरा है। ग्रंथ की आधी से अधिक गाथाएँ त्रिपिटक के नाना सुत्तों में प्रसंगबद्ध पाई जा चुकी हैं। कुछ गाथाएँ ऐसी भी प्रतीत होती हैं जो मूलतः परंपरा की नहीं थीं, किंतु भारतीय ज्ञान के उस अपार भंडार में से ली गई हैं जहाँ से वे उपनिषद, गीता, मनुस्मृति, महाभारत, जैनागम एवं पंचतंत्र आदि कथा कहानियों में भी नाना प्रकार से प्रविष्ट हुई हैं। धम्मपद की रचना उपलब्ध प्रमाणों से ई.पू. 300 व 100 के बीच हो चुकी थी, ऐसा माना गया है।

महत्व– बौद्ध संघ में इस ग्रंथ का इतना गहरा प्रभाव है कि उसमें पारंगत हुए बिना लंका में किसी भिक्षु को उपसंपदा प्रदान नहीं की जाती। धम्मपद का व्युत्पत्तिगत अर्थ है धर्मविषयक कोई शब्द, पंक्ति या पद्यात्मक वचन। ग्रंथ में स्वयं कहा गया है– अनर्थ पदों से युक्त सहस्रों गाथाओं के भाषण से ऐसा एकमात्र अर्थपद, गाथापद व धम्मपद अधिक श्रेयकर है जिसे सुनकर उपशांति हो जाए (गा. 100– 102)। बौद्ध साधु प्रायः इसी ग्रंथ की किसी गाथा या उसके अंशमात्र का आधार लेकर अपना प्रवचन आरंभ करते हैं, जिस प्रकार ईसाई पादरी बाइबिल के किसी वचन से। इस कार्य में उन्हें धम्मपद की अट्ठकथा नामक टीका से बड़ी सहायता मिलती है जिसमें प्रत्येक गाथा के विशद् अर्थ के अतिरिक्त उसके दृष्टांत स्वरूप एक व अनेक कथाएँ दी गई हैं। यह अट्ठकथा बुद्धघोष या उनके कालवर्ती किसी अन्य आचार्य द्वारा त्रिपिटक में से ही संगृहीत की गई है। अन्य विद्वानों ने भी जिसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, उसमें सामान्य व्यावहारिक नीति के अतिरिक्त कैसा तत्वचिंतन उपस्थित किया गया है, इसकी स्वभावतः जिज्ञासा होती है। ग्रंथ में बौद्धदर्शनसम्मत त्रिशरण, चार आर्यसत्य तथा अष्टांगिक मार्ग का तो उल्लेख है ही (गा. 190–192), किंतु उसमें आत्मा, निर्वाण, पुनर्जन्म, पुण्य–पाप या स्वर्ग नरक आदि ऐसी बातों पर भी कुछ स्पष्ट विचार पाए जाते हैं। यहाँ स्वयं भगवान बुद्ध कहते हैं, "मैं अनेक जन्मों रूप संसार में लगातार दौड़ा और उस गृहकारक शरीर के निर्माता को ढूंढता फिरा, क्योंकि यह बार–बार का जन्ममरण दुःखदायी है। रे गृहकारक, अब मैंने तुझे देख लिया, अब तू पुनः घर न बना पायेगा। मैंने तेरी सब कड़ियों को भग्न कर डाला, गृहकूट बिखर गया, चित्त संस्कार रहित हो गया और मेरी तृष्णा क्षीण हो गई" (गा. 153–54) यहाँ एक जीव और उसके पुनर्जन्म तथा संस्कार व तृष्णा के विनाश द्वारा पुनर्जन्म से मुक्ति की मान्यता सुस्पष्ट है। मोक्ष का स्वरूप एवं उसे प्राप्त करने की क्रिया का यहाँ इस प्रकार वर्णन है– "जिनके पापों का संचय नहीं रहा या जिनका भोजनमात्र परिग्रहशेष रहा है, तथा आस्रव क्षीण हो गए हैं, उनको यह शून्यात्मक व अनिमित्तक मोक्ष गोचार है (गा. 92–93)। यहाँ पापबंध के कारणों, आस्रवों तथा संचित कर्मों के क्षय से मोक्षप्राप्ति मोक्ष के शून्यात्मक और अनिमित्तक स्वरूप का विधान किया गया है। "कोई पापकर्मी गर्भ से मनुष्य या पशुयोनि में उत्पन्न होते हैं, कोई नरक हो, और कोई सुमति द्वारा स्वर्ग को जाते हैं, तथा जिनके आस्रव नहीं रहा वे परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। अंतरिक्ष, समुद्र, पर्वतविवर आदि जगत् भर में ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहाँ जाकर पापी कर्मफल पाने से छूट सके" (गा. 126–27) "असत्यवादी पापी और असंयमी कषायधारी भिक्षु प्रमादी, परदारसेवी, मिथ्यादृष्टि आदि सब नरकगामी हैं" (306–09)। यहाँ जीव की गर्भ योनि, नरक, स्वर्ग व मुक्ति इन गतियों तथा कर्मफल की अनिवार्यता की स्वीकृति में संदेह नहीं रहता। ब्राह्मण का स्वरूप एक पूरे वग्ग (गा. 303–423) में बतलाया गया है, जो ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। जाति, गोत्र, जटा तथा मृगचर्म मात्र से एवं भीतर मैला रहकर बाहर मल मलकर स्नान करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। मैं तो ब्राह्मण उसी को कहूँगा जो कामतृष्णा का त्यागी, अनासक्त, अहिंसक, मन–वचन–काय से पापहीन, रागद्वेष मान से रहित, क्षमाशील, ज्ञानी, ध्यानी, क्षीणास्रव अर्हत है।

विभिन्न रूप– बौद्धधर्म विभिन्न संप्रदायों में बँटा, एशिया महाद्वीप के नाना देशों में फैला है। स्वभावतः देशकाल की सुविधानुसार उसके साहित्य ने भी विविध भाषात्मक रूप धारण किए। इस परिस्थिति में बौद्ध धर्म का यह प्रधान ग्रंथ भी एक रूप नहीं रह सका। उसके नाना रूपों में से एक का पता मध्य–एशिया के खुतान नामक प्रदेश में चला। वहाँ सन् 1892 में एक फ्रांसीसी यात्री को खरोष्ठी लिपि में लिखित धर्म ग्रंथ का कुछ अंश मिला। उसी का दूसरा अंश पेत्रोग्राद पहुँचा। इन दोनों के मिलाकर सेनार्ट साहब ने सन् 1897 में उसका संपादन प्रकाशन किया। यही ग्रंथ अधिक व्यवस्थित रूप में बरुआ और मित्र द्वारा संपादित होकर सन् 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ। इन संपादकों के मतानुसार इस धम्मपद की भाषा गांधार प्रदेश की है, और वह अपनी ध्वनियों और भाषात्मक स्वरूप में अशोक की शहबाजगढ़ी व मनसेहरा वाली प्रशस्तियों की भाषा से मेल खाती है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम "प्राकृत धम्मपद" रखा गया है। इसमें 12 वग्ग और 251 गाथाएँ हैं।

सेनार्ट द्वारा संपादित संस्कृत महावस्तु के तृतीय परिच्छेद में धम्मपद–सहस्सवग्ग (धर्मपदेसु सहस्र वर्गः) के 24 पद्य उद्धृत किए गए हैं। जबकि पालि त्रिपिटक के सहस्सवग्ग में कुल 16 गाथाएं ही हैं।

चीनी भाषा में धम्मपद के चार अनुवाद मिलते हैं, जिनमें से एक में 500, दूसरे में 700, तीसरे में 900 और चौथे में लगभग 1000 गाथाओं का अनुवाद है और उनकी अट्ठकथाएँ पाई जाती हैं। इनमें से प्रथम तीन का रचनाकाल ईसा की तीसरी शती व चतुर्थ का चौथी व नौवीं शतियों के बीच प्रमाणित होता है। इन चारों के मूल ग्रंथ उनके वर्गों तथा गाथाओं की संख्या एवं क्रम में बहुत कुछ स्वतंत्र रहे होंगे। इन चार में पालि एवं प्राकृत के उक्त दो रूपों को मिलाने से धम्मपद के कम से कम छह संस्करण हमारे संमुख आते हैं, जिनका प्रचार ई.पू. से लेकर 18वीं शती तक लंका, बर्मा, मध्य एशिया तथा चीन देशों में हुआ पाया जाता है।

भाषायी विविधता को बचाना होगा

सौरभ शेखर झा
अनुवादक एवं पत्रकार

यूनेस्को के एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरंक्षण के प्रयास नहीं किए गए तो, इस सदी के अंत तक विश्व में 6000 से ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से आधी के करीब खत्म हो जाएंगी। इन भाषाओं के मिटने के साथ न केवल विचारों–भावनाओं के आदान–प्रदान के कई माध्यम हमेशा के लिए मिट जाएंगे, बल्कि इसके

साथ कई संस्कृतियां भी मात्र अतीत बन कर रह जाएंगी।

भाषायी विविधता आज पूरी दुनिया में विचार–विमर्श का विषय है, क्योंकि सभी जीवित भाषाओं में से एक बड़ा भाषायी हिस्सा अपने अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा है। भारत के लिए इस मुद्दे का विशेष महत्व है, क्योंकि सांस्कृतिक बहुलता और भाषायी विविधता भारत की पहचान और गौरव है। यहां अंग्रेजी (सहयोगी आधिकारिक भाषा) के साथ साथ संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार 1652 बोलियां और भाषाएं, उपभाषाओं के साथ भारत भाषायी विविधता की महत्वपूर्ण शरणस्थली है।

हालांकि भारत भी इस मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। युनेस्को के अनुसार भारत की 190 भाषाएं एवं बोलियां लुप्त होने की कगार पर हैं और पांच तो लुप्त हो ही चुकी हैं। भारत में भाषाओं और बोलियों की बड़ी संख्या के मद्देनजर अगर यह स्थिति भयावह नहीं है, तो संतोषजनक भी नहीं है। वस्तुतः भारत की लोकभाषाएं और बोलियां ही नहीं, संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं भी अंग्रेजी और तकनीकी बदलावों के आगे दम तोड़ती प्रतीत हो रही हैं।

किसी भी भाषा के अस्तित्व और विकास के संदर्भ में तीन महत्वपूर्ण निर्णायक हैं, सरकारी कामकाज में प्रयोग, आर्थिक–शैक्षणिक क्षेत्र में संबंधित भाषा का महत्व और मीडिया। इन तीनों ही क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी की ताकत और तकनीकी प्रगति के साथ सामंजस्य बैठाने में विफलता के चलते गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आज भारत में, सत्ता की भाषा अंग्रेजी है, आजादी के बाद भी सरकारी कामकाज में इसके प्रयोग में कोई कमी नहीं आई है। भारतीय भाषाएं केवल अनुवाद तक ही सिमटी हैं, मूल कार्य की भाषा अंग्रेजी ही है।

जो थोड़ी बहुत जगह स्वदेशी भाषाओं के विकास के लिए बची थी, वह भी संकीर्ण राजनीतिक हितों, क्षेत्रीयता एवं भारतीय भाषाओं के आपसी झगड़ों की भेंट चढ़ गई है। देश में एक ऐसी स्थिति बन गई है, जहां भारतीय मूल की भाषाएं परस्पर विकसित होने तथा एक–दूसरे को समृद्ध करने के बजाय एक–दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। ज्यादातर दक्षिणी राज्य हिन्दी को दूर रखने के लिए अंग्रेजी को सरकारी और शैक्षिक भाषा के रूप में अपने–अपने राज्यों में लागू कर रहे हैं। इस तरह भारतीय मूल की भाषाओं के आपसी झगड़े भी उन्हें रसातल की तरफ ले जा रहे हैं।

भाषा का अर्थशास्त्र भी भारतीय भाषाओं को नुकसान की स्थिति में डाल रहा है। आजादी से पहले, अंग्रेजी शासकों की भाषा थी। अंग्रेजी का ज्ञान आर्थिक समृद्धि का एक जरिया था। आजादी के बाद भी, तस्वीर ज्यादा नहीं बदली। अंग्रेजी अभिजात्य वर्ग और जो लोग नव स्वतंत्र देश के संरक्षक थे, उनकी भाषा बनी रही। वैश्विक अर्थव्यवस्था के युग ने अंग्रेजी का ज्ञान रखने वालों को और भी व्यवहारिक और परिस्थितिक बढ़त दे

दी। नौकरी चाहे सरकारी हो या निजी, अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी है, भारत की भाषाओं में चाहे उम्मीदवार निरा कोरा हो। शिक्षा के क्षेत्र में भी बोलबाला विदेशियों की भाषा का ही है। उच्च शिक्षा, शोध और शैक्षणिक प्रकाशनों के मामले में देशी भाषाओं की उपस्थिति तो जिक्र करने के लायक भी नहीं है। हालात यह है कि अंग्रजी का वर्चस्व प्रमुख भारतीय भाषाओं को जहां नेपथ्य पर धकेल रहा है, वहीं लोकबोलियों पर तो अस्तित्व का संकट ही बन गया है.

भारतीय मूल की भाषाओं के लिए चुनौती मीडिया में भी है। इन भाषाओं की अखबारों, पत्र–पत्रिकाओं और प्रकाशनों की संख्या निश्चय ही संतोषजनक है, दिक्कत इंटरनेट और कंप्यूटर के क्षेत्र में है। संचार के आधुनिक युग में कंप्यूटर और इंटरनेट संचार, ज्ञान संग्रह और ज्ञान के आदान–प्रदान के प्रमुख साधन बन गए हैं, लेकिन यहां पर भारतीय भाषाओं की उपस्थिति नगण्य है। कुछ प्रमुख भारतीय भाषाओं को छोड़कर अधिकांश भारतीय भाषाओं का कम्प्यूटर एवं इंटरनेट पर इस्तेमाल करने पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

यहां तक कि हिन्दी, तामिल तथा बांग्ला जैसी प्रमुख भारतीय भाषाओं के मामले में भी, जिनके लिए कंप्यूटर से संबंधित समस्याओं का समाधान काफी हद तक किया गया है, एक नई दिक्कत फिर से सामने आ गई है जब हम मोबाइल फोन, टेबलेट और स्मार्ट फोन का संचार एवं इंटरनेट के लिए बढ़ते इस्तेमाल पर विचार

करते हैं। ज्यादातर युवा इंटरनेट के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर के विपरीत मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं अपने फोन पर भारतीय भाषाओं के उपयोग के लिए सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंस्टालेशन खुद नहीं कर सकते हैं।

यह सिर्फ मोबाइल फोन की निर्माता कंपनियां ही कर सकती हैं. इस संचार माध्यम में भारतीय मूल भाषाओं का न होने का मतलब उस सामाजिक वर्ग से दूर रहना है जो भविष्य में भाषा की विरासत का सबसे महत्वपूर्ण वाहक है। फेसबुक और ट्विटर के युग में, इसका मतलब भारतीय भाषाओं के लिए खतरे की घंटी है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि आनेवाले समय में बहुत सारी भाषाएं या बोलियां बोलचाल तक ही रह जाएंगी और उनकी लिपि एवं वर्णमाला समाप्त हो जाएगी, उसके स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग होगा। जैसा कि आज–कल हो रहा है। इमेल, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर आदि पर इसका बोलबाला बढ़ रहा है।

बहरहाल समस्या का रेखांकन करना हमेशा एक आसान काम होता है, असली चुनौती समाधान ढूंढने में निहित है। यदि भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी और तकनीकी चुनौतियों से पार पाना है तो सरकार, भाषा विशेषज्ञों, प्रकाशकों और अन्य हितधारकों को इस तरफ लक्षित प्रयत्न करने होंगे। जो देश सॉफ्टवेयर निर्यात में विश्व में अग्रणी स्थान रखता हो वहां स्थानीय भाषाओं के कम्प्युटर और मोबाइल पर इस्तेमाल की दिक्कतों को दूर करना बड़ी चुनौती नहीं है। जहां तक भारतीय भाषाओं के आपसी वैमनस्य का सवाल है, इसे सांस्कृतिक आदान–प्रदान और भाषायी मामलों में संबंधित राज्यो को स्वतंत्रता देकर हल किया जा सकता है।

अगर विभिन्न राज्यों को यह विश्वास दिला दिया जाए कि केंद्र का किसी भी राज्य पर न तो कोई विशेष भाषा थोपने का इरादा है, न ही यह किसी भाषा से इसका विरोध है, तो स्थिति में सुधार आ सकता है। भारतीय मूल की विभिन्न भाषाओं के रचनाकार एवं लेखक भी एक–दूसरी भाषाओं से शब्द लेकर अपनी भाषाओं का शब्दकोश समृद्ध करने के साथ–साथ इन भाषाओं को भावनात्मक तौर पर करीब ला सकते हैं। जहां तक अंग्रेजी का सरकारी, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में वर्चस्व का सवाल है, उसे सरकारी नीतियों में सकारात्मक परिवर्तन लाकर ही हल किया जा सकता है।

अखबारों के पाठकों पर हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्र प्रसार में अंग्रेजी के अखबारों से कहीं आगे हैं। प्रमुख समाचार पत्रों और प्रमुख प्रकाशकों की साइबर दुनिया

में प्रभावी उपस्थिति है। ऑनलाइन माध्यमों पर भी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध सामग्री को खूब देखा और डाउनलोड किया जा रहा है। जरुरत इस बात की है कि सामान्य लोग खुद भी भारतीय भाषाओं में सामग्री को अपलोड कर सकें। इसके लिए जागरूकता बढ़ाने और तकनीकी दिक्कतें दूर करने की जरूरत है। यदि ऐसा किया जाता है तो फेसबुक–ट्विटर आदि पर भी स्थानीय भाषाओं की सशक्त उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है।

हमें दूसरे देशों में नया क्या रचा जा रहा है, कौन सी नई किताबें आई हैं, इसकी जानकारी विस्तार से है, लेकिन हमारे अपने देश की भाषा, बोलियों में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। धीरे–धीरे हम अपनी भाषा के शब्द भी भूलने लगे हैं। एक वरिष्ठ गांधीवादी नारायण भाई देसाई ने कहा है कि "वस्त्र से जुड़े सौ से अधिक शब्द इस्तेमाल ना होने की वजह से लुप्त हो गए।"

'क्या हुआ अगर एक भाषा खत्म हो गई
वह अपने झूठ और सच के साथ दफन हो गई,
शब्द नहीं रहे, दुनिया बढ़ती रही
बोआ (अंडमान की महिला) की दुनिया की खातिर,
कहीं कोई नहीं रोया।

बाबुई और अर्जुन जाना की यह कविता उस 85 वर्षीय अंडमानी महिला बोआ को समर्पित है, जो अंडमान में बोली जाने वाली दस भाषाओं में से एक बो भाषा की अन्तिम जानकार थीं। बीती जनवरी की छब्बीस तारीख को दो साल पूरे हो गए, बोआ की मृत्यु को। बोआ का जाना सिर्फ एक महिला का जाना नही था, उसके साथ–साथ मानव सभ्यता की 65000 साल पुरानी संस्कृति का ज्ञान भी चला गया। भाषा वैज्ञानिकों के पास इस भाषा से जुड़े तमाम अनुसंधान तो हैं, लेकिन उसे संवाद के स्तर पर लाने वाली अन्तिम माध्यम अब हमारे बीच नहीं रही।

एक अनुमान के अनुसार देश के 96 प्रतिशत लोग सिर्फ 4 प्रतिशत भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। बाकी के 96 प्रतिशत भाषाओं की आवाज दिल्ली तक पहुंच भी नहीं पाती।

एक अनुमान के अनुसार पूर्वोत्तर भारत की भाषा/बोलियों में लगभग दो सौ ऐसी किताबें लिखी गई हैं, जो ऐतिहासिक महत्व की हैं, लेकिन विश्व साहित्य पर अध्ययन करने वाले दुनिया के दूसरे देशों के साहित्य पर घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन उनसे अपने देश की अलग–अलग भाषाओं मसलन गुजराती, मराठी, उड़िया, बांग्ला या फिर असमिया, गारो में लिखी गई महत्वपूर्ण किताबों की जानकारी मुश्किल से मिलेगी। हमें दूसरे देशों में नया क्या रचा जा रहा है, कौन सी नई किताबें आई हैं, इसकी जानकारी विस्तार से है, लेकिन हमारे अपने देश की भाषा, बोलियों में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। धीरे–धीरे हम अपनी भाषा के शब्द भी भूलने लगे हैं।

इसी तरह हम अंग्रेजी के प्रभाव में आकर अपने कई शब्दों को भूल रहे हैं। चूंकि हमारा समाज रिश्तों को महत्व देने वाला समाज रहा है। रिश्तों को जीने वाला समाज रहा है। यहां माता–पिता से संबंधित बीस से अधिक रिश्ते ऐसे हैं, जिनके लिए अंग्रेजी में कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। बो की तरह एक–एक करके हमारी भाषाएं खत्म हो रही हैं। बो की तरह उन भाषाओं के खत्म होने की जानकारी भी हम तक नहीं आती। 1961 की जनगणना में 1652 मातृ भाषाओं की सूची बनी थी, जो 1971 में घटकर 109 रह गई। 1971 की जनगणना में जिन भाषाओं को बोलने वाले दस हजार से कम लोग थे, सरकार ने उन्हें गिनना भी मुनासिब नहीं समझा और ऐसी सभी भाषा एवं बोलियों को 'अन्य' की एक श्रेणी में डाल दिया। फिर एक के बाद एक भाषा/बोलियां खत्म होती रहीं, लेकिन किसे परवाह है?

यहां पर एक बात यह भी समझने की है कि हम तथाकथित विकास एवं शहरीकरण की दौड़ में भी कई स्थानीय भाषाओं और बोलियों की जाने–अनजाने बलि चढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आकर बस रहे हैं वे अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा को छोड़कर उस भाहर की मानक भाषा अपना लेते हैं, क्योंकि उसी भाषा में उनका काम और रोजगार होता है, फलतः वे अपनी मूल भाषा भूलने लगते हैं। अगली पीढ़ी के आने पर उनके बच्चे उसी शहर की भाषा बोलने लगते हैं और अपने मूल निवास की भाशा को जानते तक नहीं हैं क्योंकि एक भाषा उसके दैनिक उपयोग से सीखी जाती है और निरंतर उपयोग से कुशलता आती है। ऐसे लोगों को अपनी मूलभाषा के कुछ शब्द केवल बोलने आ सकते हैं पर लिखना नहीं आता, क्योंकि लिखने पढ़ने की सुविधा ही नहीं मिलती है। इस समस्या के पीछे निहित भाव को भी ध्यान में रखकर शहरीकरण एवं विकास किया जाना चाहिए। एक प्रजातांत्रिक देश में यह सलाह क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा देती दिख सकती है, पर यदि भाषाओं/बोलियों को बचाना है तो शहरों में कालोनियों का आवंटन भाषा एवं संस्कृति के आधार पर किया जाना

चाहिए, ताकि वे सामूहिक रूप से अपनी भाषा एवं संस्कृति के अस्तित्व को बचा सकें। हमें यह जरूर याद रखना चाहिए कि कोई भी संस्कृति एवं भाषा एक दिन में नहीं, बल्कि सैकड़ों व हजारों सालों में विकसित एवं पल्लवित होती है। भाषा एवं संस्कृतियों की क्षति अपूरणीय है, जिन्हें किसी विकल्प से कभी भी नहीं पूरा किया जा सकेगा।

भाषा का महत्व एक व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, इसकी एक मिसाल सोमानी कुरोरी हैं, जो बुडापेस्ट के पास के एक गांव से अपनी भाषा, बोली, संस्कृति को ढूंढता हुआ अपने पूर्वजों के गांव भारत आया था। कोलकाता, तिब्बत की उसने खाक छानी और यात्रा के दौरान ही उसकी मृत्यु दार्जिलिंग में हुई। एक दूसरा उदाहरण 'द इंडिजेनस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएशन' का है, जो लेप्चा भाषा की सरकारी उपेक्षा के बाद, अपनी संस्कृति से कट रहे लेप्चा बच्चों को अपनी मातृभूमि और मातृभाषा से जोड़ने के लिए बनी। आज यह संगठन आपसी मदद से 40 रात्रि स्कूल चला रहा है। 18 महीने के पाठ्यक्रम में लेप्चा बच्चों को यहां अपनी भाषा, पारंपरिक नृत्य, पारंपरिक वाद्य यंत्र, लोक कथाएं और लोकगीत से परिचय कराया जाता है। इसके लिए प्रतिदिन दो घंटे का समय बच्चों को स्कूल से अलग देना होता है। इस बात को अनुभव और अध्ययन से समझा गया है कि उन क्षेत्रों में भाषायी विविधता अधिक होगी, जहां जैविक विविधता होगी। जैसे नागालैण्ड में एक क्षेत्र के लोगों की भाषा दूसरे क्षेत्र में रहने वाले मुश्किल से समझ पाते हैं। आदिवासी समाज और हमारे गांवों में बड़ी संख्या में ऐसी भाषा, बोलियां हैं, जिन्हें वे बरतते हैं, लेकिन उनके पास ना उसकी लिपि है और ना उनके पास उस भाषा, बोली का नाम है।

प्राकृतिक विविधता से, सांस्कृतिक विविधता का और सांस्कृतिक विविधता से भाषायी विविधता का गहरा रिश्ता है। यदि इस रिश्ते को आप समझते हैं तो यह समझना आपके लिए आसान है कि भाषा और बोली का मामला सीधा–सीधा जल, जंगल, जमीन से जुड़ता है। वैसे ही जैसे शेर बचाओ मुहिम को जंगल बचाने के लिए भी काम करना होगा, क्योंकि जंगल को खत्म करके हम शेर के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही भाषायी विविधता को बनाए रखने के समर्थन में खड़े लोगों को जल, जंगल, जमीन की भी वकालत करनी होगी, क्योंकि हमने इस देश को यदि कंक्रीट का जंगल बना दिया गया तो भाषायी विविधता नहीं बच पाएगी।

रक्तबीज

शुंभ और निशुंभ के साथ मिलकर रक्तबीज नामक असुर राक्षस ने मां दुर्गा से लड़ाई की। रक्तबीज की विशेषता थी कि जहां भी उसके खून की बूंद जहां गिरती वहीं एक रक्तबीज नवनिर्मित हो जाता था। उन सभी रक्तबीजों का नाश करने हेतु मां दुर्गा के एक नए रूप में मां काली का जन्म हुआ जिसने अपनी जीभ से रक्त के हर बूंद को पीया और इस तरह रक्तबीज राक्षस का नाश हो सका। समाज में रक्तबीजों के परंपरा की लंबी कतार है। एक रक्तबीज दानव कई–कई रक्तबीज पैदा कर रहा है। जरूरत है इन रक्तबीजों के सर्वनाश की। यह कार्य परमात्मा के भरोसे छोड़ना मूर्खता होगी।

'स्वामी तथागत भारती'

आत्मा-परमात्मा

शरीर और आत्मा का अटूट संबंध होता है। मर्मांतक पीड़ा और अत्याधिक चरम पर पहुंची सहन शक्ति के अभाव में ही शरीर का साथ छुटना संभव है। मृत्यु का एक महत्वपूर्ण कारण शरीर की हड्डियों का सख्त हो जाना है। सात्विक भोजन, योग प्राणायम और सदाचार द्वारा ही शरीर को निर्मल और लचीला रखा जा सकता है। शरीर को मर्मांतक पीड़ा देने जैसा हठयोग कार्य मत करो। जीवन अत्यंत सुंदर तरीके से जीने की कला सीखो। मरने की भी कला सीखो। संसार में पर्याप्त ज्ञान है। कुछ प्रतिशत ज्ञान का संज्ञान लो। जैसी देह प्राप्त हुई थी वैसी की वैसी परमात्मा को समर्पित करो। यही जीवन का लेना और देना है, इसे समझो।

मां ज्ञान सुमन

लोकतन्त्र एवं समाज निर्माण में प्रेस की भूमिका

राम नारायण चौधरी,
उप प्रबंधक

एक जमाने में अंग्रेजों से जब स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जा रहा था, तब भी प्रेस की भूमिका अहम थी। इसीलिए उन्नीसवीं सदी के अंत एवं बीसवीं सदी के प्रारंभ में कई भारतीय अखबारों एवं पत्रिकाओं का शुभारंभ हुआ। उस समय एक शेर प्रचलित था – "अगर तलवार मुकाबिल हो, तो अखबार निकालो" कहने का अर्थ यह था कि तलवार भी अखबार के आगे झुक जाती है यानि कि सरकारें भी समाचार के आगे झुक जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि अंगुली पर यह नचाता है सरमायेदार (पूंजीपतियों) को, जिंदों का क्या, यह मुर्दों में भी होश पैदा करता है।

उपरोक्त चन्द पक्तिंया प्रेस की भूमिका और उनकी अहमियत को स्वतः परिभाषित करती हैं। वास्तव में निष्पक्ष एवं निडर प्रेस किसी भी समाज, राष्ट्र और लोकतन्त्र की तीसरी आंख होती है। आयरलैण्ड के महान राजनेता एवं दार्शनिक एडमंड बर्क ने इंगलैण्ड के 'हाऊस ऑफ कामंस' में संवाददाता गैलरी की ओर इशारा करते हुए कहा था कि यह लोकतन्त्र का चौथा महत्वपूर्ण स्तम्भ है जो बाकी तीनों स्तम्भ "हाऊस ऑफ कामंस', हाऊस ऑफ लार्डस' एवं 'स्प्रिचुअल लार्डस' से भी शक्तिशाली है। दशकों पूर्व कही गई उपरोक्त उक्ति आज भी प्रासंगिक है। भारत में प्रेस को विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बाद चतुर्थ स्तम्भ माना जाता है। हांलाकि इस संबंध में भारतीय संविधान में कोई उपबंध या अनुच्छेद का प्रावधान नहीं है। फिर भी इसे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) जो वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का प्रावधान मूल अधिकार के रूप में करती है से अभिप्रेरित है।

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में, प्रेस का अर्थ अतिव्यापक हो गया है। अब समाचार के तमाम साधन, जिसे सामूहिक रूप से 'मीडिया' कहते हैं के दो प्रमुख पहिये 'प्रिंट मीडिया और 'इलेक्ट्रॉनिक मीडिया' है। ये दोनों पहिये पूरे विश्व का भ्रमण करके कोने–कोने का समाचार चाहे सामाजिक हो या आर्थिक, राजनीतिक हो या खेलकूद से संबंधित, मनोरंजन–फैशन से जुड़े या अन्य किसी ओर से, हम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज प्रेस की शंति ही, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, चैट, ई–मेल, इंटरनेट पर लाखों कमेंट्स आदि भी बहुत प्रभावशाली माध्यम बन चुके हैं। इन्हें भी मीडिया का एक स्वरूप माना जा सकता है।

प्रेस का मानव मूल्यों की गरिमा कायम रखने तथा मूल अधिकारों की रक्षा में हमेशा से अभूतपूर्व योगदान रहा है। इतना ही नहीं, ये लोकतंत्र के प्रहरी का कार्य करता है। यह सरकार की बात को जनता तक एवं जनता को सरकार तक पहुंचाती है। सरकार द्वारा नीतिगत मामलों में कोई अंतिम निर्णय करने से पहले समय–समय पर जनमत कराया जाता है उसमें भी प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस लोकतन्त्र की आंख नहीं उसके हाथ–पैर है। यह सोयी हुई जनता को जगाता है तथा कुम्भकरण की भांति सोयी सरकार को भी चिरनिद्रा से जगाता है। इतिहास गवाह है कि विश्व में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, उनमें प्रेस की स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र विचारों का योगदान चिरस्मरणीय है। भारत की स्वतन्त्रता आंदोलन के दौरान इसने लोगों में देशभक्ति की भावना ओत–प्रोत कर आजादी के लिए घर से सड़कों पर निकाला। इसने गांधी, तिलक, अरविन्दो, राजा राम मोहन राय सरीके महान विद्वानों तथा स्वतन्त्रता सेनानियों के विचारों को घर–घर तक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से पहुंचाया। अंग्रेज सरकार ने भी प्रेस का गला घोटने के तमाम प्रयास (जिसमें वर्नाक्यूलर एक्ट का पारित होना भाामिल है) किये। तथापि हमारे क्रांतिकारी नेता और लेखक ने नाम बदलकर, पर्चे बांटकर अपनी बातें तथा अंग्रेजों के अत्याचार को जनसमूह तक पहुंचाया। इस प्रकार प्रेस की भूमिका को कभी भी नकारा या कम करके नहीं आंका जा सका है।

कलम तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होती है; क्योंकि तलवार एक समय में किसी एक ही व्यक्ति को या तो घायल कर सकती है या मौत के घाट उतार सकती है। लेकिन लेखों की अजेय ताकत क्षण भर में लाखों–करोड़ों जनसमूह के मस्तिष्क को नई दिशा दे सकती है। इसलिए, प्रसिद्ध शायर स्वः अकबर इलाहाबादी का कथन है कि "ना खीचों कमान, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो, अखबार निकालो" विश्व प्रसिद्ध तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट भी अपने विरोधियों से ज्यादा अखबार से डरते थे। उनका मानना था कि प्रेस अन्याय, मानवाधिकार हनन, अत्याचार को लोगों तक पहुंचाने का प्रभावशाली अस्त्र है जिसका सामना लाखों

की सेना भी नहीं कर सकती है। लोकतन्त्र को नई दिशा प्रदान करने तथा समाज को सही पथ पर लाने में प्रेस की अहम भूमिका रही है। याद कीजिए भारत–चीन संबंध में तत्कालिन रक्षा मंत्री श्री वी. मेनन का सकारात्मक पक्ष तथा उसके उपरांत चीन के हाथों करारी हार के बाद समाचार पत्र की बडी निंदा की वजह से वी. मेनन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बोफोर्स घोटाले को प्रेस ने जन–जन तक पहुंचाया जिससे कांग्रेस की सरकार पुनः नहीं बन पाई थी। आज भी प्रेस की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। प्रेस की बूलन्द आवाज की वजह से ही केन्द्रीय सर्तकता आयोग के अध्यक्ष श्री थामस भारतीय ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष श्री सुरेश कलमाड़ी को अपनी कुर्सी गवांनी पड़ी थी। हाल ही में सरकार की इच्छा के विरूद्ध भी प्रेस की बूलन्द आवाज की वजह से केन्द्रीय रेल मंत्री श्री बसंल को त्याग पत्र देना पड़ा। 3–जी घोटालों में शामिल मंत्री तथा अधिकारीगण जेल की हवा खा चुके हैं। कोयला घोटाला को जनमानस तक पहुंचाने में प्रेस की अहम भूमिका रही है। समय–समय पर चारा घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, रक्षा घोटाला जैसे अनगिनत घोटालों को उजागर करके प्रेस ने आम जनता तक पहुंचायां है।

प्रेस जनता के अधिकारों की रक्षा करने हेतु समय–समय पर आवाज उठाती रही है साथ ही जनता को उनके कर्तव्यों का भी ज्ञान कराती है क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। प्रेस चाहे तो किसी को भी सातवें आसमान तक पहुंचा सकती है तो किसी को औंधे मुंह आकाश की बुलन्दी से धरातल पर गिरा सकती है। अन्ना आंदोलन ने अरविन्द केजरीवाल तथा उनकी 'आम आदमी पार्टी' को नई पहचान दी तो दूसरी ओर 'आशाराम बापू' जैसे तथाकथित संतों का असली रूप जनता के सामने रखा। यही वजह है कि धन एवं वैभव के मद में चूर आशाराम आज जेल में बंद है। प्रेस ने दिल्ली में घटित 'रेप कांड' को कुशलतापूर्वक देश के सामने रखा है उसी की वजह से निचली अदालत द्वारा दोषियों को फास्ट–ट्रेक के माध्यम से सजा सुनाई गई है। तालिबान के अत्याचार के खिलाफ संघर्षरत 'मलाला' विश्व मानचित्र पर छा गई हैं। यही वजह है कि स्वतंत्र और निरपक्ष प्रेस से सभी डरते हैं। 1975 आपातकाल के दौरान जब तत्कालीन सरकार द्वारा प्रेस का गला घोंटा गया था तो उनका अंजाम पराजय के माध्यम से भुगतना पड़ा था।

अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति, जेफरसन ने भी प्रेस की अहमियत के बारे में कहा था कि यदि मेरे पास दो विकल्पों 'प्रेस विहिन मजबूत सरकार' तथा 'सरकार विहीन मजबूत प्रेस' वाली दो राष्ट्र में शासन के लिए चुननी हो तो बिना संकोच के दूसरे विकल्प के साथ जाऊंगा। उनका मानना था प्रेस जनता को सरकार की अंधी आंखों को खोलती है समय–समय पर उसे प्रशिक्षण देती है, उनके अधिकारों और कर्त्तव्यों को समझाती है जो शासक के नीति को भी क्रियान्वयन में मदद मिलती है। एक महान कवि ने कहा था कि :

"धरा बेच देगें, गगन बेच देगें। कलि बेच देगें, कुसुम बेच देगें। कलम के सिपाही अगर सो गये तो, वतन के सिपाही वतन को बेच देगें।

आज भारतीय राजनीति तथा सरकार की कार्यप्रणाली को अवलोकन करें तो प्रेस सरकार को जगाने का काम ही कर रहा है।

हालांकि प्रेस की निरपेक्षता एवं निष्पक्षता पर भी लोगों में संदेह पैदा हो रहा है। खासकर षड्यंत्रकारी समाचार पत्रों तथा टी.वी. चैनल के प्रति। प्रेस को अपने काम पूरे ईमानदारी तथा निशपक्षता से करने चाहिए। प्रेस का काम देश की अखण्डता और सम्प्रभूता की रक्षा भी करनी है। सही समाचार को जनमानस तक पहुंचाना उनका कर्त्तव्य होना चाहिए। आज भारतीय नागरिक का विश्वास न्यायपालिका के साथ–साथ प्रेस के साथ अहम है। प्रेस का कोई ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए जिससे एडमण्ड वर्क का कथन "चतुर्थ सत्ता' पर लोग संदेह करने लगें। इसे हमेशा देश की सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक वस्तुस्थिति को ईमानदारी से रखें। लोगों के मूल अधिकांश, मानवीय मूल्यों की रक्षा करने में आवाज उठायें, जहां भी हनन हो। आजकल की अधिकतर मीडिया न्यूज में मिर्च–मसाला लगाकर लोगों तक खाना परोसने में लगे हैं ताकि लोग ज्यादा उनके प्रति आकर्षित हो तथा विज्ञापन के जरिये ज्यादा कमाई की जा सके। प्रेस की स्वतत्रंता पर कभी आंच नहीं आनी चाहिए लेकिन उनके लिए भी एक आदर्श सीमा और दायरा भी होना चाहिए। वैसे यदि देखा जाए तो भारतीय मीडिया एवं प्रेस काफी हद तक स्वतंत्र एवं निष्पादन रह कर काम कर रहा है। हां कई बार सरकारों का दबाव उन्हें ज्यादा मुखर होने से रोकता है तथापि अत्यंत तीव्र न सही, मध्यम गति से काम करते हुए जहां जनता को जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनाने में भूमिका निभाता है वहीं लोकतंत्र की परंपराओं का पालन करते हुए भारतीय लोकतंत्र एवं लोक परंपराओं को भी सुदृढ़ बनाता है।

अंधविश्वास की जड़ें

डॉ० अमर सिंह सचान
राजभाषा अधिकारी

खजाने की खुदाई या बाबाओं के पाखंडों को लेकर ऐसा हाहाकार मचा हुआ है मानो यह पहली बार हुआ हो, लेकिन यह सच नहीं है। ये दृश्य हमारी आंखों के सामने बार–बार दोहराए जा रहे हैं। थोड़े–थोड़े अंतराल के बाद अंधविश्वास या कुसंतों के व्यभिचार से जुड़ी घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। हाल ही में एक तथाकथित उपदेशक और उनके सुपुत्र की करतूतों की वजह से पूरे हिंदू समाज की जग हंसाई एक सबसे बड़ा उदाहरण है। लोग अभी भी आंखें मूंद कर उसका समर्थन कर रहे हैं। हमारी याददाश्त को जाने क्या हो जाता है कि हम हर बार चौंकते हैं, गुस्सा करते हैं और खीझते हैं। कभी इन संतों या नेताओं को कोसते हैं तो कभी मीडिया को दोषी ठहराते हैं और फिर चुप होकर बैठ जाते हैं। यह नहीं सोचते कि हमारी चेतना कुंद हो रही है। इसे तेज करने की जरूरत है।

निःसंदेह जब अंधविश्वासों को महिमामंडित करके लाभ उठाने की कोशिश की जाती है तो ऐसे लोगों को भी बढ़ावा मिलता है। लेकिन क्या केवल राजनीति या मीडिया ही इसके लिए जिम्मेदार हैं या फिर इसके पीछे दूसरे कारण भी हैं? यह भी सोचा जाना चाहिए कि हमारे समाज में ऐसी चीजों की मांग ज्यादा क्यों है, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो कोई भी उन्हें भुनाने के बारे में क्यों सोचता? यदि इस प्रकरण पर गंभीरता से विचार किया जाए तो कहीं हमारी मूर्ति पूजा की संस्कृति परोक्ष रूप से कुछ हद तक जिम्मेदार है। ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों की मूर्ति पूजा के कारण इनसे जुड़ा पुजारी, उपदेशक खुद को ईश्वर की भांति मानकर अपनी पूजा करवाता है और भक्त उसे भी अपनी पूजा–पाठ का एक हिस्सा मानकर सम्मान देता है। लेकिन यही सम्मान जब हद से अधिक बढ़ जाता है तो भक्त एवं ईश्वर के बीच का यह माध्यम कुछ हद तक खुद को भी ईश्वर ही समझने का भ्रम पाल लेता है और भक्त लोग भी बिना किसी तर्क के मान लेते हैं। अधिसंख्य लोग इसी प्रवृत्ति के होते हैं।

इसे थोड़ा उलटकर देखा जाए। कई संस्थाएं/दल न केवल इस तरह की चीजों का खुलकर विरोध करते हैं, बल्कि सक्रिय रूप से इनके खिलाफ अभियान चलाते हैं। मगर उनकी लोकप्रियता या स्वीकार्यता हमारे समाज में बहुत कम है। ऐसे सामाजिक संगठन भी हैं जो जोखिम उठाकर अंध श्रद्धा उन्मूलन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मगर वृहत्तर समाज में उन्हें सराहा नहीं जाता। ऐसे ही एक व्यक्ति नरेन्द्र दाभोलकर की हत्या बताती है कि उनके दुश्मन उनके मित्रों से ज्यादा होते हैं। वैसे भी हमारा समाज इस कदर व्यक्ति पूजक है कि वह मूर्ति पूजा एवं व्यक्ति पूजा को एक ही रूप में मानता है। यदि ऐसा न होता तो जिस स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा के विरोध में खुल कर अभियान चलाया था आज हर शहर, मोहल्ले या कस्बे में एक आर्य समाज मंदिर बना है और उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती की मूर्ति लगी है और लगभग पूजा भी की जाती है।

एक हद तक हमारे समाज की उपज भी कुछ इसी किस्म की हो रही है। बहुत सारे बड़े–बड़े वैज्ञानिक, डाक्टर, इंजीनियर एवं विद्वान लोग बुलाकर अंध श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं। इसीलिए आज हमारे देश का मीडिया भी इससे अछूता नहीं है। वह भी कहीं न कहीं इससे प्रभावित है और तटस्थ भूमिका नहीं निभा पाता। इसके अलावा मीडिया खासकर टीवी आदि के लिए टीआरपी एवं समाचार पत्रों का सर्कुलेशन और उसके बल पर तय होने वाली विज्ञापन दरें भी इन्हें आंख मूंदकर काम करने को बढ़ावा देती हैं। परंतु इसमें भी अपवाद है और उनका भी एक दर्शक/पाठक वर्ग है, मगर सीमित है।

मीडिया के एक छोटे से हिस्से में ही सही, अच्छी सामग्री भी प्रस्तुत की जाती है, मगर हम पाते हैं कि उनके पाठक या दर्शक बहुत कम होते हैं। यह विरोधाभास समाज का पाखंड भी हो सकता है और समाज को समझ पाने में हमारी अक्षमता भी। कहने का मतलब यह कि हम अकसर लक्षणों को लेकर चिंता करते हैं और भूल जाते हैं कि बीमारी के मूल कारण क्या हैं। सांप्रदायिकता, जातिवाद या अंधविश्वासों का मुख्य स्रोत हमारा समाज है। वहीं से यह सब राजनीति, मीडिया या जीवन के अन्य क्षेत्रों में जाता है। यहां तक कि विज्ञान भी उससे बच नहीं पाता।

वैज्ञानिकों का साईं बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना इसका प्रमाण है। ऐसे में वैज्ञानिक समझ और तार्किक ढंग से सोचने वाले समाज के निर्माण का एजेंडा कहीं पीछे छूट जाता है। सरकार, प्रशासन, न्याय–व्यवस्था सब इसके सामने कमजोर पड़ जाते हैं।

लेकिन समाज कोई जड़ नहीं है, न ही इस तरह की नकारात्मक प्रवृत्तियां स्थायी होती हैं। समय के साथ ये कमजोर या मजबूत होती रहती हैं। प्रवृत्तियों में यह परिवर्तन मुख्य रूप से आर्थिक नीतियों की वजह से आता है। अगर पिछले दो–तीन दशकों में हम इन्हें मजबूत होता देख रहे हैं तो इनकी वजह वे आर्थिक नीतियां हैं जिन्होंने समाज को आत्मकेंद्रित बना दिया है और जिनकी वजह से लोभ–लालच तो बढ़ा ही है, असुरक्षाबोध में भी बढ़ोतरी हुई है। जब भी ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं, संकुचित व प्रतिगामी चिंतन जड़ें जमाने लगता है। बढ़ता कर्मकांड, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय–जातीय पहचानों का आक्रामकता के साथ प्रकट होना इसी की देन है। ऐसा केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में हो रहा है। अमेरिका, यूरोप, एशिया

सभी जगह नस्ली आग्रह ओर हिंसा बढ़ने की मूल वजह यही है। तीन–चार दशक पहले आज जैसी स्थिति नहीं थी, बल्कि ऐसी

चीजों का जमकर विरोध होता था। लोग खुलकर अपने अंधविश्वासों को प्रकट करने से कतराते थे, क्योंकि ऐसा करके वे जगहंसाई का पात्र बन सकते थे। समाज में आंदोलनों और संघर्षों का जोर था। जबर्दस्त गरीबी व बेरोजगारी के बावजूद कुछ बड़े विचार और स्वप्न भी मानव समाज के पास थे जिनकी वजह से वह आगे बढ़ने की उम्मीद रखता था। अब वैसी उम्मीद सिर्फ एक छोटे से तबके के पास है इसलिए समाज चमत्कारोंकी ओर भागने लगा है।

उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ में या फिर यू कहें कि हिंदी, बांग्ला एवं अन्य भाषाओं के साहित्य के स्वर्ण युग के दौरान जहां प्रताप, पंत, निराला, मैथिलीशरण गुप्त, दिनकर आदि ने काव्य के माध्यम से चेतना जगाई, वहीं उपन्यासों एवं कहानियों आदि के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जैसे अनेक तत्कालीन लेखकों ने समाज में फैले अंधविश्वास, अज्ञान, अशिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा की और उसी दौरान शरतचंद्र चट्टोपाध्याय एवं टैगोर, नजरूल इस्लाम आदि का बांग्ला साहित्य में उदय तथा इसी दौरान दक्षिण भारतीय भाषाओं में कई कवियों/लेखकों ने इसी तर्ज पर साहित्य के माध्यम से जागरूकता पैदा की थी।

देश की आजादी के एक दशक पहले से देश के अंदर दो तरह के हालात बने। एक ओर जहां देश के आजाद होने और एक नए युग के आने की आशा थी, वहीं दूसरी ओर सांप्रदायिकता एवं देश का धर्म के आधार पर होने वाला बंटवारा बहुत सारे लोगों के बीच भय एवं असुरक्षा का वातावरण पैदा कर रहा था। ऐसी स्थिति में लोगों ने पुनः धार्मिक भीरुता के चलते भाग्य और भगवान का सहारा लिया। देश की आजादी एवं देश के बंटवारे ने भी लोगों को झकझोरा और विभाजन के साथ धर्म के आधार पर घटी अमानवीय घटनाओं ने भी लोगों को अंध विश्वास और मूर्ति पूजा की ओर धकेला क्योंकि जब इंसानियत एवं भाईचारा से विश्वास उठ जाए तो इंसान को एक मात्र भरोसा अपने आराध्य एवं भाग्य पर होता है। लोग धीरे–धीरे जाने–अनजाने यह मानने को विवश होते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है, वह भगवान की मर्जी थी। इसमें इंसान को दोष देकर वह बेचैन और व्याकुल नहीं होना चाहता। यह इंसान की फितरत होती है कि वह अपना दोष या कर्म ईश्वर के नाम डाल कर संतुष्टि महसूस करता है। इसके अलावा देश की आजादी के बाद विकास का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंचा, कुछ पूंजीपति एवं धनीवर्ग ही फायदा उठा रहा था। इसी तरह शिक्षा की पहुंच भी कुछ खास वर्ग तक रही और उन्होंने ही लाभ उठाया। यद्यपि सरकार ने सबको लाभ पहुंचाने के विभिन्न प्रयास किए पर वे अपर्याप्त रहे और देश की आम जनता ने आजादी के बाद जिस नए भारत का सपना देखा था वह दूर–दूर तक पूरा होता नहीं दिख रहा था। इसलिए भी भाग्यवाद को बढ़ावा मिला और विभिन्न संतों/आश्रमों उपदेशकों की दुकानें चल निकली।

सबसे बुरी बात यह हुई है कि समाज की विचारशीलता ठप हो गई है। हमारे बौद्धिक नेतृत्व ने या तो घुटने टेक दिए हैं या फिर वह भी लोभ–लालच की उसी होड़ में शामिल हो गया है जो उसके चारों ओर मची हुई है। बुद्धिजीवियों के अपनी भूमिका से मुकर जाने की वजह से समाज में वैचारिक नेतृत्व का लोप हो गया है। इससे एक शून्य पैदा हुआ जिसे प्रतिगामी शक्तियां अपने विचारों से भर रही हैं। जब तक वह प्रक्रिया नही रूकेगी, तब तक बाबाओं के आश्रमों में भीड़ जुटती रहेगी, खजाना खोजने की अंधवृत्ति पलती रहेगी देश भर में

अधिकांश लोगों के बीच एक पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए लोभ तथा बाबाओं के आर्शीवाद से इसे हासिल करने की लालसा जारी रहेगी और विभिन्न अंधविश्वासों की जड़ें भी गहराती रहेंगी इन तमाम पाखंडियों एवं गंडे–ताबीज बांटने वालों का धंधा फूलता–फलता रहेगा। इसे रोकने के लिए सिविल सोसायटी और बुद्धिजीवियों को अपने कक्षों से निकलकर सड़कों पर उतरना होगा और परिस्थितियों को बदलने वाले आंदोलनों और संघर्षों की अगुआई करनी होगी। खुद सरकार को जागरूकता पैदा करने के अभियान चलाने होंगे।

धूप-छांव के दो रूप

स्तुति ऋचा
उपप्रबंधक

(1) खबरों की हिस्सेदारी

गर्मियों को आलस्य का महीना कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में फुर्ती से कुछ ज्यादा काम होता नहीं। स्कूल बंद होते हैं, गर्मियों की छुट्टियां शुरु हो जाती हैं, लोग घूमने निकल पड़ते हैं, शहर से बाहर। जो बाहर नहीं जा पाते, वो अपनी किस्मत को कोसते हुए, पंखों के नीचे तेज हवा में अपने पसीनों को सुखाने की कोशिश करते है।

लेकिन कुछ लोगों के लिए हर दिन, हर महीने, हर मौसम एक तरह के ही होते हैं। कुछ इस तरह की ही हैं, वे दो औरतें, जो रोज कचरे के ढेर के पास मिलती हैं, मुझे। वे कुछ तलाशती रहती हैं हमेशा, उस कूड़े के ढेर (कूड़ाघर) में। पिछले कुछ सालों से देख रही

हूं उन्हें, दिन महीने, साल बीत गए, देश में कई तरह की नीतियां आई, कई प्रावधान बने, खाद्य सुरक्षा बिल भी पास हुए, लेकिन उनकी जिंदगी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं दिखता मुझे। इसी बीच, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध एवं उनकी सुरक्षा के लिए जागरूकता भी बढ़ी। लेकिन उनके आस–पास कुछ नहीं बदला। आज से कुछ साल पहले वो दोनों अकेली थी, अब उनके दोनों के कंधों पर एक–एक बच्चा भी लदा होता है। उनके परिवार मे कोई पुरुष नही है और वे रोज इसी तरह कभी अपने बच्चों पर झुंझलाते और कभी उन्हें पुचकारते हुए उसी गली में उस कचरे के ढेर (कूड़ाघर) पर मिलती हैं, आते–जाते कई बार एक मीठी सी मुस्कराहट का आदान–प्रदान भी होता है मेरे बीच।

अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्र में मैंने महिलाओं की प्रगति और उनकी कामयाबी के बारे में एक लेख पढ़ा, जिनमें कई बड़ी कंपनियों और बैंक का जिक्र था, जिसकी बागडोर महिलाओं के हाथ में है। बोर्ड की परिक्षाओं में लड़कियों की बाजी मारने की भी कहानी थी। केरल और कश्मीर की दो छात्राओं की कहानी थी, जो सिविल सर्विस की परीक्षा में अव्वल रही। दूसरे पन्ने पर थी कहानी, कुछ लड़कियों की जिन्हें दहेज के लिए जलाया गया था उनके साथ छेड़–छाड़ या फिर उनके साथ किए गए अन्य किसी दुर्व्यवहार की।

लेकिन समाचार पत्र के किसी भी कोने में इन दोनों औरतों या इनसे मिलती–जुलती किसी और महिला की कोई कहानी नहीं थी, इनके साथ होने वाली दुर्व्यवहार, अत्याचार की कोई घटना का रिजल्ट नहीं होता या फिर वे समाचार पत्र के किसी कोने में अपनी जगह नही बना पाती।

हर रोज कुछ सुनने को मिलता है, किसी महिला की कामयाबी के बारे में, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि वह महिला एक अपवाद है, अगर एक महिला कामयाब है, तो लाखों लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें स्कूल जाने को नहीं मिलता, जिन्हें भरपेट भोजन नसीब नहीं होता, जो कुपोशित हैं, जिनकी शादी 18 वर्ष से काफी पहले कर दी जाती है। 47 फीसदी भारतीय लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती हैं और अठारह फीसदी की 15 साल से पहले और इनमें से ज्यादातर कम उम्र में मां बनती हैं। जिनके लिए उनका शरीर तैयार नहीं होता। भारत में मातृ–मृत्यु दर काफी ज्यादा है, घरेलू हिंसा काफी आम है, लेकिन ये सारी चीजें समाचार का हिस्सा तब तक नहीं बनती, जब तक किसी खास तबके की महिला इसका शिकार नहीं बनती। क्यों ये वो औरतें, इस तरह की कई औरतें खबरों का एक हिस्सा नहीं बन पाती, क्यों हम एक ओर की जा रही प्रगति को ही देखते हैं, लेकिन इससे जुड़ी कई निराशाजनक घटनाओं और समस्याओं को नहीं देखते। कब हम समानता से इन दोनों जैसी हजारों–लाखों औरतों को इन को अपने देश का हिस्सा बनाएंगे। क्या कभी ऐसा समय आएगा जब संपूर्ण रूप से औरतों का अपने तन, मन एवं धन पर पूर्ण अधिकार हो और उसके अस्तित्व का निर्णय स्वयं

वह करे, न कि कोई खाप पंचायत, तालिबान या सरकार करे। वे भी किसी अच्छे कारण के लिए समाचार, मीडिया की खबरों का हिस्सा बने, न कि सिर्फ शोषण, अत्याचार या बलात्कार के लिए।

(2) विरोधाभास

विदर्भ की सूखी भूमि पर पानी के एक बूंद की भी वृद्धि नहीं हुई। सूखी जमीन दरारों से भर चुकी थी। यूं तो पहले भी स्थिति संतोषजनक नहीं थी, किंतु इस बार इंद्र भगवान के रोष ने स्थिति और भी चिंताजनक कर दी थी। मोहन के बच्चे एक कोने में भूख से बिलबिलाते हुए सो चुके थे। दो वक्त की रोटी जुगाड़ कर पाना, मुश्किल सिद्ध हो रहा था। क्या करे वह? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या रोजगार का उपाय करे वह, इस गरीबी से त्रस्त गांव में क्या बाकि कुछ गांव वालों की तरफ वह भी इस गांव से शहर की तरफ पलायन कर ले। लेकिन शहर में भी किस तरह का रोजगार करेगा वह? किसी प्रकार की शिक्षा भी नहीं, किसी प्रकार के विशेष कौशल का भी ज्ञान नहीं था। दूसरी ओर जन्माष्टमी आ रह थी, नासिक मुंबई हर जगह इस त्यौहार की धूम मची हुई थी, सारी तैयारी जोरों पर थी। मटका फोड़ की प्रतियोगिता भी रखी गई थी। दूध से भरा हुआ

मटका जो फोड़ा जाना था, विजेता टीम द्वारा। भोजन के इस अभाव में दूध का मटका क्या फोड़ा जा सकता है? हां क्यों नहीं, यह भारतवर्ष है, करोड़ो देवी–देवताओं का वास है यहां पर और उन्हें प्रसन्न रखने की प्राचीन परंपरा चली आ रही है। व्रत–उपवास, दान–कर्म कई माध्यमों से प्रसन्न किया जाता है उन्हें। खैर यह सब सोच–विचारने का कोई अर्थ नहीं बनता। इस बीच उसके मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। क्यूं न वह मुंबई महानगर की तरफ पलायन करे, क्या पता वहां कुछ नियति ने उसके लिए कुछ सोच रखा हो। अगले दिन उसने अपना यह निर्णय अपनी अर्धांगिनी को सुनाया। "ठीक है, शायद वहीं कुछ हो, रोटी का जुगाड़" उसने एक लंबी सांस ली और उठ गयी। ठीक है, फिर जो कुछ भी लेना हो वो सब बांधकर तैयार हो जाना। "सामान? अब ले जाने लायक बचा ही क्या है हमारे पास? उसने थके हुए स्वर में कहा। बस, बच्चे हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही। अच्छा, सुनो क्या सच में इस बार भी मटका फोड़ प्रतियोगिता में मटके में दूध रखकर फोड़ा जाएगा? उसकी पत्नी ने पूछा। हां, क्यों

नहीं क्या शिवरात्री में और अन्य सभी देव पर्वो पर जब हम भूखे पेट रहने से अंतड़ियों में हुए दर्द से कराहते हुए सोने का प्रयास करते हैं, क्या तब नहीं देते दूध का चढ़ावा? हां ये भी सही कहा तुमने। अरे पता है पिछली बार शिवरात्री में रमेश ने नासिक के शिव मंदिर में बैठकर काफी भिक्षा कमाई। अरे हां वो तो अब नासिक का ही होकर रह गया, गांव की तरफ रूख ही न किया उसने इसके बाद।

अगले दिन सपरिवार वह मुबंई रवाना हो गया। कृष्णा मंदिर के पीछे कई सारे पाईप थे जिसके अंदर कई परिवारों का बसेरा था। किसी पाईप में कोई मां, अपनी बेटी को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही होती तो कहीं किसी पाईप में कोई युवक सिगरेट का कश खींच रहा होता था। लेकिन मुंबई में इन पाईपों के किराए लगते थे। कुछ दिनों तक वह खाक छानता रहा, बच्चे धूप में उबड़–खाबड़ सड़क पर बैठे रहते थे, कोई पत्थर तोड़ रहा होता तो कोई रो रहा होता। अभी, तक कोई काम भी नहीं मिल पाया था, मोहन को। मोहन की बीबी भी जी–जान लगाकर काम ढूंढ रही थी। कई दिनों के बुरे वक्त के बाद, अंततया दोनों को काम मिल गया। कुछ दिनों बाद मोहन को एक पास के कारखाने में काम मिल गया, मोहन की बीबी भी कई घरों में काम कर रही थी, अब दोनो इस पाईप वाले घर से, पास के पक्के घर वाले झुग्गी मे रहने लगे थे। बच्चो को भी मोहन पास के सरकारी विद्यालय में दाखिला करवा दिया। अब चार साल हो चुके थे, इस महानगर में मोहन के परिवार को। अबकी बार, फिर से शिवरात्री की धूमधाम से तैयारी हो रही थी। मोहन की पत्नी ने भी व्रत रखा, इस बार और पास के मंदिर में अपनी खुशहाल जीवन के लिए शिव भगवान को धन्यवाद देने के लिए उसने शिवलिंग पर दूध भी अर्पित किया।

हां, अरे इतिहास अपने को दोहरा रहा था। अभी भी विदर्भ में वही गरीबी थी और दूसरी और शिवरात्रि का महोत्सव चल रहा था और कल जो मोहन और उसका परिवार इस महोत्सव और व्रत के कटु आलोचक थे और सोचते थे कि काश इस दूध से उनके बच्चे का पेट भर जाता, वहीं आज इस महोत्सव में सम्मिलित थे और अपने सुखद जीवन के लिए प्रभु को दूध के चढ़ावे के रूप में धन्यवाद ज्ञापन कर रहे थे।

पर उपदेश कुशल बहुतेरे

पुनीत चौहान,
उप प्रबंधक

आजकल के दौर में हर व्यक्ति पैसों, विलासिता एवं अपनी ख्याति प्राप्ति के पीछे दौड़ रहा है। आज बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यदि कोई बात कहते हैं तो उस पर टिके रहते हैं। अन्यथा ऐसे लोग बहुतायत में है जिनकी कथनी कुछ होती और करनी कुछ होती है। समाचार एवं मीडिया में हर रोज ऐसी घटनाओं की भरमार रहती है। एक बहुत महान उपदेशक एवं उनके सुपुत्र की असलियत जब देश के सामने आई तो पूरा देश स्तब्ध एवं भार्मसार हो गया। जिंदगी पर दूसरों को सन्मार्ग पर चलने का उपदेश देते रहे और खुद ऐसे कुमार्ग पर चले जिसके लिए फांसी की सजा भी कम है। इसी तरह एक बहुत नामी गिरामी पत्रकार एवं उनके सहयोगी के यौन उत्पीड़न के कारनामों ने पूरी पत्रकार बिरादरी को कटघरे में खड़ा कर दिया और यह भी पता चला कि उन्होंने अपनी इस कला

के दुरुपयोग से कई सौ करोड़ की संपत्ति कमाई जो उनके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोल रही है। आज जिसे देखिए वहीं एक दूसरा मुखौटा लगाए हुए मिलता है। वह कहता कुछ है और करता कुछ है। हालांकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने सदैव आदर्श जीवन शैली का समर्थन किया है। हमारे इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण भरे–पड़े हैं।

बंगाल में ऐसी कई महान विभूतियां हुई हैं जिन्होंने अपनी कथनी को करनी में बदल कर दिखाया और सदैव आदर्श परम्पराओं का पालन किया। ऐसे ही राजा राम मोहनराय एवं ईश्वरचंद विद्यासागर थे। जिनके आदर्श की कहानियां आज भी पूरे देश में प्रचलित हैं। कहते है कि बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, उसी समय राजा राममोहन राय का विवाह भी था परिजनों ने विवाह संस्कार का भव्य आयोजन करने की योजना बनाई। लेकिन राम मोहन राय को यह बात पसंद नहीं थी कि एक तरफ लाखों लोग भूख से मर रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपने धन की शान दिखाएं। उन्होंने विवाह करने से ही इन्कार कर दिया।

परिवार के लोग बहुत दुखी हुए, उन्हें बहुत मनाया, लेकिन वे नहीं माने। अंत में वे इस शर्त पर विवाह करने को तैयार हुए कि विवाह पर व्यय होने वाला सारा धन अकाल पीड़ितों पर व्यय किया जाएगा। विवाह की दावत में किसी जमींदार या धनपति को न बुला कर अकाल पीड़ितों को ही बुलाया जाएगा। उनके लिए सात दिनों तक भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इस बात पर उनके माता–पिता राजी हो गए और ससुर पक्ष को भी ऐसा ही करने के लिए तैयार कर लिया गया। यही गुण उन्हें विशिष्ट और आदरणीय बनाते हैं। जब मानवता पर संकट आता है तो सज्जन पुरूष अपनी पूरी क्षमता के साथ लोगों के कष्टों को कम करने के लिए आगे आ जाते हैं।

बंगाल के ही एक अन्य आदर्श व्यक्ति ईश्वर चंद विद्यासागर हुए हैं, जो महान विद्वान थे पर अत्यंत विनम्र थे, उनमें जरा भी अहंकार एवं अभिमान नहीं था। कहते हैं एक बार एक सज्जन ने पत्र लिखकर ईश्वर चंद विद्यासागर से मिलने के लिए समय मांगा और यह भी अनुरोध किया कि उनके सामान उठाने के लिए एक कुली का प्रबंध भी करवा दिया जाए जो उनका सामान रेलवे स्टेशन से उठाकर ईश्वर चंद विद्यासागर के गांव तक ले जाए। पत्र के जवाब में उनके आने की तिथि एवं कुली की व्यवस्था

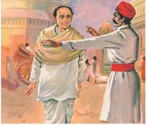

की सूचना भेज दी गई। यह वह दौर था जब भारत में फोटो वगैरा का प्रचलन नहीं था और उस व्यक्ति ने ईश्वर चंद का फोटो या चेहरा नहीं देखा था।

नियत तिथि पर वह सज्जन नियत गाड़ी से प्रथम श्रेणी के डिब्बे से स्टेशन पर उतरे और सामने खड़े एक व्यक्ति को कुली

मानकर अपना सामान उठाने का आदेश दिया और यह भी बताया कि उन्हें ईश्वर चंद विद्यासागर के गांव जाना है। उस व्यक्ति ने बिना किसी न नुकर के ट्रेन से उतरे अतिथि का सामान उठाया और गांव की ओर आगे-आगे चल पड़ा। उसके पीछे अतिथि महोदय थे। कुली बने व्यक्ति ने ईश्वर चंद विद्यासागर के घर पर सामान रखा और पूछा-बताइए, महाशय मैं आपकी क्या सेवा करूं। अतिथि ने कहा - जाओ अंदर से ईश्वरचंद विद्यासागर को बुला लाओ और बताना कि मैं उनसे मिलने आया हूं। उस कुली बने व्यक्ति ने विनम्रतापूर्वक कहा-बताइए महाशय, क्या काम है, मैं ही ईश्वरचंद विद्यासागर हूं। उस व्यक्ति के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। वह फौरन विद्यासागर जी के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा कि मैंने आप जैसे विद्वान से कुली गीरी करवाई और आप बिना किसी तर्क के मेरा आदेश मान रहे थे। ईश्वरचंद जी ने कहा कि अपना या दूसरे का काम करने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं बनता, फिर आप तो हमारे अतिथि थे। अतिथि देवो भव। एक देवता का काम करने में कैसी शर्म। उस व्यक्ति ने पुनः क्षमा मांगी और वचन दिया कि अपना काम सदैव स्वयं ही

करूंगा और यह भी कहा कि मुझे आज पता चल गया कि आपकी महानता एवं विद्वता का कारण क्या है। सच में आप महान हैं।

जो कुछ नया करना चाहते हैं या समाज के बने-बनाए रिवाजों में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, उन्हें अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन आरंभ किया तो उनका विरोध करने के लिए दूसरी लॉबी खड़ी हो गई। लेकिन वे अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के हजारों भूमिहीन किसानों को लाभ हुआ। जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने संन्यास लिया तो उन्हें भी कई बार अपमान का सामना करना पड़ा। लेकिन बदलाव का मजबूत इरादा रखने वाले स्वयंसेवी कभी पथ से विचलित नहीं होते, वे दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। हालांकि मूर्ति पूजा के विरोध में खड़ा किया गया आर्य समाज का आंदोलन आज बहुत आगे बढ़ चुका है, परन्तु उन्हें जवानी में ही शत्रुओं ने विष देकर अपने पथ से हटाया गया, उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। प्रायः ऐसा ही देखा गया है कि जब कोई अच्छा कार्य करता है या समाज सुधार करना चाहता है तो धर्म एवं समाज के ठेकेदार व कठमुल्ले पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि इससे उनकी अपनी दुकान बंद होने का भय रहता है। राक्षसी ताकतें हमेशा लोकहित के अनुष्ठान में बाधा डालती हैं, लेकिन देवशक्ति सदा बिना विचलित हुए अपना कर्तव्य करती हैं।

हमें यह बात विनम्रता के साथ स्वीकार करनी चाहिए कि दानवी शक्तियां लोकरंजन के कार्यों में रूकावटें पैदा करेंगी ही। हमारी खूबी धैर्य के साथ उन बाधाओं को पार करने में है। यदि समाज सेवा में लगा व्यक्ति विघन डालने वाले तत्वों से डर जाता है, तो वह दो प्रकार की गलतियां करता है। पहला- वह अपने अंदर निहित देवत्व की शक्ति को अस्वीकार करता है। दूसरा - वह समाज के प्रति अपने दायित्व से पीछे भागता है। यह याद रखें कि लोक सेवा का काम मान-अपमान, सुख-दुख, यश-अपयश की भावना से ऊपर उठकर स्थिर प्रज्ञ की स्थिति में ही हो सकता है। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था कि विश्व के श्रेष्ठ जनों एक हो जाओ। उनका यह आह्वान केवल इसलिए था कि संसार में जो विकृति दिखाई दे रही है, उसका कारण ही यही है कि समाज को श्रेष्ठजनों का मार्गदर्शन नहीं मिलता। लोक सेवा के काम में रुकावट आने का एक बड़ा कारण होता है लोक सेवकों में समन्वय का अभाव।

कौटिल्य कहते थे, कोई राष्ट्र अपने संयमी नागरिकों में ही स्थिर रह सकता है। यह सच है कि जिस राष्ट्र का नेतृत्व धैर्यवान और सेवाभावी नागरिकों के हाथों में होता है, वह राष्ट्र तेजी से आगे बढ़ता है। जब राम को वापस लेने के लिए भरत जी चित्रकूट गए तो राम ने सबसे पहले दो प्रश्न किए।

क्या अवध की प्रजा हमारे शासन से प्रसन्न है? क्या अवध में सेवकों को संतोषजनक वेतन मिल रहा है? ये दोनों प्रश्न समाज के प्रति उनकी दायित्व भावना को प्रकट करते हैं। हम सब दायित्वों से बंधे हैं। हम कोई पृथक ईकाई नहीं है। जो दायित्वों को अस्वीकार करते हैं, वे बाधक बन जाते हैं। आज देश की परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। आज न तो आदर्श नेता रहे हैं और न ही उनमें वह सामर्थ्य बचा है। यदि एक दो नेता लीक से हटकर कुछ चाहते हैं तो दसियों एक साथ मिलकर उसे पीछे खींचते है। ये खींचने वाले न सिर्फ विरोधी होते है बल्कि अपने भी होते हैं।

मनुष्य और अध्यात्म

नितिन अग्रवाल,
उप प्रबंधक

किसी ने कहा था कि "साहित्य समाज का दर्पण है"। मैं भी इससे वास्ता रखता हूं। पर जब सुनता हूं कि पिछले वर्ष "व्हाईदिस कोलवेरी डी" को करोड़ों ट्वीट्स मिले या जब पता चलता है कि "आ करा दूं तमंचे पे डिस्को" आज का सबसे सुपरहिट गाना हो गया है। तो दिमाग के आगे अंधेरा छा जाता है। मस्तिष्क को यह विश्वास ही नहीं होता कि यह कैसे संभव है। रात के 2:00 बजे सर्फिंग करते समय उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब की रचना "पिया बिन नाही आवत चैन" को जब मैंने सुना तो मानो ऐसा प्रतीत हुआ कि शरीर का भार शून्य हो गया। ये देखकर हालांकि आश्चर्य हुआ कि चंद लोगों ने ही उसे नेट पर ढूंढा। अखबार पढ़ो तो आंखे तरस जाती हैं दो पंक्ति प्रेरणादायक मूल्यों की। बलात्कार, चोरी, लूट, फिरौती, घोटाला ये सब खबरें

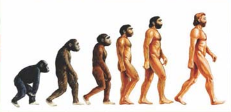

देख–देख कर समझ काम करना बंद कर देती है। मन मानने को तैयार नहीं होता कि इतने सभ्य समाज में यह चीजें भी घटित होती हैं। किसी भी व्यक्ति, सरकार, धर्म या समुदाय को दोष देने से पहले हमें अपने विचारों और प्रकृति का सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। आवास जीवन के बिना समाज का कल्याण सम्भव नहीं है।

इस समय मेरे लिखने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही क्योंकि "जुबानी दावे तो बहुत लोग किया करते हैं, पर जूनून का काम तो करके दिखाना होता है" भाषण देना, निबंध लिखना बहुत आसान होता है पर एक भूखा बच्चा सामने आ जाए तो उसकी भूख मिटाने की क्षमता भी हममें नहीं है। क्या हैं वे चीजें जो हमें परेशान कर रही हैं?

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि इसी बात को हम अंग्रेजी के माध्यम से जाने तो "हयुमन इज ए सोशल एनीमल" यानि कि मूलतः आदमी भी एक 'एनीमल' यानि कि 'जानवर' या 'पशु' ही है। संभवतः इस पशु को अपनी पशुता छोड़ने में और आदमी बनने में लाखों साल लग गए। यह कितने आश्चर्य की बात है कि कभी जो 'एनीमल' था उसने इंसान बनने के लिए पशुता (एनीमल हैबिट्स) को छोड़कर एक सभ्य समाज के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया और लगातार वर्षों वर्ष प्रयासों के बावजूद एक सभ्य समाज बना जहां स्त्री, पुरुष एवं बच्चों तथा अन्य रक्त संबंधियों के बीच रिश्तों को दादा–दादी, चाचा–चाची, नाना–नानी, मामा–मामी, बहन–भाई जैसे पवित्र संज्ञाएं दी गई। लेकिन यह कितने विडबंना की बात है कि आज वह आदर्श पशु या आदमी जो धीरे–धीरे इंसान बना, अब धीरे–धीरे पुनः अपने पुराने रूप में लौट रहा है। हर दिन संबंधों के पवित्र रिश्तों का खून हो रहा है। एक ओर जहां इंसान ने विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सर्वोच्च सफलताएं हासिल की है, वहीं वह इनका दुरुपयोग कर पोर्नोग्राफी, यौन अपराधों तथा अन्य तमाम प्रकार के आर्थिक एवं सामाजिक अपराधों को करने में हिचकता नहीं है। हर रोज बलात्कार और अंग भंग एवं हत्याएं जैसी घटनाएं दिल दहला देती है, खासकर छोटे–छोटे बच्चे–बच्चियों के साथ होने वाले यौन अपराध आत्मा को अंदर तक झकझोर जाते हैं। कई बार तो समाचार पत्र में हेडलाइन पढ़ने के बाद आगे पढ़ने की हिम्मत जवाब दे जाती है। कई बार हमें भी लगता है कि ऐसे अपराधियों को बर्बर तरीके से चौराहों पर लटका कर मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए। पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, कहीं हम विकास और प्रगति के नाम पर अपनी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति को तेजी से तो नहीं अपना रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अंधी दौड़ में "हमें न खुदा ही मिला, न बिसाले सनम"

यह गंभीर चिंतन के विषय है और इस दिशा में हमारे शासकों, नीति निर्माताओं, समाज विश्लेषकों, शिक्षा शास्त्रियों, विचारकों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को विचार करना होगा।

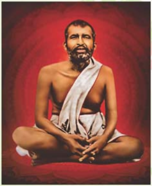

इसके साथ ही यह भी सोचना होगा कि विकास की दिशा में हुई प्रगति समाज के सभी तबके को समान रूप से मिले, फिर चाहे वह गांव या धुर–देहाती इलाके में रहता है या फिर महानगरों की चकाचौंध में। एक अधूरी प्रगति, अधूरा विकास और अधकचरी संस्कृति का अपनाव हमें प्रगति नहीं बल्कि गर्त की ओर धकेलता है।

आज इस बात की भी जरूरत है कि सभी लोगों को धर्म एवं दर्शन का सही स्वरूप पता हो। ईश्वर की कृपा और उसकी महत्ता ज्ञात हो तथा ईश्वर या गॉड के प्रति एक डर एवं भय भी रहे कि यदि हम गलत करें तो वह हम पर अप्रसन्न हो सकता है। हम उसकी सत्ता किसी भी रूप में मानें, पर इतना अवश्य माने कि वह हम पर नाराज भी होता है और प्रसन्न भी। धैर्य को सिर्फ तर्क का विषय न बनने दिया जाए।

कहते हैं, एक बार एक शिष्य ने अपने गुरू से पूछा कि गुरूजी मुझे परमात्मा के दर्शन करने है। गुरू शिष्य को तालाब के पास ले जा कर उसके सिर को तालाब के पानी में डूबा देता है और उसकी गर्दन को कस के पकड़ लेता है। शिष्य छटपटाने लगता है और अपनी पूरी क्षमता से मुंह पानी से बाहर करने की चेष्टा करता है। अब मरा, तब मरा, जब ऐसी आवाज़े आने लगती है तो गुरू उसे छोड़ देता है और शिष्य से प्रश्न करता है "जब तुम पानी में थे तो तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहे थे" शिष्य कहता है मैं तड़प रहा था जीवन के लिए, दो सांस लेने के लिए। गुरू ने बोला क्या ऐसी तड़प कभी परमात्मा से मिलने की हुई है तुम्हारी? जिस दिन इस अवस्था को प्राप्त करोगे परमात्मा को अपने निकट पाओगे। यानि कि परमात्मा या ईश्वर वह है जो हमें सन्मार्ग पर चलना सिखाता है। हमें इंसान बनाए रखता है। हमें हैवान नहीं बनने देता। आज हम सबको ऐसे ही परमात्मा या गॉड या अल्लाह की आवश्यकता है।

अच्छा साहित्य, अच्छा संगीत अच्छी सोच प्रदान करता है। चिन्तन और मनन की क्षमताओं को बढ़ाता है। ध्यान केन्द्रित करता है और जीवन का मूल्य बढ़ाने में सहायक होता है। मैं भी संगीत प्रेमी हूं और मेरा मानना है कि इसकी सच्ची साधना करने से परम ब्रह्म की अनुभूति संभव है। संगीत के क्षेत्र में 'ब्रह्म सुर' की प्राप्ति ही एक साधक का परम उद्देश्य होता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी क्षमताओं के सदुपयोग से बड़ा आध्यात्म कुछ नहीं है और जहां आध्यात्मिकता है वहां तनाव और संताप का होना संभव नहीं। इसलिए, सर्वप्रथम हमें अपनी रूचि का चयन करना चाहिए और जितना भी समय मिले उसे बिना मोल भाव किए उसके निर्माण में लगा देना चाहिए। जीवन में हमें जो हासिल हुआ है, हमें उस में संतोष करने की प्रवृत्ति पैदा करने की जरूरत है। दूसरे हमें यह भी प्रयास करना चाहिए कि सन्मार्ग पर चल कर हम जो पाते है, वही सर्वोत्तम है क्योंकि कुमार्ग या गलत तरीके से प्राप्त की गई किसी भी उपलब्धि से कभी भी सच्चा आत्म संतोष नहीं मिलता। शायद इसीलिए संत कबीर ने कहा था।

देख पराई चूपड़ी मत ललचावै जीव।
आधी रोटी खाय के ठंडा पानी पीव।।

या फिर रहीम जी की बातें मान लेनी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा धन केवल संतोष है–

गोधन, गजधन, बाजधन और रतनधन खान।
जब आवै संतोषधन,सबधन धू समन।।

मनोविक्षिप्ति

डॉ० वर्षा सोमदेवे,
एम.बी.बी.एस

मनोविक्षिप्ति मन की वह दशा है जिसमें मन संसार के साधारण व्यवहार करने मे असमर्थ रहता है। मनोविक्षिप्ति और पागलपन दोनों शब्द असाधारण मनोदशा के बोधक है, परंतु जहाँ पागलपन एक साधारण प्रयोग का शब्द है, जिसका कानूनी उपयोग भी किया जाता है, वहाँ मनोविक्षिप्ति चिकित्साशास्त्र का शब्द है जिसका चिकित्सा में विशेष अर्थ है। पागल व्यक्ति को प्रायः अपने शरीर एवं कामों की सुध–बुध नहीं रहती। उसकी हिफाजत दूसरे लोगों को करनी पड़ती है। अतएव यदि वह कोई अपराध का काम कर डाले, तो उसे दंड का भागी नहीं माना जाता। इससे मिलता–जुलता, परंतु इससे पृथक, अर्थ मनोविक्षिप्ति का है। मनोविक्षिप्त व्यक्ति में साधारण असामान्यता से लेकर बिल्कुल पागलपन जैसे व्यवहार देखे जाते हैं। कुछ मनोविक्षिप्त व्यक्ति थोड़ी ही चिकित्सा से अच्छे हो जाते हैं। ये समाज में रहते हैं और समाज का कोई भी अहित नहीं करते। उनमें अपराध की प्रवृत्ति नहीं रहती। इसके विपरीत, कुछ मनोविक्षिप्त व्यक्तियों में प्रबल अपराध की प्रवृत्ति रहती है। वे अपने भीतरी मन में बदले की भावना रखते हैं, जिसे विक्षिप्त व्यवहारों मे प्रकट करते है। कुछ ऐसे विक्षिप्त भी होते हैं जिनसे अच्छे और बुरे व्यवहार में अंतर समझने की क्षमता ही नहीं रहती। वे हँसते–हँसते किसी व्यक्ति का गला घोट दे सकते हैं, पर उन्हें ऐसा नहीं जान पड़ता कि उन्होंने कोई जघन्य अपराध का डाला है। इस तरह मनोविक्षिप्ति में पागलपन का समावेश होता है, परंतु सभी मनोविक्षिप्त व्यक्तियों को पागल नहीं कहा जा सकता है। मानसिक चिकित्सकों ने मनोविक्षिप्ति के प्रधानतः दो प्रकार माने हैः एक शरीरजन्य और दूसरा मनोजन्य।

शरीरजन्य मनोविक्षिप्तः– यह विक्षिप्ति पैतृक परंपरा से प्राप्त होती है। कितने ही कुटुंबों में पीढ़ी दर पीढ़ी इसे देखा जाता है। कभी–कभी पिता की और कभी माता की पूर्व पीढ़ियों में इसे पाया जाता है। कभी–कभी तुरंत के पहले की पीढ़ी मे मनोविक्षिप्ति नहीं रहती, परंतु किसी सुदूर पूर्वज में यह पाई जाती है। किसी विशेष प्रकार के रोग के कारण जीन की विशिष्ट प्रकार की क्षति हो जाती है और जब यही जीन फिर से नए शरीर के निर्माण का कारण होता है, तब उसकी क्षति इस नए प्राणी में व्यक्त होती है। जिस प्रकार क्षय रोग और उपदंश (गर्मी) वंशपरंपरागत चलते रहते हैं, उसी प्रकार शरीर–जन्य मनोविक्षिप्ति वंशपरंपरागत चलती रहती है।

मनोजन्य मनोविक्षिप्तिः– यह विक्षिप्ति प्रबल मानसिक संघर्ष से उत्पन्न होती है। इस प्रकार के रोगी के पूर्वजों में मनोविक्षिप्ति का पाया जाना अनिवार्य नहीं है। इसे हम मनोवैज्ञानिक मनोविक्षिप्ति कह सकते हैं।

मनोवैज्ञानिक मनोविक्षिप्ति की उत्पत्तिः– मनोवैज्ञानिक मनोविक्षिप्ति का कारण मनुष्य के अपने ही जीवन में रहता है। कुछ लोगों में जन्म से ही स्नायु की दुर्बलता होती है। यह दुर्बलता पैतृक परंपरा से नहीं आती, वरन् बालक के गर्भ में आने के बाद आती है। फिर व्यक्ति के बचपन के संस्कार उसके विकास के अनुकूल नहीं होते, उसे अनेक प्रकार की अप्रिय भावात्मक अनुभूतियाँ होती हैं। व्यक्ति के जीवन को पुष्ट करनेवाली वस्तु बचपन का प्रेम और प्रोत्साहन होता है। इसके अभाव मे व्यक्ति का व्यक्तित्व सुगठित और दृढ नहीं हो पाता, अतएव जब प्रौढ जीवन में उसे भावात्मक घटनाओं का सामना करना पड़ता है, तब वह आत्मविश्वास खो देता है। कभी–कभी बचपन में अधिक लाड प्यार मिलने पर मनुष्य में असाधारण व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। अधिक लाड प्यार की अवस्था में मनुष्य आत्मनियंत्रण की शक्ति उसी प्रकार प्राप्त नहीं कर पाता जिस प्रकार वह अधिक ताड़ना की स्थिति में दुर्बल मन का बना रहता है। जब ऐसे व्यक्ति को क्रूर वातावरण का सामना करना पड़ता है, तब उसमें मनोविक्षिप्ति की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। मनोविक्षिप्ति और सनक में बहुत कुछ समानता है, परंतु दोनों में भेद भी है। जहाँ तक उनके कारण की बात है, दोनों के कारण एक से होते हैं, परंतु दोनों में व्यवहार की असाधारणतया तथा समझ भिन्न भिन्न मात्रा में होती हैं। सनकी मनुष्य के विशेष व्यवहार ही असाधारण होते हैं।

विक्षिप्त व्यक्ति के प्रायः सभी व्यवहार असाधारण होते हैं। वह कभी कभी ही सामान्य स्थिति मे आता है, पर सनकी मनुष्य समाज में अपना जीवन ठीक से चलाता रहता है। समाज के दूसरे लोग उसे भले ही झक्की, सनकी कहें पर वह अपना काम अधिकतर ठीक से कर लेता है। सनकी, अथवा उन्मादग्रस्त, व्यक्ति थोड़े समय ही असाधारण रहता है, किंतु विक्षिप्ति सब समय असाधारण रहता है। सनकी मनुष्य को असाधारणतया का ज्ञान कभी–कभी हो जाता है। वह अपने आपको इससे मुक्त करने की चेष्टा भी करता है और निरंतर प्रयत्न करने से वह अपनी असाधारणता से मुक्त भी हो जाता है। विक्षिप्त व्यक्ति में यह क्षमता नहीं रहती। जीवन में वह अपने आपको सँभाल भी नहीं सकता। दूसरों को उसकी देखभाल करनी पड़ती है।

मनोविक्षिप्ति के कुछ रूप :– मनोविक्षिप्ति का प्राथमिक वर्गीकरण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप में पहले किया गया है, परंतु इनका वर्गीकरण दूसरे प्रकार से भी किया जाता है।

संविभ्रमवत् या पैरानायड :– कुछ मनोविक्षिप्ति अपने

आपको बहुत बड़ा व्यक्ति मानने लगते हैं। उन्हें कभी विचार आता है कि वे किसी देवी देवता की कृपा से कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर चुके हैं, जिससे वे जो भी इच्छा करें वही पूर्ण हो जाएगी। यौगिक साधना करते हुए जो व्यक्ति विक्षिप्त हो जाते हैं, वे इसी श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के मनोविक्षिप्त अहंकारी विक्षिप्त या संविभ्रमवत् या पैरानायड कहे जाते हैं। इनका अहंकार बहुत बढ़ा चढ़ा रहता है, परंतु यह उनके सुख का कारण न बन दुःख का कारण बन जाता है। उसके मन में यह विचार आता है कि समाज के दूसरे लोग उनके विरुद्ध सदैव षड्यंत्र करते रहते हैं। इसी के कारण वे अपनी महानता के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते। अतएव वे अपने आस पास के लोगों को शत्रु के रूप में देखने लगते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि उनके आस पास किसी दुश्मन के गुप्तचर लगे हुए हैं, जो उनको गिराने में प्रयत्नशील हैं। वे कभी कभी दूसरे लोगों पर घातक प्रहार भी कर देते हैं। फ्रायड के अनुसार इन लोगों में बचपन से कामविकृति रहती है, जो घर के स्नेहहीन वातावरण और समलिंगी प्रेम की वृद्धि तथा उसके बाद के दमन के कारण उत्पन्न होती है। संविभ्रमवत् रोगी में उचित आत्महीनता की भावना रहती है।

विषाद विक्षिप्ति :– संविभ्रम से भिन्न मनोविक्षिप्ति और बहुत कुछ इसके विपरीत विषाद विक्षिप्ति कही जाती है। विषाद विक्षिप्ति का रोगी अपने आपको सदा दयनीय अवस्था में सोचता है। वह अपने चारों ओर दुःख ही दुःख का वातावरण पाता है। वह अपने जीवन को ही व्यर्थ समझता है। वह मानव मात्र को दयनीय जीवन में देखता है। उसके विचार में संसार का प्रलय बहुत जल्दी होनेवाला है, और प्रलय हो जाने में ही उसका भला है। वह अपने सभी संबंधियों और परिवारों का निकट भविष्य में निश्चित विनाश देखता है। जहाँ संविभ्रम का रोगी बातूनी और डींग मारनेवाला होता है, वहीं विषादविक्षिप्ति का रोगी किसी से बोलना ही नहीं चाहता। उसे किसी से मिलने जुलने, खेलकूद में भाग लेने, किसी सुंदर दृश्य को देखने की इच्छा ही नहीं होती। उसे सारा संसार रसहीन दिखाई देता है। वह नहाने धोने, तथा हजामत बनाने को व्यर्थ समझता है। यहाँ तक कि बिना दूसरे के आग्रह किए, वह भोजन तक नहीं करता। कभी कभी वह उपवास का इतना आग्रह करता है कि उसके मुँह में नली डालकर जबरदस्ती दूध पिलाया जाता है, ताकि वह मर न जाय।

उल्लास–विषाद–मनोविक्षिप्तिः– तीसरे प्रकार के मनोविक्षिप्त उल्लास–विषाद–मनोविक्षिप्ति हैं। वे बारी–बारी से उल्लास और विषाद की मनोदशा में रहते हैं। उल्लास की अवस्था में वे अत्यधिक चंचल हो उठते हैं, इधर उधर खूब दौड़ते हैं, अनेक लोगों से बात करते हैं, विभिन्न कामों में हाथ डालते हैं, और खूब हँसते रहते हैं। इसके प्रतिकूल आचरण विषाद की अवस्था में होता है। इन विक्षिप्तों की मनोदशा इतनी असाधारण नहीं होती कि उनकी चिकित्सा ही न हो सके। मानसिक रोगों में मनोदशाओं का बदलते रहना, चाहे मनोदशा कितनी ही असाधारण क्यों न हो, रोगी के लिये कल्याणसूचक है।

स्किजोफ्रीनियाः– उपर्युक्त तीन प्रकार की मनोदशाओं से भिन्न जटिल मनोविक्षिप्ति है, जिसे स्किजोफ्रीनिया कहा जाता है। इस मनोदशा में मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का कुछ ज्ञान ही नहीं रह जाता। उसके जीवन में न तो उल्लास का प्रश्न रहता है, न विषाद का। अतएव इस मनोदशा को दूसरा बचपन कहा जा सकता है। इस मनोदशा में आने पर रोगी में अपने आपको सँभालने की कोई शक्ति नहीं रहती। वह मलमूत्र के नित्य कार्य भी नहीं कर पाता। बिछावन पर ही वह मलमूत्र कर देता है। उसके हँसने और रोने में कोई विचार ही नहीं रहता। वह किस समय क्या कर डालेगा, इसके विषय में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दो चार मिनट तर्कयुक्त बातें करते हुए वह कोई ऐसी बात कह सकता है जो बिल्कुल अनर्गल हो। वह हँसते हँसते अपने सामने खड़े बालक का गला घोंट सकता है।

मनोविक्षिप्ति का उपचारः– मनोविक्षिप्ति अशांत मानसिक रोगों में गिनी गई है। अतएव जब उपर्युक्त किसी प्रकार की मनोविक्षिप्ति से कोई ग्रस्त हो जाय, तब उसे मानसिक चिकित्सालयों में रखना आवश्यक होता है। चिकित्सालय से बाहर रहने पर मनोविक्षिप्ति दूसरों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अतएव सामान्य जनता से उन्हें अलग रखना आवश्यक होता है। चिकित्सालयों में इनका उपचार प्रायः नींद लानेवाली दवाइयों, अथवा बेहोशी लानेवाले इंजेक्शनों, के द्वारा किया जाता है। इधर 30–40 वर्षों से बिजली के झटकों द्वारा इनका उपचार किया जाने लगा है। इन सभी प्रकार के उपचारों से कुछ विक्षिप्तियों को लाभ होता है, परंतु अभी तक मनोविक्षिप्ति की कोई अचूक उपचारविधि खोजी नहीं जा सकी है। डा0 फ्रायड के कथनानुसार मनोविक्षिप्ति का मनोवैज्ञानिक उपचार होना संभव ही नहीं है। दूसरे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सभी प्रकार की दूसरी मानसिक चिकित्साएँ सफल होने पर भी, बिना मनोवैज्ञानिक उपचार हुए रोगी को स्थायी लाभ नहीं होता। अतएव निद्रा उत्पादक और अचेतनता लानेवाली ओषधियाँ तथा बिजली के झटके मनोविक्षिप्ति में स्थायी लाभ नहीं पहुँचाते। इनके होने पर भी मनोवैज्ञानिक उपचार की आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिक उपचार का ध्येय उचित कुप्रभावों का रेचन एवं मानसिक एकीकरण की स्थापना होता है।

मानसिक रोगः– मनोरोग किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की वह स्थिति है जिसे किसी स्वस्थ व्यक्ति से तुलना करने पर 'सामान्य' नहीं कहा जाता। स्वस्थ व्यक्तियों की तुलना में मनोरोगों से ग्रस्त व्यक्तियों का व्यवहार असामान्यत अथवा दुरनुकूली (मैल एडेप्टिव) निर्धारित किया जाता है और जिसमें महत्वपूर्ण व्यथा अथवा असमर्थता अन्तर्ग्रस्त होती है। इन्हें मानसिक रोग, मनोविकार, मानसिक बीमारी अथवा मानसिक विकार भी कहते हैं। मनोरोग मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन की वजह से पैदा होते हैं तथा इनके उपचार के लिए मनोरोग चिकित्सा की जरूरत होती है।

प्रमुख मानसिक रोगः– मानसिक विकार बहुत तरह के होते हैं। ये विकार व्यक्तित्व, मनोदशा (मूड), खाने की आदतों, चिन्ता आदि से सम्बन्धित हो सकते हैं। इस प्रकार मानसिक रोगों की सूची बहुत बड़ी है। भय (फोबिया), मनोदशा विकार (मूड डिस्आकर्डर), ज्ञानात्मकक विकार (काग्निटिव डिस्आर्डर), व्यात्तित्वि विकार, खंडित मनस्कता (शाइजोफ्रेनिया) और द्रव्यम संबंधी विकार (सबस्टैंस रिलेटेड डिस्ऑर्डर) य जैसे मद्यसार (ऐलकोहाल) पर निर्भरता, अवसाद, आईईडी, चिंता, चित्तविभ्रम, द्विध्रुवी विकार, बहुव्यक्तित्व विकार, मनोविक्षिप्ति, मानसिक मन्दन, संविभ्रम, अंतराबंध या स्किजोफ्रीनिया, उत्पीड़न भ्रांति

मनोरोगों के मुख्य कारणः– मनोरोगों के कारण कई प्रकार के होते हैं। इनमें से मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं :

जैविक कारण

आनुवंशिकः मनोविक्षिप्ति या साइकोसिस (जैसे स्कीजोफ्रीनिया, उन्माद, अवसाद इत्यादि), व्यक्तित्व रोग, मदिरापान, मंदबुद्धि, मिर्गी इत्यादि रोग उन लोगों में अधिक पाये जाते हैं, जिनके परिवार का कोई सदस्य इनसे पीड़ित हों तो संतान को इनका खतरा लगभग दोगुना हो जाता है।

शारीरिक गठन – स्थूल (मोटे) व्यक्तियों में भावात्मक रोग (उन्माद, अवसाद या उदासी इत्यादि), हिस्टीरिया, हृदय रोग इत्यादि अधिक होते हैं जबकि लंबे एवं दुबले गठन वाले व्यक्तियों में विखंडित मनस्कता (स्कीजोफ्रीनिया), तनाव, व्यक्तित्व रोग अधिक पाये जाते हैं।

व्यक्तित्व – अपने में खोये हुए, चुप रहने वाले, कम मित्र रखने वाले किताबी–कीड़े जैसे गुण वाले, स्कीजायड व्यक्तित्व वाले लोगों में स्कीजोफ्रीनिया अधिक होता है, जबकि अनुशासित तथा सफाई पसंद, समयनिष्ठ, मितव्ययी जैसे गुणों वाले खपती व्यक्तित्व के लोगों में खपत रोग (बाध्य विक्षिप्त) अधिक पाया जाता है।

शरीरवृतिक कारण

किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, गर्भ–धारण जैसे शारीरिक परिवर्तन कई मनोरोगों का आधार बन सकते हैं।

वातावरण जनित कारण

शारीरिक खान–पान संबंधी कारण कुछ दवाओं, रासायनिक तत्वों, धातुओं, मदिरा तथा अन्य मादक पदार्थों इत्यादि का सेवन मनोरोगों की उत्पत्ति का कारण बन सकता हैं।

मनोवैज्ञानिक कारणः आपसी संबंधों में तनाव, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, सम्मान को ठेस, कार्य को खो बैठना, आर्थिक हानि, विवाह, तलाक, शिशु जन्म, कार्य–निवृत्ति, परीक्षा या प्यार में असफलता इत्यादि भी मनोरोगों को उत्पन्न करने या बढ़ाने में योगदान देते हैं।

सामाजिक–सांस्कृतिक कारणः सामाजिक एवं मनोरंजक गतिविधियों से दुराव, अकेलापन, राजनीतिक, प्राकृतिक या सामाजिक दुर्घटनाएं (जैसे कि लूटमार, आतंक, भूकंप, अकाल, बाढ़, सामाजिक बोध एवं अवरोध, महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि) मनोरोग उत्पन्न कर सकते हैं।

तथ्य

मनोरोग चिकित्सक द्वारा दवाएं बतायी गई हैं तो इनका सेवन अवश्य करना चाहिए, दूसरी बीमारियों की तरह यह रोग भी आंतरिक स्तर पर जैविक असंतुलन की वजह से होता है, निगरानी में दवाएं लेना कारगर होता है, अब तो नई दवाओं के उपलब्ध होने के बाद लंबी अवधि तक दवाएं लेने के मामले कम हो रहे हैं, दवाओं के सेवन से मनोविकारों में काफी कमी होती है, खासतौर से तब जबकि इलाज शुरूआती चरण में आरंभ हो जाए, मनोविकारों के उपचार में दी जाने वाली दवाएं रासायनिक असंतुलन को बहाल करती हैं, कुछ दवाओं से नींद आती है लेकिन वे नींद की गोलियां नहीं होतीं, अवसाद जैसे मनोविकार भी मधुमेह या उच्च रक्तचाप की तरह के रोग ही होते हैं, और इनके लिए भी विषेशज्ञ की देखरेख में इलाज कराने की आवश्यकता होती है।

गलत धारणाएं

मानसिक विकार कोई रोग नहीं हैं बल्कि बुरी आत्माओं की वजह से पैदा होते हैं, दवाओं के सेवन से बचना चाहिए, आपको यह रोग अपनी कमजोरी से हुआ है, और इससे बचाव करना चाहिए, दवाएं नुकसानदायक होती हैं, ये निर्भरता बढ़ाती हैं और जीवनभर लेनी पड़ती हैं, ज्यादातर मनोविकारों का कोई इलाज नहीं होता, बच्चों को दवाएं नहीं दी जानी चाहिए, इलाज के लिए नींद की गोलियां दी जाती हैं, अवसाद जैसे मर्ज अपने आप ठीक होते हैं या प्रभावित व्यक्ति के प्रयासों से।

शेष अगले अंक में..................

फैसले का इंतजार

प्राची सिंह,
गार्गी कॉलेज

प्रो0 यशपाल की अध्यक्षता में बनी समिति ने बहुत पहले यह सिफारिश की थी कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा एवं स्वदेशी भाषा में दी जानी चाहिए। लेकिन इन सिफारिशों का वही हश्र हुआ जोकि प्रायः ऐसी कमेटियों की सिफारिशों का होता है। हमारे प्रजातंत्र पर जब वोट तंत्र एवं किसी वर्ग का निहितार्थ हावी हो जाता है तो बहुसंख्य लोगों की भलाई के कार्य रुक जाते है। यदि प्रो0 यशपाल की सिफारिश पर विचार करके कार्रवाई की गई होती तो शायद अंग्रेजी के नाम पर चलने वाले पब्लिक स्कूलों का माफिया शिक्षा तंत्र पर हावी न हो पाता।

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भाषा के मसले पर एक महत्वपूर्ण निर्णय का संकेत दिया है। संकेत यह है कि पहली से पांचवीं कक्षा तक बच्चों की पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा हो या दूसरी भाषाएं। इस मुद्दे को न्यायमूर्ति सतशिवम और रंजन गोगोई ने पांच सदस्यीय बड़ी बेंच को सौंपने का फैसला किया है। मामला है भी बहुत नाजुक और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच से जिन बातों पर विचार करने का आग्रह किया है वे हैं मातृभाषा किसे माना जाए, जहां और जिस परिवेश में बच्चा रहता है उसे या उनके माता–पिता की भाषा को? इसका निर्णय आखिर कौन करेगा और यह भी कि क्या विद्यार्थी या उनके मां–बाप को भाषा चुनने का अधिकार? तीसरी बात कि क्या मातृभाषा में जबरन पढ़ाने से किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है? क्या यह आदेश सरकारी मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी, दोनों स्कूलों पर लागू होंगे? सवाल यह भी है कि क्या संविधान की धारा 350ए के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय अपनी मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं?

सर्वोच्च न्यायालय में चलने वाली बहस और अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा पूरे देश को है। अभी कुछ महीने पहले ही संसद के हस्तक्षेप के बाद संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में मातृभाषा की वापसी हुई है। भारतीय भाषाओं के पक्ष में यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले बीस सालों में अंतरराष्ट्रीयता की दुहाई देते हुए भारतीय भाषाओं की कीमत पर जिस ढंग से अंग्रेजी को पढ़ाने और लादने की वकालत की जा रही है उससे बच्चों की पूरी शिक्षा और समझ भी नकारात्मक रूप से, प्रभावित हुई है। अंग्रेजी रटने के चक्कर में बच्चों की रचनात्मकता तो गायब हो ही रही है, वे किताबों से भी दूर हो रहे हैं।

आज कल बच्चों के पास अपनी भाषा के सर्वोच्च साहित्यकारों के द्वारा रचित साहित्य पढ़ने का समय नहीं है। आज प्रेमचंद, शरतचंद जैसे लेखकों के प्रति युवापीढ़ी की रुचि और ज्ञान दोनों में कमी देखी जा सकती है। यही कारण है कि बार–बार विभिन्न न्यायालयों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। मई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में यह निर्णय दिया था कि कर्मचारी की भाषा में विभागीय जांच होनी चाहिए। नौसेना का एक कर्मचारी मिथिलेश कुमार अपना बचाव अपनी भाषा में करना चाहता था, लेकिन जबरन विभागीय जांच अंग्रेजी में की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी के खिलाफ की गई सारी कार्रवाई को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि इससे नैसर्गिक अधिकार का हनन हुआ है। जून 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के पहले चरण में ही अंग्रेजी लादने के निर्णय पर प्रश्नचिन्ह लगाया है और अपने आदेश में कहा है कि सभी भारतीय भाषाओं के परीक्षार्थियों के हित में अंग्रेजी के स्तर पर निगरानी रखने के लिए एक नियमित पैनल बनाया जाए।

वर्ष 1989 में कर्नाटक सरकार ने सभी प्राइमरी स्कूलों में कन्नड़ भाषा को अनिवार्य बनाने का एक आदेश दिया था जिसे 1993 में सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने भी बरकरार रखा। 1994 में थोड़ा संशोधित करते हुए कर्नाटक सरकार ने फैसला किया कि पहली से चार क्लास तक पढ़ाई का माध्यम कन्नड़ या उनकी मातृभाषा हो सकती है। यह कर्नाटक सरकार का संविधान की धारा 350ए की रोशनी में लिया गया फैसला था जिससे कि भाषायी अल्पसंख्य अपनी भाषाओं में बच्चों को पढ़ा सकें। कर्नाटक सरकार के इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और 2008 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने निर्णय किया कि यह आदेश निजी स्कूलों पर लागू नहीं होगा। हालांकि एक न्यायालय की यह टिप्पणी जिससे पूरे देश में खलबली मची थी कि बिना अंग्रेजी पढ़े तो चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल सकती। हाईकोर्ट के 2008 के फैसले के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार का तर्क था कि बचपन में शिक्षा की भाषा बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह वे वर्ष है जब बच्चा सोचना, समझना सीखता है। भविष्य की बुनियाद उसकी इसी समझ पर है। इसलिए बिना अपनी भाषा के शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। देखा जाए तो कर्नाटक सरकार की चिंता

गलत भी नहीं थीं। भारत जैसे देश के नागरिक अंग्रेजी की कितनी भी वकालत करें, दुनिया भर में मातृभाषाओं का महत्व सर्वविदित है। यही कारण है कि यूनेस्को ने भी वर्ष 1999 से हर साल 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाने का फैसला किया है।

यूनेस्को समेत दुनिया भर के शिक्षाविदों, महात्मा गांधी, रवीन्द्र नाथ टैगोर, टॉलस्टाय जैसे महापुरुषों की कही हुई बातों के बावजूद भी इस देश में पता नहीं कौन सी ताकतें अपनी भाषाओं के विरोध में खड़ी है। हिंदी पट्टी के विपरीत दक्षिण भारत के राजनेता, लेखक, नागरिक अपनी भाषाओं के पक्ष में ज्यादा बेहतर ढंग से खड़े नजर आते हैं। आपको याद होगा द्रमुक सरकार ने कुछ वर्ष पहले तमिलनाडु के स्कूलों में तमिल माध्यम से पढ़ाना शुरू कर दिया था। नई सरकार द्वारा अंग्रेजी में शुरूआत करने का विरोध तमिलनाडु में पुरजोर से हो रहा है। तमिलभाषी टीएसआर सुब्रमण्यम कैबिनेट सचिव रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में भारतीय भाषाओं के पक्ष के समर्थन में उन्होंने कहा था कि बिना भारतीय भाषाओं को समझे इस देश का प्रशासन नहीं चलाया जा सकता। यह बात उन्होंने एक आइएएस अधिकारी के नाते उत्तर प्रदेश के अनुभवों के आधार पर कही थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई मामला बड़ी पीठ को सौंपने का यह पहला अवसर नहीं है। केशवानंद भारती, गोलकनाथ के मामले से लेकर मंडल आयोग तक के फैसले ऐसे ही बड़ी पीठों ने देश हित में सुलझाए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय भाषाओं को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक सार्थक निर्णय देगा।

यहां पर यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि पिछले 100 वर्ष में ही भारत जैसे अनेक देशों में लगभग एक तिहाई भाषा/उपभाषाएं या बोलियां दम तोड़ रही हैं। अकेले भारत में ही लगभग 3600 बोलियां प्रचलित थीं लेकिन आधुनिक शिक्षा प्रणाली और अंग्रेजी की महत्ता ने इन बोलियों को लगभग नष्ट प्रायः स्थिति में ला दिया है। यदि यह फैसला मातृभाषा के पक्ष में आता है तो बहुत सारी बोलियां एवं उपभाषाएं विनष्ट होने से बच जाएंगी। अकेले हिंदी भाषी प्रदेशों की कई बोलियों को नया जीवन प्राप्त होगा। अकेले उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि समूचे भारत में संघ की भाषा के अंतर्गत आनेवाली भाषाओं के दायरे में कई मातृभाषाएं आती हैं जिन्हें एक नया जीवन मिलेगा और कई बोलियों एवं उपभाषाओं को बचाने एवं संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकेगा यह निर्णय। इसलिए हम सभी को एक सार्थक निर्णय की उम्मीद है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की दिशा में बड़ी छलांग - मंगलयान

संजीव कुमार सिंह,
उप प्रबंधक

भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने चंद्रयान के प्रक्षेपण के साथ अपना नाम कुछ चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल कर लिया था और पूरे विश्व को यह भी जता दिया था कि अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत की उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता। चंद्र अभियान की सफलता के पांच साल बाद, भारत अब सुदूर अंतरिक्ष की नई यात्रा पर निकल रहा है। यह मंगल मिशन टेक्नोलॉजी के स्तर पर भारत का सबसे चुनौतीपूर्ण अभियान है। पहली बार भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान (इसरो) किसी दूसरे ग्रह यानी मंगल की कक्षा में उपग्रह भेज रहा है, जो धरती से 40 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। अंतरिक्ष में इतनी दूर मानव-निर्मित कोई वस्तु भेजना और उसके क्रिया-कलाप को धरती से नियंत्रित करना, निःसंदेह टेक्नोलॉजी के स्तर पर बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से पहले दो बार इसका प्रक्षेपण टाला जा चुका है। अन्यथा इस सितंबर में हमारा मंगलयान अपनी यात्रा पर निकल पड़ता। अब यह प्रक्षेपण 5 नवंबर को किया जाएगा। हमारा पूरा विश्वास है कि जब आप इसे पढ़ रहे होंगे, तब तक हमारा मंगलयान अपने मंगल पथ पर चल पड़ा होगा। यदि नवंबर का प्रक्षेपण सफल रहता है तो सितंबर 2014 में हम अपने लक्ष्य के पास होंगे।

इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन (जिसे अनधिकृत रूप से मंगलयान कहा जा रहा है), यदि अपना उपग्रह सितंबर 2014 में लाल ग्रह की कक्षा में भेजने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद दुनिया में चौथा देश होगा। चीन ने 2011 में नाकाम कोशिश की थी। मंगल ग्रह पर अन्वेषण की होड़ 1960 में शुरू हुई थी जब पहले तत्कालीन सोवियत संघ और बाद में अमेरिका ने यान भेजने की नाकाम कोशिश की। 1971 में जाकर पहले ऑर्बिटर मिशन को सफलता मिली। मंगल की कक्षा मे घूमने वाल उपग्रह, लैंडर और रोवर भेजने के अब तक कुल 40 मिशन हुए हैं, जिनमें से आधे ही सफल हो सके हैं। कुछ प्रक्षेपण के स्तर पर ही नाकाम रहे तो कुछ का जमीन से संपर्क टूट गया और कुछ मंगल की कक्षा की ओर बढ़ते समय भटककर अंतरिक्ष में लुप्त हो गए। इसका एक ही अर्थ है कि मंगल ग्रह की कक्षा में उपग्रह भेजना आज भी एक चुनौती है और जो देश टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष के क्षेत्र की ताकत बनना चाहता है, उसके लिए यह मिशन हाथ में लेने लायक है। इससे उन आलोचकों को उत्तर मिल जाना चाहिए, जो कहते हैं कि जब अमेरिका ने मंगल पर रोबोटिक यान उतार दिया है तो हमें क्यों अपना मिशन भेजना चाहिए।

यदि 5 नवम्बर का प्रक्षेपण सफल हो भी जाता है तो भी हमें यह जानने के लिए कई महीने प्रतीक्षा करनी होगी कि क्या

अपने ध्येय में सफल हुए या नहीं। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि इसरो का चंद्रयान अभियान चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था और वहां पानी होने के निशान खोजने में सफल रहा था। हालांकि दो साल की आयु के इस मिशन को बीच में खत्म करना पड़ा था। मंगल अभियान तो चंद्र अभियान की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। चंद्रयान 5.5 दिन में ही वांछित कक्षा में पहुंच गया था जबकि मंगलयान को इसमें 300 दिन लगेंगे। यह इतना मजबूत होना चाहिए कि कॉस्मिक रेडिएशन के सामने ठहर सके।

इसके अलावा मंगल तक पहुंचने का प्रक्षेपपथ जटिल है। श्रीहरीकोटा से प्रक्षेपण के बाद मंगलयान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर होने के पूर्व इसके छह चक्कर लगाएगा और तब जाकर यह मंगल प्रक्षेणपथ की ओर बढ़ेगा। इसके बाद यह मंगल के 372 गुणा 80,000 किमी की अंडाकार कक्षा मे प्रवेश करेगा। बंगलुरू के पास ब्यालालू स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क (आईडीएसएन) से सिग्नल भेजे जाएंगे। ये सिग्नल यान मे लगी मोटरों के निर्धारित बिंदुओं की ओर भेजे जाएंगे ताकि यान की रफ्तार बढ़ाई जा सके। इसकी योजना बनाना और युक्तिपूर्वक संचालन करना उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना प्रक्षेपण। चंद्रयान पर सिग्नल पहुंचने के लिए सिर्फ 1.3 सेकंड लगते थे जबकि मंगलयान पर 20 मिनट लगेंगे।

एक तरह से देखें तो मंगल मिशन वैज्ञानिक अभियान की बजाय तकनीकी अभियान अधिक है, क्योंकि यान में कैमरे और मीथेन सेंसर जैसे कुछ ही वैज्ञानिक उपकरण हैं, जिनका वजन मात्र 15 किलोग्राम है। चंद्रयान पर 11 पेलोड थे, जिनका वजन 100 किलोग्राम था। मंगल यान पर पेलोड वहां के वायुमंडल की जानकारी लेने, वहां किस प्रकार के कण मौजूद हैं इसका पता लगाने और मंगल की सतह की छवि लेकर उसका अध्ययन करने संबंधी पेलोड हैं। मीथेन सेंसर जरूरी है, क्योंकि इससे यह मंगल की सतह पर मीथेन गैस के अंश यदि मौजूद हों, तो उनका पता लगा सकेगा – जो मंगल पर जीवन होने का लक्षण होगा। यदि भारतीय अभियान कोई खोज कर सके तो यह इसके लिए वाकई लाभांश (बोनस) ही होगा। अब इस अभियान के भू–राजनीतिक मायने समझें। शीत युद्ध के अंत और अंतरिक्ष एजेंसियों की आर्थिक मुश्किलों के कारण इस क्षेत्र में अमेरिका व रूस की होड़ खत्म हो गई है। आज दोनों अंतरिक्ष शोध के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र (आईएसएस) के लिए रूसी यान पर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री भेजे जा रहे हैं और आईएसएस दोनों मिलकर चला रहे हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में बहुत बाद में आया चीन एशिया में लीडर बनकर उभर रहा है। भारत और चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम से तुलना स्वाभाविक है। वैसे भविष्य में ये दोनों देश इस दिशा में सहयोग कर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकते हैं तथा पश्चिमी एवं विकसित देशों के लिए एक विकल्प बन सकते हैं।

हालांकि, चीन अपने अत्यधिक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम में खूब पैसा लगा रहा है। इसका ध्येय आईएसएस जैसा अंतरिक्ष केन्द्र स्थापित करना है। यह अंतरिक्ष में मानव भेज चुका है। इसका इरादा निकट भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों वाले कई अभियान भेजने का है। इसका अंतिम लक्ष्य बाह्य अंतरिक्ष में अपनी श्रेष्ठता और दबदबा स्थापित करने का है। दूसरी तरफ भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम राष्ट्रीय जरूरतों और वैज्ञानिक अन्वेषण के लक्ष्य से संचालित है। इसरो एक ऐसी अंतरिक्ष एजेंसी चाहता है, जो कई प्रकार के संचार व दूरसंवेदी उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों को डिजाइन कर बनाने के बाद लांच भी कर सके।

भारत ने अपना चंद्रयान 22 अक्तूबर, 2008 को लांच किया था इसके बाद उसने मंगलयान के दिशा में कदम उठाए। चंद्रमा के सफल अभियान के बाद मंगल मिशन की कामयाबी इसरो और भारत को अपने इस लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायक होगी। इसरो सूर्य के प्रभामंडल के अध्ययन के इरादे से खगोलीय अवलोकन के लिए एक उपग्रह पर काम कर रही है। दूसरे चंद्रयान अभियान पर भी काम हो रहा है जिसे 2016 में प्रक्षेपित किए जाने की योजना है। यह चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम से बिल्कुल अलग है, जो राष्ट्रीय गौरव और महाशक्ति होने के सपने से संचालित है। हालांकि भारी यानों के प्रक्षेपण की भारत की काबिलियत अभी तक पूरी तरह सिद्ध नहीं हुई है। क्रायोजेनिक इंजनवाला भू–स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान (जीएसएलवी) स्वदेशी टेक्नोलॉजी से विकसित करने के प्रयास नाकाम रहे हैं। मंगल अभियान में लगा पोलर सैटेलाइट लांच व्हीकल (पीएसएलवी) पहले ही अपनी काबिलियत साबित कर चुका रॉकेट है। अंतरिक्ष अन्वेशण के क्षेत्र में अपनी तकनीकी और महारत सिद्ध करने की भारत की यात्रा में मंगल मिशन मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है।

मुझे आशा है कि संभवतः पाठकों को हम अगले किसी अंक में इसकी सफलता की कहानी सुना सकेंगे। निश्चित ही भारत कुछ गिनेचुने अग्रणी देशों की कतार में अपनी जगह बनाने में सफल सिद्ध होगा। यहां एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि हमारा मंगलयान अंतरिक्ष कार्यक्रम दूसरे सभी देशों की तुलना में आधी से भी कम लागत वाला है। निश्चित ही यह हमारे देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ–साथ पूरे देशवासियों के लिए आत्म गौरव एवं प्रसन्नता की बात है। इसके साथ ही भारत ने यह भी दिखाया कि मंहगाई एवं मंदी की मार के बावजूद हमारी जिजीविषा को न तो कोई दबा सकता है और न पीछे हटा सकता है। हम भान से कह सकते हैं–"इट्स हैपेन ओनली इन इंडिया" और "सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा"।

प्रौद्योगिकीकरण और दुष्प्रभाव

वृंदावन चंद्र पाढ़ी

पिछली एक शताब्दी से भारी औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप भारी पैमाने पर जंगलों का विनाश एवं गैर कानूनी खनन हुआ है जिसके कारण हमारे भू-मंडल की परिस्थितकी (विज्ञान) विनष्ट हुई है। इसका नतीजा यह हुआ कि कृषि भूमि, जल एवं वनों के अंतर्गत आनेवाली जमीनों पर उद्योग स्थापित हुए और खनिजों को निकाला गया। उद्योगों से निकलने वाले विषाक्त कचरा एवं अपशिष्ट एक साथ नदियों में बहाया जा रहा है। जिसके कारण नदियां एवं पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इन सब के दोषी लोग इस बात के लिए जरा भी चिंतित नहीं है कि इन सबका जीव-जगत और वनस्पतियों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये लोग केवल अपने लाभ और कमाई के लिए चिंतित रहते हैं। इन उद्योगों के केवल कुछ एक राजनितिज्ञ एवं पूंजीपति तथा सरकारी सत्ता नियंत्रक आमंत्रित कर अपना उल्लू सीधा करते हैं और अपने फायदे के लिए उन्हें भूमि, जल तथा खनिज संपदा प्रदान करते हैं। ये लोग इस बात से कत्तई चिंतित नहीं है कि इन सबका हमारे भू-मंडल पर कितना गहन प्रभाव पड़ता है तथा इसका लोगों के आवास, आहार आदि पर कितना प्रभाव पड़ता है।

भारत का सन् 2030 तक का विद्युत उत्पादन लक्ष्य 592000 मेगावाट परंपरागत विद्युत तथा 55000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करना है। 1000 मेगावाट विद्युत शक्ति के संयंत्र को लगाने के लिए 2000 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार प्रति एक टन स्टील/अल्यूमिनियम उत्पादन के लिए लगभग 1000 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से 6 लाख मेगावाट विद्युत उत्पादन के संयंत्रों की स्थापना हेतु 12 लाख एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार लगभग 199 स्टील संयंत्रों से 124 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य है और प्रति टन उत्पादन हेतु 2000 एकड़ भूमि के हिसाब से लक्षित 124 मिलियन टन स्टील उत्पादन हेतु 2.5 लाख एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से केवल औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए लगभग 50 लाख एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए अलग से 30.35 हजार एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी।

एक मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए 14 कि0ग्रा0 कोयले की आवश्यकता होती है जिससे 6 कि0ग्रा0 फ्लाईऐश (राख) उत्पादित होती है। इस तरह से अनुमानित विद्युत उत्पादन के लिए 8 लाख 40 हजार टन कोयला और सालाना 300 करोड़ टन की आवश्यकता है जिसमें लगभग 160 करोड़ टन फ्लाईऐश (राख) उत्पादित होगी और इसके भंडारण हेतु लगभग 12 लाख एकड़ भूमि की जरूरत पड़ेगी। एक मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए 80,000 लीटर पानी की जरूरत होती है, इस प्रकार प्रतिदिन के आधार पर 4800 करोड़ लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी।

इस प्रकार से 6 लाख मेगावाट विद्युत उत्पादन, 3.5 मिलियन टन कोयला पूर्ण, 1188 टन मर्करी (पारा), 7530 मिलियन टन नाइट्रस आक्साइट, 5328 मिलियन टन कार्बन डाइआक्साइड, 71040 मिलियन टन सल्फर डाइआक्साइड और भारी मात्रा में धूल एवं धुंआ आदि पर्यावरण में मुक्त किया जाएगा। एक लीटर पेट्रोल/डीजल के प्रदहन से 4 किग्रा0 कार्बन डाइआक्साइड के साथ सल्फ्युरिक एसिड में धूल आदि उत्पन्न होती है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि हवाई यातायात की तीव्र वृद्धि हुई है और सालाना लगभग 205 करोड़ लोग हवाई यातायात का उपयोग करते हैं। प्रति 100 यात्रियों के द्वारा एक किमी0 हवाई यातायात पूरा करने पर 23 करोड़ किग्रा0 कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जित होती है। इस प्रकार लंदन से न्यूयार्क के बीच यात्रा करने पर प्रति यात्री द्वारा एक टन कार्बन डाइआक्साइड विसर्जित की जाती है। इसके साथ ही, जब एक वायुयान ध्वनि की गति से यात्रा करता है तो जेट इंजन नाईट्रस आक्साइड एवं सल्फर आक्साइड जनित करते हैं। वायुमंडल में विद्यमान आमोनिया के साथ जब ये गैसें समिश्रित होती है तो ऐसा विशाक्त पाउडर उत्पन्न करती है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक खतरनाक होता है। यही बात समुद्र में चलने वाले जहाजों पर भी लागू होती है, वे भी इसी प्रकार गैसें जनित करते हैं।

एयर कंडीशनर की मशीन, जो हमारी सुविधा के लिए इस्तेमाल की जाती है, वह क्लोरोफ्लोरो कार्बन, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ब्रोमो क्लोरोफ्लोरो कार्बन, मेथाइल ब्रोमाइड आदि गैसें इस्तेमाल करते हैं। ये सभी गैसें हमारे वातावरण की बाहरी पर्त में एकत्र होती है और ओजोन पर्त को नुक्सान पहुंचाती हैं। इसका परिणाम यह है कि अंटार्टिका के ऊपर 2060 वर्ग किमी0 का विवर हो गया है। इससे सूर्य की खतरनाक बी किरणें (वायलेट) गुजर कर पृथ्वी पर आती हैं जिसके परिणाम स्वरूप

फसलों कि उत्पादन एवं मत्स्यपालन को क्षति पहुंचती है और इसके अतिरिक्त अनेक जानलेवा बीमारियां एवं त्वचा रोग पनपते हैं। इन गैसों का जीवन एक से लेकर 1700 वर्ष तक का होता है। संयुक्त राश्ट्र संघ के संयुक्त अध्यक्ष डा0 क्रिसफील्ड के अनुसार, हमारे भू-मंडल का तापक्रम 1.1 डिग्री सेल्सियस पहले ही बढ चुका है और इक्कीसवीं शती के अंत तक यह 6.4 डिग्री तक बढ चुका होगा। इसके परिणाम स्वरूप हिमालय के भारतीय क्षेत्र की बर्फ पिघल जाएगी। हिमालय क्षेत्र की बर्फ की पर्त प्रतिवर्ष 18 मी0 की दर से घट रही है। यदि यह घटने की प्रक्रिया यूंही जारी रहीं तो 21वीं सदी के अंत में समुद्र के जल में वृद्धि होगी और बाढ़ आएगी तथा भू-क्षेत्र घटेगा। बहुत सारे छोटे-छोटे द्वीप समुद्र में डूब जाएंगे। समुद्री जल के ताप के बढ़ने से कार्बन डाईआक्साइड संघनित होगी। इसका परिणाम यह होगा कि कार्बन डाईआक्साइड कार्बोनिक अम्ल में बदल जाएगी, फलतः समुद्री जीव-जंतु नश्ट हो जाएंगे।

हमारे देश में 250 लाख टन से अधिक कंपोस्ट खाद फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसमे 30: ही केवल पेड़-पौधों के उपयोग मे आती है, शेष 70 प्रतिशत जमीन में मिल जाती है और पेय जल को विषाक्त बनाती है। बहुत भारी संख्या में जैविक खादों के प्रयोग से भूमि सख्त बन गई है और कृषि के लिए अनुपयोगी हो रही है। वैज्ञानिकों ने समय-समय पर बताया है कि भारी मात्रा में जैविक खादों के प्रयोग से 80 प्रतिशत भूमि नष्ट होती है और उसकी गुणवत्ता नष्ट होती है।

भारत में हर साल लगभग 97000 टन कीटनाशकों का उपयोग होता है, इसमें लगभग एक चौथाई मात्रा बहकर समुद्र तक पहुंच जाती है। यह मानव सहित सभी जीव जंतुओं को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इन कीटनाशकों के बढ़ते हुए इस्तेमाल से न केवल फसल को खराब करने वाले कीटादि मरते हैं बल्कि बहुत सारे खेती के लिए उपयोगी कीट/जीव भी मारे जाते हैं।

एक अन्य पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित करने वाला एवं खतरनाक परियोजना परमाणु ऊर्जा परियोजना है। 11 मार्च, 2011 को 8.9 रिएक्टर स्केल के प्रभाव से आए भूंकप से जहां 33 फुट ऊंची सुनामी आई और जापान के सनडाई शहर से टकराई। इस सुनामी से जहा 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए, वही फुकुसीमा डायची केन्द्र के चार परमाणु संयंत्रों को भी विनष्ट कर दिया इसमें 1700 लोगों की जानें गई, 1000 से अधिक लोग आज तक वापस नहीं लौटे और 3.5 से अधिक लोग प्रभावित हुए। 5 लाख लोगों को अपनी नौकरी या रोजगार खोना पड़ा तथा 15900 करोड़ यूएस डॉलर की क्षति उठानी पड़ी। पूर्व जैसी स्थिति पाने में लगभग 40 वर्ष का समय लगेगा। इस घटना के बाद जापान, जर्मनी, यूएस एवं अन्य विकसित देशों ने तय किया है कि वे अपने सभी परमाणु संयंत्रों को बंद कर देंगे जबकि दूसरी तरफ भारत नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को लगाने में रूचि दर्शा रहा है। भारत के पास लगभग 19 ऐसे परमाणु संयंत्र हैं जिनमें स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और वह 2032 तक ऐसे 40 और संयंत्र लगाने का लक्ष्य बनाए हुए है। ताकि 55000 मेगावाट विद्युत के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

भारत लाइट वाटर रियेक्टर खरीदेगा तथा यूरेनियम अमेरिका से आयात करेगा। भारत संभवतः अमेरिका में पहले ही बंद किए गए संयंत्रों को खरीदेगा और इस तरह उसे 15000 करोड़ डालर की आय होगी। यह भी हो सकता है कि भारत को यूरेनियम कचरे को ठिकाने लगाने के लिए अमेरिका की अनुमति लेनी पड़े। यह प्रक्रिया भारत को आत्म निर्भर एवं स्व-संचालन के काबिल नहीं बना सकता और न ही अपना स्वदेशी विकास एवं अनुसंधान सही मायनों में गति पा सकेगा। इसी के सापेक्ष 55000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हेतु 3 लाख 50 हजार एकड़ भूमि की आवश्यकता भी होगी। 1957 से अब तक दुनियाभर में 11 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों मे दुर्घटनाएं घटित हुई हैं और 2000 लोग मारे गए तथा 10,000 लोगों का पता नही चला तथा 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।

सन् 1980-2012 के बीच भारी मात्रा में वनों का विनाश एवं गैर वनीकरण हुआ। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुसार 28 राज्यों में 1.12 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में खनन हुआ जिसमें 17.02 हजार आंध्र प्रदेश, 16.75 हजार उड़ीसा, 11.22 हजार कर्नाटक तथा 3.75 हजार तमिलनाडु में इस्तेमाल हुआ। उपरोक्त अन्य दूसरे क्रियाकलापों के साथ भारी मात्रा में कृषि भूमि के अलावा वनों का विनाश, अनियंत्रित खनिजों की खुदाई, खनिज तेल इत्यादि निकालना शामिल है जिसके कारण जलवायु में परिवर्तन आया है जिसके परिणामस्वरूप खाद्यानों में कमी और जल की दुलर्भता बढी है। इस सबका मानवता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। आस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स यूनीवर्सिटी के एक अनुसंधान अध्ययन के अनुसार यदि हस्तांतरण की इस गति को रोका नहीं गया तो अगली तीन शताब्दियों के बाद कोई भी जीव-जन्तु एवं वनस्पतियां पूर्णतः नष्ट हो जाएंगी।

इस समय की सबसे बड़ी मांग है वर्षा जल संचयन, वनों का संरक्षण एवं आर्द्र भूमि का संरक्षण तथा जल का भंडारण करना। इसके साथ ही वातावरण को प्रदूषित एवं प्रभावित करने वाले उद्यमों के प्रति सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही भू-जल के उपयोग पर नियंत्रण, कृषि भूमि का सही उपयोग, जल संसाधित परियोजनाओं का पुनर्नवीकरण, भारी मात्रा में वृक्षारोपण आदि करना तथा इनके संरक्षण हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास करना ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। यदि उपरोक्त सभी उपायों को अपनाया जाए और जन-जन को इसके महत्व के प्रति जागरूक किया जाए तथा भारी उद्योगों पर नियंत्रण एवं उनके विकल्पों पर कार्य किया जाएगा तभी हम ब्रह्मांड में सबसे सुंदर ग्रह पृथ्वी की सुंदरता को बचा सकते हैं।

काव्य सुधा

आजादी के 66 साल

धीरज कुमार, उप प्रबंधक

ये जिन्दगी की सच्चाई है,
लूट, खसोट और घोटालों ने क्या कहर बरपाई है,
आम आदमी की गरीब के नाम से हो रही है पिसाई,
पर नेताओं को कोई सुध नहीं है आयी,
हाय.........ये कैसी आजादी है रे भाई ....

सरकारी आकड़ों ने गरीबी का मजाक उड़ाया है,
तो नेताओं ने सरकारी पैसों पर लुत्फ उठाया है,
गरीबी ने लाखों को काल के गाल में समा लिया,
तो बाढ़ व सुखा ने इसे बद से बदतर की स्थिति में पहुंचा दिया,
फिर भी किसी ने इसके विरोध में आवाज नहीं उठायी,
हाय.........ये कैसी आजादी है रे भाई...............

लोगों का गांवों से शहरों की ओर हो रहा है पलायन,
खेती की जमीनों पर बिल्डरों और माफियाओं ने जमाया है आसन,
आम जनता भूख और बीमारी से है, बिलबिलाई,
पर नेताओं की बयानबाजी में कोई कमी नहीं आई,
और किसी भी सरकारी तंत्र को इनकी सुध नहीं आयी,
हाय.........ये कैसी आजादी है रे भाई...............

नेताओं और भ्रष्टाचारियों ने जब से गुंडों के साथ सत्ता हथियाई
तो फिर आम जनता के लिए एक नयी विपदा की घड़ी आयी,
सरकारी योजनाओं पर जब इन्होंने अपनी गिद्ध नजर जमाई,
तो फिर त्राहि माम–त्राहि माम कर आम जनता चिल्लायी,
हाय.........ये कैसी आजादी है रे भाई...............

जिस आजादी को पाने में हमें लग गए सालों
उसकी महत्ता को नेताओं और भ्रष्टाचारियों पहचानों,
जिस अस्मिता को बचाने में देश ने कितनी जाने है गंवाई,
फिर भी विपदा नहीं थमी, विकराल रूप ले आयी,
हाय.........ये कैसी आजादी है रे भाई...............

आज बीच सड़क पर अबला ने इज्जत–आबरू है गवांयी,
पर नारी को देवी कहने वालों को जरा भी शर्म नहीं आयी,
पुलिस और नेताओं ने केवल डंकों पर चोट बजायी,
और कड़े दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन की बात बतायी,
हाय.........ये कैसी आजादी है रे भाई...............

अब तो वक्त आ गया है, हमें लड़नी होगी एक नयी आजादी की लड़ाई,
घुसखोरों और भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध करनी होगी कार्रवाई,
देश की अस्मिता को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा,
और एक नये भारत के निर्माण का सपना सजाना होगा...........
और एक नये भारत के निर्माण का सपना सजाना होगा...........।

ओ ताऊ!

डॉ. अमर सिंह सचान, राजभाषा अधिकारी

ओ ताऊ! मत झूठ बोलिए हमने देखी दुनिया, हमें पता है सब
बहकने वाले बहक चुके, नई पीढ़ी के लोग हम न बहके अब
गया जमाना जब अलाव पर होती थी गप्प और किस्सेबाजी
कोई सुनाता तोता–मैना तो कोई लैला–मंजनू की इश्केबाजी।

बीते वह दिन जब गन्ने के खेतों पर कोल्हू चलता था
गुड़ पकने की मीठी सुगंध से तन मन बसंत सा खिलता था
सरसों के पीले फूल देख मन मादक मयूर सा इठलाता था
बैलों के गले की घंटी की धुन मादक संगीत बन जाता था।

ओ ताऊ! अब बीता वह युग जब तुमको माना जाता था महान
बात आपकी पत्थर की लकीर सी लक्ष्मण रेखा के थी समान
सर्वोपरि निर्णय होते ताऊ पंचों के, नहीं तर्क का अवसर होता
एक हांक में सब जुट जाते बैलों से उनको जैसे चाहा वैसे जोता।

यह नया जमाना है ओ ताऊ! ओल्ड मैन यह ट्वेंटीफर्स्ट सेंचुरी
इंफोर्मेशन–टेक्नोलॉजी के युग में कंप्युटर इंटरनेट है मेन धुरी
अब बैल और गाड़ी की जगह मशीनों ने ले नई क्रांति पैदा की है
गुड़ के कोल्हू की जगहें शुगर मिलों ने लेकर चीनी पैदा की है।

ओ ताऊ! अब दुनिया भर में इंटरनेट का नया जमाना आया है
हमने घर बैठे–बैठे ही दुनिया से जुड़ कर नया संसार बनाया है
मां की लोरी, किस्से और चुटकुलें अब फेसबुक, ट्विटर, ऐप बने हैं
बेबाक झांकतें हम घर–घर में सब ओपेन–खुली किताब बने हैं।

ओ ताऊ! हमने पश्चिम से सीखी है जीने की एक नई कला
हमें संस्कृति उनकी भाती है लेकिन लगती है यह तुम्हें बला
हमने अपना ली ओ ताऊ! उनकी विलासिता, अल्हड़ता व बेबाकी
अपनाया है हमने पिज्जा, बर्गर, नूडल्स एवं स्वार्थ और चालाकी

ओ ताऊ! अब शर्म–लाज का गहना खूंटी पर लटका मजाक है
इस युग में मूर्ख थामते दामन इसका, कैरियर उसका खाक है
अब तो एक दूसरे की पैंट खीचने का जोरों पर चालू रिवाज है
यहां तो पैसा है हर रिश्ता ताऊ! पैसा ही मां और पैसा ही बाप है।

आपकी पाती

महोदय,

आपके कार्यालय के द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका "आवास भारती" के अंक– अप्रैल–जून, 2013 की प्रति पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उक्त अंक के प्रेषण के लिए हार्दिक धन्यवाद। इस अंक में दी गई समस्त रचनाएं ज्ञानवर्धक होने के साथ–साथ शिक्षाप्रद भी हैं। सुश्री सोनिया भल्ला, उप प्रबंधक की कविता "लड़ती है बाहर जाकर यह झांसी की रानी", अपुनालन की महत्ता, जीवन संघर्ष जैसी रचनाओं ने पत्रिका को आकर्षण का केंद्र बना दिया है। पत्रिका में प्रकाशित अन्य लेख भी पठनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आशा है आपके द्वारा प्रकाशित आगामी पत्रिकाओं के नवीन अंक हमें निरंतर प्राप्त होते रहेंगे।

दशहरा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

भवदीय, पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
ओरियंटल इंश्योरेंस, नई दिल्ली

सोमदेवे जी,

आपके बैंक के द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका "आवास भारती" का अप्रैल–जून, 2013 अंक प्राप्त हुआ, बहुत खुशी हुई।

हम निरंतर इस प्रत्रिका को गत कई वर्षों से पढ़ रहे हैं और हमें यह पत्रिका हमेशा से अपने परिवर्तन के कारण काफी पंसद आई है। पत्रिका का ताजा अंक भी ज्ञान से भरपूर और बिल्कुल नए कलेवर में आया है और काफी आकर्षक लग रहा है। हमेशा से आपका संपादकीय पढ़ना बहुत ही ज्ञानवर्धक और जोश से भरपूर रहता है। हिंदी के प्रति आपकी प्रतिबद्धता देखर काफी खुशी होती है। पत्रिका में प्रकाशित लेख "किफायती आवास का सच' उन लोगों के लिए काफी जानकारीपूर्ण लेख है जो किफायती आवास के नाम पर ठगे जा रहे हैं और यह लेख भविष्य के ग्राहकों को सचेत भी करता है। श्री रंजन जी का लेख "अपनी राजभाषा–एक मौलिक अधिकार" भी काफी ज्ञानवर्धक और उपयोगी लेख है। पत्रिका में प्रकाशित अन्य सभी लेख भी अपने आप में काफी उपयोगी एवं विचारणीय हैं। किसी एक लेख के बारे में कुछ कहना दूसरे के साथ अन्याय होगा, इसलिए मैं किसी की तुलना नहीं कर सकता। आशा है कि आपके द्वारा प्रकाशित आगामी अंक भी हमें निरंतर प्राप्त होते रहेंगे।

भवदीय
संजीव सेठी, सहायक प्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक, अंबाला

महोदय,

आपके बैंक के द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिका "आवास भारती" का अप्रैल–जून, 2013 अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद।

आवास भारती अपने आप में एक अनूठी पत्रिका है। साज सज्जा से लेकर लेखों के चयन तक में कितनी गंभीरता से विचार किया जाता है यह इस लेख के निरंतर प्रगति ने इंगित किया है। पत्रिका में प्रकाशित संपादक जी के विचार पठनीय एवं ज्ञानवर्धक है। लेख "किफायती आवास का सच', 'अपनी राजभाषा–एक मौलिक अधिकार', 'खाद्य सुरक्षा बिल', 'देशी दवाएं', 'चैतन्य का सागर हैं गौतम बुद्ध' 'पेट दर्द एवं नेत्र दर्द', 'झुग्गियों से मुक्त भारत का सपना' आदि अलग–अलग विषयों पर लिखे काफी ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी लेख हैं। इतनी विविधता एक ही जगह पर देखकर ऐसा लगता है मानों ये लेख नहीं बल्कि बगिया में खिले रंग–बिरंगे फूल हों। लेख 'प्रौद्योगिकी और आम आदमी' भी काफी जानकारीयुक्त लेख है। सोनिया भल्ला जी की कविता आज की नारी के अंदर के क्रोध को व्यक्त करती एक अच्छी रचना है। आशा है कि आगे भी हमें यह पत्रिका निरंतर प्राप्त होती रहेगी।

भवदीय
श्री विनोद बिहारी, प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक
जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय

महोदय,

आपके बैंक के द्वारा प्रकाशित पत्रिका "आवास भारती" का अप्रैल–जून, 2013 अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद। मैं हमेशा आवास भारती का प्रतीक्षा करता हूं। पत्रिका ने जिस तरह पिछले एक दो वर्षों में अपने कलेवर और फ्लेवर में रूचिकर बदलाव लाया है वह सराहनीय है। संपादक जी के विचार हमेशा से प्रेरणाप्रद होते हैं और ताजा अंक में भी यह दिखता है। पत्रिका में प्रकाशित लेख 'किफायती आवास का सच' काफी ज्ञानप्रद और उपयोगी लेख लगा। वहीं लेख 'पूजनीय प्रतीकों की दुदर्शा व उपाय' काफी सोचनीय लेख है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हम अपने पूजनीय प्रतीकों के प्रति कितने लापरवाह हो गए हैं। लेख 'चैतन्य का सागर हैं गौतम बुद्ध' के बारे में क्या कहूं, बस यही कह सकता हूं कि जहां बुद्ध है वहां और किसी चीज की जरूरत ही समाप्त हो जाती है। मन करता है बस उन्हीं में लीन होते चले जाएं और उस बौद्धिक संसार से अपने को अलग न होने दें। पत्रिका में प्रकाशित अन्य सभी लेख भी अपनी उपयोगिता को सिद्ध करते हैं। आशा करता हूं कि मुझे आगे भी यह पत्रिका प्राप्त होती रहेगी।

भवदीय
श्री रामचंद्र उके, संचालक, बौद्ध विहार, मनसर
तहसील–रामटेक, जिला–नागपुर

सोमदेवे जी,

हमें आपके बैंक की गृह पत्रिका 'आवास भारती' का ताजा अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद। पत्रिका की साज–सज्जा और विषयों का चयन काफी उच्च कोटि का है। पत्रिका में प्रकाशित संपादकीय काफी उम्दा और विचारणीय है। आपकी पत्रिका में प्रकाशित आवास संबंधी लेख काफी विविधतापूर्ण और उपयोगी होते हैं। ताजा अंक में प्रकाशित लेख 'किफायती आवास का सच' पढ़कर मुझे भी काफी नई चीजों के बारे में पता लगा। लेख 'व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा एवं ग्राहक संतुष्टि' ज्वलंत समस्या को उभारता और उसका उपाय बताता एक ज्ञानोपयोगी लेख है। इसी प्रकार धर्म, स्वास्थ्य, हिंदी, आदि विषयों पर लिखे गए अन्य लेख भी अपने आप में उपयोगी एवं उत्कृष्ट हैं। कविता 'लड़ती है बाहर जाकर यह झांसी की रानी' पढ़कर काफी अच्छा लगा। आशा है कि मुझे आगे भी इस उपयोगी पत्रिका का आगामी अंक प्राप्त होता रहेगा।

भवदीय
अशित पॉल, विभाग प्रमुख
कसीगा स्कूल, देहरादून

राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार

राष्ट्रीय आवास बैंक की हिंदी गृह पत्रिका–'आवास भारती' भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वर्ष 2011–12 पुरस्कृत।

- राष्ट्रीय आवास बैंक की हिंदी गृह पत्रिका – 'आवास भारती' को अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय रिजर्व बैंक गृह पत्रिका की श्रेणी में वर्ष 2011–12 के लिए प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

- यह पुरस्कार 28 अगस्त, 2013 को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर.वी. वर्मा के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर महोदय डा0 डी. सुब्बाराव के कर कमलों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई में प्राप्त किया गया।